THE MADHYA PRADESH

PANCHAYAT NIRVACHAN NIYAM, 1995

(As on SEPTEMBER 2014)

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT NIRVACHAN NIYAM, 1995

TABLE OF CONTENTS

Sl. No. (1)	Subject (2)	Folio No. (3)
	CHAPTER I—PRELIMINARY	
1.	Short title and commencement	151
2.	Definitions	151-152
	CHAPTER II—FORMATION OF WARDS AND CONSTITUENCIES AND RESERVATION	
3.	Matters to be taken into consideration in formation of wards	152
4.	Powers of Collector to determine reserved seats for wards	152-153
5.	Matters to be taken into consideration in formation of constituencies of Janapad Panchayat and Zila Panchayat.	153-154
6.	Reservation of Constituencies	154-155
	CHAPTER III—RESERVATION OF SEAT FOR SARPANCH	
7.	Determination of reserved seats for Sarpanch	155-156
8.	Assistance in the matter of reservation	156
	CHAPTER IV—LIST OF VOTERS	
9.	Preparation of voters' list	156
10.	Publication of voters' list for inviting claims and objections	156
11.	Claims and objections	156-157
12.	Disposal of claims and objections	157
13.	Inspection and issue of certified copies	157
14.	Duration of voters' list and its revision	157
15.	Finalisation of voters' list	157
15-A.	Deletion of entries in the voters' list in certain cases	158
16.	Custody and destruction of papers	158
	CHAPTER V—ADMINISTRATIVE MACHINARY FOR CONDUCT OF ELECTION	
17.	Officers and staff for conducting elections	158
17-A.	Requisition of vehicles etc. for Panchayat election purposes.	158-159
17-B.	Payment of compensation.	159
17-C.	Manner of serving order or requisition of vehicles, vessels and animals.	159
17-D.	Penalty for contravention of any order regarding.	159
18.	Commission's power to issue General or Special orders or directions	159

(1)	(2)	(3)
19.	District Election Officer and Deputy District Election Officer	159
19-A.	Observers	160
20.	Appointment of Returning Officer	160
21.	Appointment of Asistant Returning Officer	160
22.	General duty of Returning Officer	160
23.	Polling Stations	160
24.	Appointment of Presiding and Polling Officer	161
25.	General duty of Presiding Officer	161
26.	Duty of a Polling Officer	161
27	Control of District Election Officer	161
27-A.	Returning Officer, Presiding Officer etc. deemed to be on deputaion to Election Commission.	161
	CHAPTER VI—CONDUCT OF ELECTION	
28.	Notice of election and time schedule therefor	161-162
29.	Manner of publication of notice under rule 28	162
29-A.	Publication of notice regarding reservation/status of seats	162
30	Extension of time for completion of election	162
31.	Nomination of Candidates	162
31-A.	Information of criminal record, properties, liabilities and educational qualification etc.	162-163
32.	Presentation of nomination papers	163
33.	Security deposit	163
34.	Notice of nomination and time and place of scrutiny	163
35.	Scrutiny of nomination papers	164
36.	Revision of rejected nomination papers in certain cases	164-165
37.	Withdrawal of candidature	165
38.	Preparation of list of contesting candidates	165-166
39.	Allotment of symbols for election	166
40.	Publication on list of contesting candidates	166
40-A.	Stay on elections in certain cases	166-167

(1)	(2)	(3)
	CHAPTER VII—CANDIDATES AND THEIR AGENTS	
41.	Appointment of election agent and revocation of such appointment	167
42.	Appointment of polling agent	167
43.	Appointment of counting agent	167
44.	Revocation of the appointment or death of polling agent	167-168
45.	Revocation of the appointment or death of the counting agent	168
	CHAPTER VIII—GENERAL PROCEDURE OF ELECTION	
46.	Death of candidate before poll	168-169
47.	Uncontested Elections	169
48.	Contested Elections	169
	CHAPTER IX—POLL AND VOTING FOR ELECTION	
49.	Manner of voting at election	169
50.	Ballot Box	169
50A.	Voting Machine at Elections	169
51.	Form of ballot paper	169
52.	Arrangement at the polling station	169
53.	Notice at the polling station	169-170
54.	Admission to polling station	170
55.	Ballot boxes to be locked and sealed before the commencement of poll	170
56.	Facilities for women voters	170
57.	Identification of voters	170
58.	Challenging of identity	170-171
59.	Safeguards against personation	171
60.	Issue of ballot paper	171-172
61.	Voting procedure	172
62.	Recording of vote by blind or infirm voter	172
63.	Spoiled and returned ballot papers and ballot papers found out side ballot boxes	172
64.	Tendered Votes	172-173
65.	Closing of Poll	173

(1)	(2)	(3)
66.	Sealing of ballot boxes after poll	173
67.	Account of ballot papers	173
68.	Sealing of other packets	173-174
69.	Delivery of ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer	174
70.	Adjournment of poll in emergency	174
71.	Recommencement of adjourned poll	174-175
72.	Fresh poll in case of destruction, tampering etc. of ballot boxes or due to procedural irregularity.	175
	CHAPTER IX -A	
72A	Design of voting machines	175
72B.	Preparation of voting Machine b the returning officer	175
72C.	Arrangements at the polling stations	176
72D.	Admission of polling Stations	176
72E.	Preparation of Voting machine for poll	176-177
72F.	F. Facilities for women electors	177
72G.	Identification of electors	177
72H.	Challenging of Identity	177
72I.	Sefeguards against wrongfully personation	178
72J.	Procedure for voting by voting machines	178
72K.	Maintenance of Secrecy of voting by electors within the polling station and voting procedures.	178
72L.	Recording of votes of blind of infirm electors	179
72M.	Tendered votes	179
72N.	Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.	179
72O.	Closing of poll	179-180
72P.	Accoount of votes recorded.	180
72Q.	Sealing of voting machine after poll.	180
72 R.	Sealing of other packets.	180
72S.	Transmission of voting machines etc. to the Returning Officer	180
72T.	Procedure of adjournment of poll	180
72U.	Closing of voting machine in case of booth capturing	180

(1)	(2)	(3)
	CHAPTER X—COUNTING OF VOTES	
73.	Supervision of counting of votes	181
74.	Admission to the place fixed for counting	181
75.	Scrutiny and opening of ballot boxes	181
76.	Scrutiny and rejection of ballot papers	181-182
77.	Counting of votes	182
77A.	Secrutiny and inspection of voting machines	182
77B.	Counting of votes when elctronic Voting Machine are used	183
77C.	Sealing of voting machines	183
78.	Counting to be continuous	183
79.	Re-commencement of counting after fresh poll	183
80.	Recount of votes	183-184
81.	Preparation of return of election and declaration of result	184
82.	Equality of votes	184
83.	Grant of certificate of election to the returned candidate	185
84.	Powers of Distict Election Officer to correct clerical or arithmetical mistakes or errors	185
	CHAPTER XI—MISCELLANEOUS	
85.	Return or forfeiture of Security deposits	185
86.	Custody of papers relating to election	185
87.	Production and inspection of election papers	185-186
88.	Disposal of Election papers	186
89.	Casual Vacancies in Panchayats	186
90.	Manner of notifying election	186
91.	Repeal	186

LIST OF FORMS

Sr. No. (1)	Subject (2)	Rule No. (3)	Form No. (4)	Page No. (5)
1.	Voters' list	9(1)	Form-1	187
2.	Notice of Election of Sarpanch & Panch of Gram Panchayat.	28	Form-2	187-188
3.	Notice of Election of member of Zila Panchayat/ Janpad Panchayat.	28	Form-3	189
4.	Notice regarding status of Reservation of seats in Gram Panchayat.	29-A	Form-3 A	190
5.	Notice regarding status of reservation of seats in Zila Panchayat/Janpad Panchayat.	29-A	Form-3 B	191
6.	Nomination paper:—			
	for Panch	31	Form-4 A	192-193
	for Sarpanch	31	Form-4 B	193-195
	for Member of Janpad Panchayat	31	Form-4 C	195-196
	for Member of Zila Panchayat	31	Form-4 D	197-198
7.	List of validly of nominated candidates	35 (8)	Form-5	198-199
8.	Notice of revision of rejected nomination papers	36 (1)	Form-5 A	199
9.	Application for withdrawal of candidature	37 (1)	Form-6	200
10	Notice of withdrawal of candidature	37 (4)	Form-7	201
11.	List of contesting candidates:—			
	for Panch	38 (1)	Form-8 A	202
	for Sarpanch	38 (1)	Form-8 B	202
	for Member of Janpad Panchayat	38 (1)	Form-8 C	203
	for Member of Zila Panchayat	38 (1)	Form-8 D	203
12.	Appointment of Election agent	41 (1)	Form-9	204
13.	Appointment of Polling agent	42 (1)	Form-10	205
14.	Appointment of Counting agent	43 (1)	Form-11	206
15.	List of challenged votes	58 (2)	Form-12	207

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Declaration by the Companion of Blind or Infirm Voter	62 (1)	Form-13 A	207
17.	List of Blind & Infirm Voters	62 (2)	Form-13 B	208
18.	List of tendered votes	64 (2)	Form-14	208-209
	Voter Register	72J(1)(a)	Form-14A	210
19.	Ballot paper account and result of initial accounting	67 (1)	Form-15	211-212
	Writing of recorded Voters (Part-1)	72P	Form-15A	212-214
20.	Result of counting of votes:—			
	for Panch	77 (2)	Form-16	214
	for Panch (throught E.V.M.)	77 B	Form 16A	215-216
	for Sarpanch (Part one)	77 (2)	Form-17	217
	for Sarpanch (Part two)	77 (2) & 80(8)	Form-17	218
	for Sarpanch (Part one) (throught E.V.M.)	77 B	Form 17A	219-220
	for Sarpanch (Part two) (throught E.V.M.)	77 B	Form 17A	221-222
	for Member of Janpad Panchayat (Part one)	77 (2)	Form-18	223
	for Member of Janpad Panchayat (Part one) (throught E.V.M.).	77 B	Form 18A	225-226
	for Member of Janpad Panchayat (Part two)	77 (2) & 80(8)	Form-18	
	for Member of Janpad Panchayat (Part two) (throught E.V.M.)	77 B	Form 18B	
	for Member of Zila Panchayat (Part one)	77 (2)	Form-19	229
	for Member of Zila Panchayat (Part one) (throught E.V.M.)	77 B	Form 19A	232-233
	for Member of Zila Panchayat (Part two)	77 (2) & 80(8)	Form-19	
	for Member of Zila Panchayat (Part two) (throught E.V.M.)	77 B	Form 19A	
	for Member of Zila Panchayat (Part three)	80 (8)	Form-19	225
21.	Form of return of Election of:—			
	Panch	81 (1)	Form-20	238
	Panch (throught E.V.M.)	77 B	Form 20A	2329-240
	Sarpanch	81 (1)	Form-21	241
	Sarpanch (Throught EVM)	77B	Form 21-A	242-43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Member of Janpad Panchayat	81 (1)	Form-22	244
	Member of Janpad Panchayat (throught E.V.M.)	77 B	Form 22A	245-246
	Member of Zila Panchayat	81 (1)	Form-23	247
	Member of Zila Panchayat (through E.V.M.)	77 B	Form 23A	248-249
22.	Declaration cum return of uncontested election	47	Form-24	250
23.	Certificate of Election	83	Form-25	251
24.	Notification of:—			
	Sarpanch & Panch	90	Form-26 A	252
	Member of Janpad Panchayat		Form-26 B	253
	Member of Zila Panchayat		Form-26 C	254

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 605 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 दिसम्बर 1995—पौष 5, शके 1917 में प्रकाशित]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1995

क्र. बी 1-40-95-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

अध्याय एक-प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इन नियमों के अधीन अपील सुनने के लिए अपील प्रधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी;

(ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग;

(घ) ''निर्वाचन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है खण्ड के भीतर जनपद पंचायत का और जिले के भीतर जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र.

*'' (ङ) ''जिला निर्वाचन अधिकारी'' से अभिप्रेत है जिले में पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी.''

(च) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) ''मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति'' से अभिप्रेत है मतदाता, जिन्हें निर्वाचन में मतपत्र जारी किये गये हैं, के नामों को चिह्नांकित करने के प्रयोजन के लिए पृथक् से रखी गई मतदाता सूची की प्रति;

(ज) ''रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' से अभिप्रेत है जिले में पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, और उसमें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्मिलित हैं;

(झ) ''रिटर्निंग आफिसर'' से अभिप्रेत है किसी पंचायत के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफिसर (पंचायत);

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 33, 4-2-1998.

(ञ) ''मतदाता सूची'' से अभिप्रेत है किसी पंचायत के वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या मतदाताओं की सूची;

(ट) ''ग्राम'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ग्राम;

(ठ) ''वार्ड'' से अभिप्रेत है किसी ग्राम का वार्ड.

अध्याय दो-वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का बनाया जाना तथा आरक्षण

3. **वार्डों को बनाये जाने में विचारार्थ लिए जाने वाले विषय.**—''(1) किसी ''ग्राम'' को अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में, वार्डों में विभाजित किया जाएगा,—

(क) प्रथम निर्वाचन के दौरान; या

(ख) ऐसे मामले में, जबकि ''ग्राम'' की सीमाओं में किसी समीपस्थ स्थानीय क्षेत्र को उसमें सम्मिलित करने या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करने के कारण परिवर्तन किया गया हो; या

(ग) प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल में, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या तथा वार्डों की संख्या के बीच का अनुपात इस प्रकार बिगड़ गया हो कि वह व्यावहारिक रूप से वैसा नहीं है जैसा पूरे खण्ड (ब्लाक) में है.''

(2) जहां किसी ग्राम में एक से अधिक वार्ड हों, वहां कलेक्टर यथासंभव प्रत्येक वार्ड ऐसे क्रम के समरूप बनाएगा जिसमें मतदाताओं के गृह लगातार क्रम में आते हैं.

(3) प्रत्येक वार्ड को एक पृथक् अनुक्रमांक दिया जाएगा.

(4) इस नियम के अधीन बनाए गए वार्डों को कलेक्टर द्वारा कलेक्टर के कार्यालय के सूचना फलक पर तथा साथ ही साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में सहजदृश्य स्थान पर उसके विवरण को चिपकाकर अधिसूचित किया जाएगा.

(5) ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, यदि वह उप-नियम (4) के अधीन चिपकाए गए विवरण में अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति करता है, तो विवरण चिपकाए जाने की सूचना की तारीख से पांच दिन के भीतर कलेक्टर को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा.

(6) आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर कलेक्टर प्रत्येक आपत्ति के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा तथा उस पर अपना विनिश्चिय अभिलिखित करेगा.

(7) कलेक्टर, उसके पश्चात् अपने विनिश्चिय के अनुसार विवरण में संशोधन करेगा तथा वार्डों के क्रमांक तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए तथा महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को अवधारित करेगा तथा उन्हें उप-नियम (4) में निहित की गई रीति में उसके द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा.

*''(8) कलेक्टर द्वारा उप-नियम (1) से (7) तक में विहित रीति में एक बार वार्ड की संख्या तथा उसके क्षेत्र का निर्धारण कर लिए जाने पर पश्चात्वर्ती निर्वाचनों में वार्डों की संख्या तथा उनके क्षेत्र वही रहेंगे, जब तक उप-नियम (1) में उल्लिखित दशा में से कोई दशा उद्भूत न हो जाए तथा कलेक्टर पश्चात्वर्ती निर्वाचनों में, वार्ड तथा उसके क्षेत्र का एक विवरण उप-नियम (4) में विहित रीति में अधिसूचित तथा प्रकाशित करेगा.''

4. **वार्डों के लिए आरक्षित स्थानों को अवधारित करने की कलेक्टर की शक्ति.**—(1) धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वार्ड या वार्डों को कलेक्टर द्वारा अवधारित किया जाएगा. जिसमें/जिनमें महिलाओं के लिए तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे.

**''परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण अधिनियम की धारा 129-ङ के उपबंधों के अनुसार होगा.''

(2) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या ग्राम पंचायत क्षेत्र की ऐसी जाति या जनजाति की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी. आधे से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा और आधे या आधे से अधिक को एक माना जाएगा.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 115, दिनांक 5-3-99.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

*''(3) अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को यथासाध्य उन वार्डों में आवंटित किया जाएगा जिसमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की कलेक्टर द्वारा निकाली गई प्रतिशतता उसके द्वारा अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाई जाए:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रथमत: अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और यदि कोई भी कमी रह जाती है तो शेष स्थानों को लॉट निकाल कर तथा चक्रानुक्रम से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा.''.

(4) किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं वहां कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जावेंगे और ऐसे स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़कर अन्य वार्डों में कलेक्टर द्वारा चक्रानुक्रम से तथा लॉट निकालकर आवंटित किए जाएंगे.

*''परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हों के लिए पूर्व में आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस ग्राम पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे, चक्रानुक्रम से तथा लॉट निकाल कर आरक्षित किए जाएंगे.''

(5) धारा 13 की उपधारा (5) के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में से उतनी संख्या में वार्ड अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जिनका यथाशक्य निकटतम अनुपात महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के साथ वही होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्डों का ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल वार्डों की संख्या के साथ है. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्थान उपनियम (3) तथा उपनियम (4) के अधीन अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों के लिए और/या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से आवंटित किए जाएंगे. सामान्य प्रवर्गों की महिलाओं के लिए स्थानों को शेष रहे वार्डों में से आवंटित किया जाएगा.

(6) (क) विहित प्राधिकारी उन वार्डों को, जिसमें उपनियम (4) तथा (5) के अधीन स्थान आवंटित किए जाएंगे, नियत करने के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये वार्डों के लिए पृथक्-पृथक् रूप से लॉट निकालेगा.

(ख) वार्डों के आवंटन के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर सहजदृश्य स्थान पर एक सूचना यह दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा कि लॉट उस कार्यालय से जिसका नाम ऐसी सूचना में दिया जाएगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय पर ऐसे व्यक्तियों के सामने निकालेगा जो लॉटों के निकालने के साक्ष्य के रूप में उपस्थित हों.

(ग) महिलाओं के लिए वार्डों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए सामान्य वार्डों तथा अनुसूचित जातियों तथा/या अनुसूचित जनजातियों तथा/या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों की पृथक्-पृथक् पर्चियां तैयार की जाएंगी तथा ऐसी प्रत्येक पर्ची पर वार्डों के पृथक्-पृथक् क्रमांक लिखे जाएंगे. सामान्य वार्डों के लिए अभिप्रेत समस्त पर्चियां एक बर्तन में रखी जाएंगी तथा आरक्षित वार्डों के लिए अभिप्रेत पर्चियां पृथक् बर्तन/बर्तनों में रखी जाएंगी. सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए स्थानों के आवंटन के लिए उतनी पर्चियां निकाली जाएंगी जितनी कि अपेक्षित हों तथा पर्ची में लिखे गए वार्ड के क्रमांक पर्ची निकालते समय उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पढ़कर सुनाए जाएंगे. यही प्रक्रिया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा/या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए वार्डों के आवंटन के लिए बर्तन में से पर्ची निकालने के लिए अपनाई जाएगी.

(घ) कार्यवाहियां लेखबद्ध की जाएंगी तथा विहित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी. ऐसी कार्यवाहियों पर कम से कम दो अशासकीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर लॉट निकालने की साक्ष्य के बतौर भी अभिप्राप्त किए जाएंगे. उनके हस्ताक्षर के नीचे उनके नाम और पते भी लिखे जाएंगे.

*''(ङ) ग्राम पंचायत के पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में, उन स्थानों के प्रवर्गों के लिए, जो लॉट निकालकर तथा चक्रानुक्रम में आरक्षित किये जाते हैं, उन वार्डों को, जो पूर्व में आरक्षित किए गए हैं उस प्रवर्ग हेतु लॉट निकालने से तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक कि ऐसे समस्त वार्डों का उपयोग न कर लिया जाए.''

5. **जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के निर्वाचन-क्षेत्रों को बनाने में विचारार्थ लिए जाने वाले विषय.**— **''(1) किसी ''खण्ड'' तथा ''जिले'' का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन क्रमश: धारा 23 तथा धारा 30 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में किया जाएगा,—

(क) प्रथम निर्वाचन के दौरान; या

(ख) ऐसे मामले में, जबकि यथास्थिति ''खण्ड'' या ''जिला'' की सीमाओं में, किसी समीपस्थ स्थानीय क्षेत्र को उसमें सम्मिलित करने या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र को उसमें से अपवर्जित करने के कारण परिवर्तन किया गया हो; या

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

** अधिसूचना क्रमांक एफ-1-40-95-बाईस पं.2, दिनांक 5-3-1999 द्वारा प्रतिस्थापित.

(ग) यदि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात पंचायत क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से समान न रह गया हो.''

(2) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासंभव एक जैसी होगी.

(3) किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्राम को सम्मिलित किया जावेगा और निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित सभी ग्राम यथाशक्य लगातार क्रम में होंगे.

(4) जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के नाम से अनुक्रमांक दिया जाएगा.

(5) इस नियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन-क्षेत्रों को उनके विवरण सहित निम्नानुसार चिपकाकर अधिसूचित किया जाएगा:—

(एक) कलेक्टर कार्यालय के सूचना फलक पर;

(दो) जिला पंचायत कार्यालय के सूचना फलक पर;

(तीन) विकासखण्ड कार्यालय के सूचना फलक पर;

(चार) जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना फलक पर;

(पांच) तहसीलदार कार्यालय के सूचना फलक पर;

(6) कोई भी वयस्क निवासी, यदि वह उपनियम (5) के अधीन चिपकाए गए विवरण में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति करता है, विवरण के चिपकाए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर कलेक्टर को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा.

(7) आपत्तियां, यदि कोई हों, के प्राप्त होने पर कलेक्टर प्रत्येक आपत्ति के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा तथा उस पर अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा.

(8) कलेक्टर उसके पश्चात् अपने विनिश्चय के अनुसार विवरण में संशोधन करेगा तथा निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगा तथा वे उप-नियम (5) में विहित की गई रीति से उसके द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाएंगे.

*(9) कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त उप-नियमों में विहित रीति में एक बार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा उसके क्षेत्र का निर्धारण कर लिए जाने पर पश्चात्वर्ती निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा उनके क्षेत्र वहीं रहेंगे, जब तक कि उप-नियम (1) में उल्लिखित दशाओं में से कोई दशा उद्भूत न हो जाए तथा कलेक्टर पश्चात्वर्ती निर्वाचनों में निर्वाचन क्षेत्रों, उनके क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य तथा महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का एक विवरण उप-नियम (5) में विहित रीति में अधिसूचित तथा प्रकाशित करेगा.''

6. **निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण.**—(1) जनपद पंचायत के मामले में धारा 23 के तथा जिला पंचायत के मामले में धारा 30 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे, अवधारित किए जाएंगे.

**''परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण अधिनियम की धारा 129-ङ के उपबंधों के अनुसार होगा.''.

(2) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत क्षेत्र की ऐसी जाति या जनजाति की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी, आधे से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा तथा आधे या आधे से अधिक को एक गिना जाएगा.

**''(3) अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को, यथासाध्य, उन निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किया जाएगा जिनमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की कलेक्टर द्वारा निकाली गई प्रतिशतता, उसके द्वारा अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाई जाए:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और यदि कोई कमी रह जाती है तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शेष स्थानों को लॉट निकालकर तथा चक्रानुक्रम से अवधारित किया जाएगा.''.

---

*अधिसूचना दिनांक 5-3-1999.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(4) किसी जनपद पंचायत में और किसी जिला पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किए गए हों वहां कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, निर्वाचन क्षेत्रों में विहित प्राधिकारी द्वारा चक्रानुक्रम से और लॉट निकालकर आवंटित किए जाएंगे.

*''परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों के लिए पूर्व में आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर यथास्थिति, उस जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अनुसूचित क्षेत्र में के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे, चक्रानुक्रम से तथा लॉट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे.''

(5) जनपद पंचायत के मामले में धारा 23 तथा जिला पंचायत के मामले में धारा 30 के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से उतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिनका यथाशक्य निकटतम अनुपात महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के साथ वही होगा, जो ऐसी जातियों, ऐसी जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुल निर्वाचन क्षेत्रों का यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत में कुल निर्वाचन क्षेत्रों के साथ है. ऐसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्थान ऐसी जातियों/जनजातियों और/या पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से आवंटित किए जाएंगे. सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए स्थान शेष रहे निर्वाचन क्षेत्रों में से आवंटित किए जाएंगे.

(6) (क) विहित प्राधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों को जिनमें उप-नियम (4) तथा (5) के अधीन स्थान, आवंटित किए जाएंगे, नियत करने के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक्-पृथक् रूप से लॉट निकालेगा.

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी एक सूचना यह दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा कि लॉट ऐसे कार्यालय में जिसका नाम ऐसी सूचना में दिया जाएगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय पर ऐसे व्यक्तियों के सामने निकालेगा जो लॉटों के निकालने के साक्ष्य के रूप में उपस्थित हों ऐसी सूचना नियम 5 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रकाशित की जाएगी.

(ग) महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और/या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पृथक्-पृथक् पर्चियां तैयार की जाएंगी तथा ऐसी प्रत्येक पर्ची पर निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक लिखे जाएंगे. प्रत्येक प्रवर्ग की पर्चियां पृथक्-पृथक् बर्तनों में डाली जाएंगी तथा प्रत्येक बर्तन में से उतनी पर्चियां निकाली जाएंगी जितनी उस प्रवर्ग की महिलाओं के लिए अपेक्षित हों तथा पर्ची में लिखे गए निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष पढ़कर सुनाए जाएंगे.

(घ) कार्यवाहियां लेखबद्ध की जाएंगी तथा विहित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी. ऐसी कार्यवाहियों पर कम से कम दो अशासकीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर लॉट निकालने के साक्ष्य के बतौर भी अभिप्राप्त किए जायेंगे. उनके नाम तथा पते उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखे जाएंगे.

*''(ङ) यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में, उन स्थानों के प्रवर्गों को, जो लॉट निकालकर तथा चक्रानुक्रम में आरक्षित किए जाने हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों को, जो पूर्व में आरक्षित किए गए हैं, उस प्रवर्ग हेतु लॉट निकालने से तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक कि ऐसे समस्त निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग न कर लिया जाए.''

अध्याय 3—सरपंच के लिए पदों का आरक्षण

7. **सरपंच के लिए आरक्षित स्थानों का अवधारण.**—(1) ऐसी पंचायतें, जिनमें धारा 17 के उपबंधों के अनुसार खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में स्थान आरक्षित रखे जावेंगे, विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएंगी.

*''परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरपंच का पद अधिनियम की धारा 129-ङ के उपबंधों के अनुसार आरक्षित होगा.''

(2) विहित प्राधिकारी—

(एक) ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थानों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित करने के प्रयोजन के लिए, खण्ड के भीतर की समस्त ग्राम पंचायतों के नामों की पर्चियां एक बर्तन में रखेगा और उसमें से निम्नलिखित क्रम में, उस सीमा तक लॉट निकालेगा जो कि धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन आरक्षण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, अर्थात् :—

(क) अनुसूचित जातियां;
(ख) अनुसूचित जनजातियां; और
(ग) अन्य पिछड़े वर्ग.

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99

(दो) ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थानों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आवंटित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी पर्चियों को जिन पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों के नाम लिखे होंगे, भिन्न-भिन्न बर्तनों में रखेगा और उनमें से उस सीमा तक लॉट निकालेगा जो कि धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है.

(3) लॉट निकालने के प्रयोजन के लिए एक सूचना, जिसमें लॉट निकालने के लिए स्थान, तारीख और समय वर्णित होगा. लॉट निकालने की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व ग्राम पंचायत के संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार प्रदर्शित की जाएगी :—

(क) कलेक्टर कार्यालय के सूचना फलक पर ;

(ख) उस तहसील के, जिसके भीतर वह खण्ड आता है, कार्यालय के सूचना फलक पर;

(ग) संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना फलक पर;

(घ) संबंधित खण्ड के भीतर की प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर.

(4) लॉट निकालने संबंधी कार्यवाहियां लेखबद्ध की जाएंगी और विहित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षारित की जाएंगी. लॉट निकालने के समय उपस्थित कम से कम दो अशासकीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाएंगे और ऐसी कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखे जाएंगे.

**"(5) ग्राम पंचायत के पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में पूर्व में आरक्षित ग्राम पंचायत को, उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लॉट निकालने से तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक कि ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों का उपयोग न कर लिया जाए.".

8. आरक्षण के मामले में सहायता.—राज्य सरकार, संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, कलेक्टर तथा विहित प्राधिकारी वार्डों को बनाने, स्थानों के आरक्षण तथा आवंटन के मामले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से आवश्यक सहायता ले सकेंगे.

अध्याय 4—मतदाता सूची

9. मतदाता सूची का तैयार किया जाना.—(1) आयोग, धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप-1 में तैयार करवाएगा.

(2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करेगा.

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों को करने के लिए सक्षम होगा.

*" **10. दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन.**—(1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए दावे तथा उसमें किसी प्रविष्टि पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्ररूप में, जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए, सार्वजनिक सूचना देगा तथा सूचना को—

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
(ख) सम्बन्धित ग्राम पंचायत, और
(ग) वह जनपद पंचायत, जिसके भीतर ग्राम पंचायत स्थित है,

के कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित कराएगा.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-99.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वे कार्यालय, जहां पर आपत्तियां या दावे दाखिल किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची की एक प्रति जनता द्वारा नि:शुल्क निरीक्षण के लिए, सूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम पांच दिन की कालावधि के लिए अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराएगा.

(4) मतदाता सूची की प्रति किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसा कि आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी.''

11. दावे तथा आपत्तियां.—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी भी व्यक्ति के नाम को उस सूची में सम्मिलित कर लिए जाने पर आपत्ति हो, नियम 10 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अंतिम दिन को अधिक से अधिक 3 बजे अपराह्न तक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी.

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए प्रस्तुत की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त नामांकित किया जाए, पेश की जाएगी.

(3) कोई दावा या आपत्ति ऐसे दस्तावेजों सहित होंगे जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है.

12. दावों तथा आपत्तियों का निपटारा.—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर, आपत्तिकर्ता को नि:शुल्क तत्काल उपलब्ध कराएगा.

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा.

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में, यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी.

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के मान्य किए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए संशोधित करे. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन, नियम 28 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम निर्देशन के लिए नियत की गई अंतिम तारीख और समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जाएगा.

13. प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना:—जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रुपये फीस का भुगतान करने पर नियम 12 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां उतनी फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिए विहित की गई है.

14. मतदाता सूची की अवधि तथा उसका पुनरीक्षण.—(1) नियम 12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि उपनियम (2) या उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए.

(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से—

(एक) पंचायतों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी पंचायत में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उपनिर्वाचन के पूर्व,

पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी.

(3) उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा, यदि ऐसा उप-निर्वाचन उस कैलेण्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है :

परन्तु आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा.

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसका निरन्तर प्रवर्तन में रहना उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा.

*15. ''**मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना**'' नियम 15-क के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए नियम 12 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार, समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा:

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख को देखते हुए ही दृष्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 28 के अधीन नाम-निर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी.''

''**15-क. कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना.**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम 12 के अधीन पंचायत की मतदाता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसमें से किसी व्यक्ति का नाम इस आधार पर विलोपित किया जाना चाहिए कि सम्बद्ध व्यक्ति किसी अन्य पंचायत या किसी नगरपालिका की मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देश यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस निमित्त कोई कार्रवाई करने के पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को, उसके सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्रवाई की बाबत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन किसी पंचायत के वार्ड या उस निर्वाचन क्षेत्र जिसके भीतर वह वार्ड समाविष्ट है, से निर्वाचन के लिये नियम 28 के अधीन जारी सूचना में नाम-निर्देशन के लिये नियत अन्तिम तारीख के पश्चात् और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 33, 4-2-1998.

(4) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय से 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा.

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा.''

16. **कागज-पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.—नियम 10 के अधीन प्रकाशित प्रारम्भिक मतदाता सूची, नियम 11 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम 15-क के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित कागज-पत्र तब तक, जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता, जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेख कोष्ठ में परिरक्षित रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.''.

अध्याय-5—निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र

17. निर्वाचन संचालित करने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारीवृन्द.—(1) राज्य सरकार, जब आयोग द्वारा ऐसा निवेदन किया जाए, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगी जो कि अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन आयोग को प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों.

(2) अधिनियम या इन नियमों के अधीन मतदाता सूचियां तैयार करने और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए या लगाए गए समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे.

*''(3) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त या अभिनियोजित किए गए अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को आयोग ऐसे कर्तव्य तथा कृत्य सौंप सकेगा और ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में उन्हें ऐसी शक्तियों से वेष्ठित कर सकेगा, जैसा कि वह निर्वाचन के संचालन और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक या ठीक समझे''.

उक्त नियमों में,—

***''**17-क. पंचायत के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये यान आदि का अधिग्रहण.**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि उसे मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन निर्वाचन के संबंध में यह आवश्यक प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान केन्द्र से मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन हेतु किसी यान, जलयान या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा, जो उसे ऐसे अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों.

(2) ऐसा अधिग्रहण उस व्यक्ति को, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संपत्ति का स्वामी समझा गया हो या उस व्यक्ति को, जो उसका कब्जा रखता हो, संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जाएगा, जिसे वह संबोधित किया गया है.

(3) जब कभी किसी संपत्ति का उपनियम (1) के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि, उस कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए उप नियम (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति अपेक्षित है.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''यान'' से अभिप्रेत है कोई यान जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाये जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो.

17-ख. प्रतिकर का संदाय.—जब कभी नियम 17-क के अनुसरण में किसी यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा, जिसकी रकम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिए ऐसे यान, जलयान या पशु हेतु नियत की गई हो :

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 83, 17-2-1999.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 33, 4-2-1998.

***मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 177, 11-4-2002.

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की गई प्रतिकर की रकम से व्यथित कोई व्यक्ति, प्रतिकर अवधारित किये जाने के आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा. संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा.

17-ग.यानों, जलयानों तथा पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति.—17-क के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तामील,—

(क) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित है कोई निगम या फर्म हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में; और

(ख) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित हो, कोई व्यक्ति हो तो,—

(एक) आदेश की व्यक्तिश: परिदत्त या निविदत्त करके; या

(दो) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा; या

(तीन) यदि व्यक्ति नहीं पाया जा सके तो आदेश की अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या ऐसी प्रति उस परिसर के जिसमें उसका अंतिम निवास करना या कारबार करना अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिश: कार्य करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर, की जाएगी.

17-घ. **अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लघंन के लिए शास्ति.**—यदि कोई व्यक्ति, नियम 17-क के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लघंन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.''

18. **आयोग की सामान्य या विशेष आदेश या निर्देश देने की शक्ति.**—आयोग इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निष्पक्ष तथा समुचित निर्वाचन के लिए ऐसे विशेष या सामान्य आदेश या निर्देश जारी कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो.

''19. जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी.—(1) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एक या अधिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जैसा कि जिले में पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक समझा जाए, नियुक्त करेगा.

(2) आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पंचायतों के समस्त निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों का समन्वय तथा पर्यवेक्षण करेगा.

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग आफिसर भी होगा.

***19-क-प्रेक्षक.**—(1) आयोग किसी पंचायत के निर्वाचन या पंचायतों के समूह के निर्वाचनों के संचालन के प्रेक्षण और ऐसे अन्य कृत्यों को करने के लिये जो आयोग द्वारा उसे सौंपे जाएं, एक प्रेक्षक नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(2) उप-नियम (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट प्रेक्षक को, किसी ऐसी पंचायत के रिटर्निंग आफिसर को जिसके लिए उसे नाम-निर्दिष्ट किया गया है, परिणाम घोषित होने के पहले किसी भी समय मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में उस पंचायत के किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के लिये नियत स्थान पर ''बूथ पर कब्जा करने'' की घटना हुई है या किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतपत्र गैर-कानूनी तौर पर रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से बाहर ले जाए गये हों या दुर्घटनावश या इरादतन विनष्ट हो गये हों या खो गये हों या इस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 33, 4-2-1998.

(3) जहां इस नियम के अधीन प्रेक्षक के रिटर्निंग आफिसर को मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश दिया हो वहां प्रेक्षक तत्काल आयोग को रिपोर्ट करेगा और तदुपरान्त आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर नियम 72 के अधीन समुचित निर्देश जारी करेगा.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति ''बूथ पर कब्जा करना'' का वही अर्थ होगा जो इसके लिये मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा-14 घ में दिया गया है.''.

20. रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति.—आयोग, या जब आयोग द्वारा ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया जाए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिला पंचायत से भिन्न किसी पंचायत में किसी स्थान को भरने के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करेगा :

परन्तु इस नियम में कोई भी बात आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी को, एक या अधिक पंचायतों के निर्वाचन के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी.

21. सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति.—(1) आयोग या जब आयोग द्वारा ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया जाए. जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

(2) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा.

(3) इन नियमों में रिटर्निंग आफिसर के प्रति किए गए किसी निर्देश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सहायक रिटर्निंग आफिसर सम्मिलित समझा जाएगा.

22. रिटर्निंग आफिसर का सामान्य कर्तव्य.—किसी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समस्त कार्य तथा बातें करे, जो इन नियमों द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक हो.

*''**23. मतदान केन्द्र.**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी इन नियमों के अधीन प्रत्येक निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और मतदान की तारीख से कम से कम 20 दिन पूर्व एक ऐसी सूची प्रकाशित करेगा, जिसमें मतदान केन्द्र तथा ऐसे मतदान क्षेत्र, जिनके लिए वे बनाए जाएंगे, दर्शाए गए हों.

(2) उप-नियम (1) के अधीन बनाई गई सूची का प्रकाशन :—

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी,
(ख) रिटर्निंग आफिसर,
(ग) सम्बन्धित पंचायत,

के कार्यालय के सूचना-फलक पर उसकी एक प्रति चिपकाकर किया जाएगा.

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित किए गए किसी मतदान केन्द्र की अवस्थिति में, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि आयोग द्वारा किसी मतदान केन्द्र की अवस्थिति में परिवर्तन अनुमोदित किया जाता है तो उसे—

(क) प्रभावित ग्राम पंचायत में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा, और
(ख) संबंधित अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा, यथासंभव शीघ्र लिखित में संसूचित किया जाएगा.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 83, 17-2-99.

24. पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति.—(1) रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए इतने मतदान अधिकारी या अधिकारियों को जितने कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा:

*"परन्तु कोई भी व्यक्ति जो,—

(एक) सरकारी सेवक नहीं है, या

(दो) स्थानीय प्राधिकारी का सेवक नहीं है, या

(तीन) किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय का सेवक नहीं है, या

(चार) कोई ऐसी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम नहीं है जो प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित है या जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई निधियों द्वारा नियंत्रित न हो या पूर्णरूप से या सारभूत रूप से वित्तपोषित न हो,

पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा." :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है. या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, पूर्ववर्ती मतदान अधिकारी के अनुपस्थित रहने के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तद्नुसार रिटर्निंग आफिसर को उसकी सूचना देगा.

(2) मतदान अधिकारी आयोग के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा.

(3) यदि पीठासीन अधिकारी रुग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से, मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिये बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो.

(4) इन नियमों में पीठासीन अधिकारी के प्रति किए गए निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे किन्हीं भी कृत्यों का, जिसका पालन करने के लिए वह यथास्थिति उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, पालन कर रहा हो, सम्मिलित समझा जाएगा.

25. **पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्तव्य.**—किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है.

26. **मतदान अधिकारी का कर्तव्य.**—किसी मतदान केन्द्र में प्रत्येक मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें.

27. **जिला निर्वाचन अधिकारी का नियंत्रण.**—रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा ऐसे अन्य समस्त व्यक्ति जो इन नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हों, आयोग के सर्वोपरि निर्देश तथा नियंत्रण के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे.

"27-क. **रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना:—किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस अध्याय के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की सूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे".

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र 177, 11-4-2002.

अध्याय-6—निर्वाचन का संचालन

28. निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिये समय अनुसूची.—आयोग द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी यथास्थिति प्ररूप 2 या 3 में सूचना द्वारा :—

(क) नामनिर्देशन के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से सातवें दिन की होगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा, जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए तारीख, समय तथा स्थान और ऐसी तारीख जो नामनिर्देशन के लिए नियत की गई अंतिम तारीख से ठीक आगामी दिन की होगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन, जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख जो नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तारीख से पश्चात् का दूसरा दिन होगा, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन, जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

(घ) वह तारीख जिसको और वह समय, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान किया जाएगा; और

(ङ) मतगणना के लिए तारीख, समय और स्थान;

(च) *सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख, समय तथा स्थान. विनिर्दिष्ट करेगा.

टिप्पणी.—"सार्वजनिक अवकाश" से अभिप्रेत है कोई दिन, जिसे राज्य में उसके कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी कोषालयों तथा उपकोषालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अवकाश का दिन घोषित किया गया हो.

"29. **नियम 28 के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति.**—नियम 28 के अधीन सूचना का प्रकाशन, मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 20 दिन पूर्व ऐसी सूचना की एक प्रति—

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी,

(ख) रिटर्निंग आफिसर, और

(ग) सम्बन्धित पंचायत,

के कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाकर किया जाएगा."

"29-क. **स्थानों (सीटों) के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन:**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, नियम 28 के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ-साथ पंचायत में प्रत्येक स्थान (सीट), जिसके लिए निर्वाचन होना है, के आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुए, यथास्थिति, प्ररूप 3-क या 3-ख में, एक सूचना :—

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी,

(ख) रिटर्निंग आफिसर,

(ग) सम्बन्धित पंचायत,

के कार्यालय के सूचना फलक पर उसकी प्रति चिपकाकर प्रकाशित कराएगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उतनी ही फीस का भुगतान करने पर, जितनी कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिए विहित की गई है, जनता के किसी सदस्य की मांग पर, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रमाणित प्रति, तत्काल प्रदाय की जाएगी."

30. **निर्वाचन पूर्ण करने के लिए समय का बढ़ाया जाना.**—निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों से, जिन्हें वह उचित समझे, किसी निर्वाचन को पूरा करने के लिए, नियम 28 के अधीन उसके द्वारा विहित की गई समय अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर के समय बढ़ाने में सक्षम होगा.

31. **अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन.**—(1) किसी स्थान की पूर्ति हेतु कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किया जा सकेगा, यदि वह उस स्थान की पूर्ति करने हेतु अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित है:

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के लिए कोई व्यक्ति जो यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं है या महिला नहीं है, ऐसे स्थान के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा.

(2) नियम 32 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र—

(एक) पंच के निर्वाचन के मामले के प्ररूप 4-क में,

(दो) सरपंच के निर्वाचन के मामले में प्ररूप 4-ख में,

(तीन) जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में प्ररूप 4-ग में,

(चार) जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में प्ररूप 4-घ में

होगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मतदाता के मांग करने पर नामनिर्देशन-पत्र प्रदाय किया जाएगा.

*''31-क. **अभ्यर्थियों के आपराधिक अभिलेख, संपत्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी** :—

(1) पंच के पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए #प्ररूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों, स्वयं की तथा उसके/उसकी पति या पत्नी और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जानकारी उसके/उसकी जीवित संतान की संख्या की तथा इस बारे में जानकारी सम्मिलित होगी कि क्या वह सरकारी भूमि पर एक अधिक्रमणकर्ता है?

(2) सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए ##प्ररूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों, स्वयं की तथा उसके/उसकी पति या पत्नी और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जानकारी, उसके/उसकी जीवित संतान की संख्या की तथा इस बारे में जानकारी सम्मिलित होगी कि क्या वह सरकारी भूमि पर एक अधिक्रमणकर्ता है? शपथ-पत्र पर, सक्षम नोटरी, मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी.

(3) पंच, सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र/घोषणा की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी. इसकी प्रति किसी भी नागरिक को मांग की जाने पर विहित फीस का भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी.''

32. **नामनिर्देशन-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना.**—(1) नियम 28 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी व्यक्तिश: या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 28 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर को सम्यक्रूप से पूर्ण विहित प्ररूप में भरा गया और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित, और—

(क) पंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम के संबंधित वार्ड के किसी मतदाता द्वारा;

(ख) सरपंच के निर्वाचन के मामले में संबंधित ग्राम के किसी मतदाता द्वारा;

(ग) जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में खण्ड के भीतर के किसी ग्राम के मतदाता द्वारा; और

(घ) जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में जिले के भीतर के किसी ग्राम के किसी मतदाता द्वारा;

प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा.

(2) इस नियम में की कोई भी बात किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने से निवारित नहीं करेगी:

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 387, 20-9-2004.

#राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश एवं प्ररूप इस नियम के अंत में पृष्ठ 99-100 पर है.

##राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश एवं प्ररूप इस नियम के अंत में पृष्ठ 104-105 पर है.

परन्तु किसी पद पर निर्वाचन के लिए किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से दो से अधिक नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

*** ''33. **प्रतिभूति निक्षेप:**—(1) किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक्रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक उसने नियम 32 के अधीन नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नलिखित धनराशि प्रतिभूति के रूप में नकद में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात् :—

****(क) किसी वार्ड के पंच के मामले में 200 रुपए,

(ख) किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के मामले में 1,000 रुपए,

(ग) किसी जनपद पंचायत के सदस्य के मामले में 2000 रुपए,

(घ) किसी जिला पंचायत के सदस्य के मामले में 4000 रुपए :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, वहां इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग प्रतिभूति (निक्षेप) के रूप में जमा करना होगा.

(2) यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए, एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करता है तो उससे उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी.''

34. **नामनिर्देशन तथा संवीक्षा के लिए समय और स्थान की सूचना:**—(1) नियम 32 के उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथाप्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम और अनुक्रमांक उसी प्रकार प्रविष्ट किए गए हैं जैसे कि वे मतदाता सूची में प्रविष्ट है:

परन्तु रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन-पत्र में गलत नाम या अशुद्ध वर्णन या लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि को सुधारने की अनुज्ञा देगा और जहां आवश्यक हो, वहां नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन का लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि की अनुवेक्षा करेगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करने वाले व्यक्ति को नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा और नामनिर्देशन-पत्र पर उसका अनुक्रमांक दर्ज करेगा तथा वह तारीख और समय जिसको कि नामनिर्देशन-पत्र उसे परिदत्त किया गया हो, अभिकथित करते हुए उस पर एक प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करेगा और उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र अपने कार्यालय के सूचना फलक पर नामनिर्देशन संबंधी एक ऐसी सूचना चिपकाएगा जिसमें अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक दोनों के संबंध में वे ही ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जो नामनिर्देशन पत्र में अंतर्विष्ट हैं.

35. **नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.**—(1) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियम 28 के अधीन नियत की गई तारीख को, अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक-एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक्रूपेण प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति इस निमित्त नियम 28 के अधीन नियत समय तथा स्थान पर उपस्थित हो सकेंगे किन्तु कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेगा और रिटर्निंग आफिसर उन समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों का, जो कि नियम 32 के द्वारा यथाअपेक्षित रूप में परिदत्त किये गये हों, परीक्षण करने के लिए उन्हें समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर तब नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों को, जो किसी नामनिर्देशन के संबंध में की जाएं, विनिश्चित करेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वयं की प्रेरणा से, ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी भी नामनिर्देशन-पत्र को निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर नामंजूर कर सकेगा, आर्थात्:—

(क) यह कि अभ्यर्थी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान की पूर्ति करने हेतु निर्वाचित किए जाने के लिए निरर्हित है;

(ख) यह कि प्रस्तावक नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;

(ग) यह कि नियम 31, 31-क**, 32 या 33 के किन्हीं भी उपबंधों का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यह कि नामनिर्देशन-पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, 11-4-2002.

***मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 387, 20-9-2004.

****मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 409, 21-9-2012

(3) उपनियम (2) के खण्ड (ग) या (घ) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी भी अभ्यर्थी के नाम निर्देशन के उसके नामनिर्देशन-पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के आधार पर नामंजूर करने हेतु प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि अभ्यर्थी किसी अन्य नामनिर्देशन-पत्र द्वारा, जिसके संबंध में कोई अनियमितता न की गई हो, सम्यक्रूपेण नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो.

(4) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन-पत्र को केवल किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो सारभूत प्रकार की न हो.

(5) रिटर्निंग आफिसर इस निमित्त नियम 28 के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों को, दंगे या खुले रूप में हिंसा या उसके नियंत्रण से परे कारणों से ऐसी कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा उपस्थित होने के सिवाय अन्यथा स्थगन की अनुज्ञा नहीं देगा:

परन्तु रिटर्निंग आफिसर द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति की जाने की दशा में अभ्यर्थी को उसके खण्डन करने के लिए अधिक से अधिक आगामी दिन तक का समय दिया जा सकेगा और रिटर्निंग आफिसर उस तारीख को, जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई हों, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा.

(6) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकार करने या नामंजूर करने संबंधी अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशित-पत्र नामंजूर किया जाता है तो ऐसी नामंजूरी के लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा. रिटर्निंग आफिसर द्वारा पारित किया गया आदेश, नियम 36 के अधीन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा.

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि का पेश किया जाना उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के संबंध में तब तक निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी निरर्हित है.

(8) समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा कर लिए जाने तथा उन्हें स्वीकार या नामंजूर करने संबंधी विनिश्चय के अभिलिखित कर लिए जाने के ठीक पश्चात् रिटर्निंग आफिसर वार्डवार या निर्वाचन क्षेत्रवार उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामनिर्देशन स्वीकार कर लिए गए हैं, प्ररूप-5 में सूचियां तैयार करेगा और चिपकाए जाने की तारीख और समय सम्यक्रूप से अपने हस्ताक्षर के नीचे अभिलिखित करते हुए सूचियों को अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाएगा.

(9) यदि रिटर्निंग आफिसर के द्वारा किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन अन्वेक्षा या आपत्ति के अभाव या अन्य किसी भी कारण से एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस नामनिर्देशन को नजर अंदाज करेगा जो समय की दृष्टि से बाद में परिदत्त किया गया है और इस तथ्य को नामनिर्देशन-पत्र पर अभिलिखित करेगा तथा प्रश्नाधीन वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की विधिमान्यत: नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप-5 में से उस अभ्यर्थी का नाम विलोपित करेगा या कराएगा रिटर्निंग आफिसर अपने कार्यालय के सूचना फलक पर भी प्ररूप-5 में विधिमान्यत: नामनिर्देशित अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित सूची की एक प्रति, जिस पर चिपकाने को तारीख व समय उसके हस्ताक्षर के नीचे अभिलिखित हो, चिपकवाएगा.

36. **कतिपय मामलों में नामंजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों का पुनरीक्षण.**—(1) नियम 35 के अधीन नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् यदि किसी स्थान के लिए, अन्य समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों को नामंजूर हो जाने के परिणामस्वरूप केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो रिटर्निंग आफिसर तत्काल यह तथ्य निम्नलिखित प्राधिकारी को, जो इसमें इसके पश्चात् पुनरीक्षण प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है प्रतिवेदित करेगा, अर्थात्:—

(एक) ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के निर्वाचन के मामले में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को,

(दो) जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, कलेक्टर को, तथा

(तीन) जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, संभागायुक्त को, और

(क) प्रश्नाधीन स्थान के लिए समस्त अभ्यर्थियों की सूचना के लिए अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्ररूप 5-क में यह सूचना चिपकाएगा कि नामनिर्देशन-पत्र नामंजूर करने संबंधी उसका आदेश पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अधीन है और उसके आदेश से व्यक्ति कोई अभ्यर्थी, सूचना में उल्लिखित तारीख, समय और स्थान पर, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है, तथा

(ख) प्रश्नाधीन स्थान के लिए प्राप्त नामनिर्देशनों से संबंधित समस्त कागज-पत्र पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ताकि वे उसके पास अधिकतम अगले दिन 11.00 बजे तक पहुंच जाएं.

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन मामलों पर विचार करने का दिन नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् का अगला दिन होगा, जिसमें कि सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित रहेगा.

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित की गई सूचना का प्रसंज्ञान करेगा तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मामले में विचार करने के पूर्व पृथक् से किसी अभ्यर्थी को कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी.

(4) प्रश्नाधीन स्थान के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकारी होगा.

(5) पुनरीक्षण प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन प्ररूप 5-क में जारी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामंजूर किए गये नामनिर्देशन-पत्रों का एक-एक करके परीक्षण प्रारम्भ करेगा और यदि वह पाता है कि किसी नामनिर्देशन-पत्र को गलत नामंजूर किया गया है तो वह, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित रिटर्निंग आफिसर द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षित करते हुए ऐसे नामनिर्देशन-पत्र को वैध घोषित करेगा.

(6) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक मामले को तत्परता से निपटारा करेगा और मामले की नस्ती को अपने आदेश की एक अभिप्रमाणित प्रति के साथ शीघ्रतम संभव रीति से रिटर्निंग आफिसर को वापिस करेगा ताकि अभ्यर्थिता वापसी के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को 2.00 बजे अपराह्न के पूर्व उसके पास पहुंच जाए:

परन्तु यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी मामले को पूर्वोक्त समयावधि में निराकृत करने में असफल रहता है तो रिटर्निंग आफिसर प्रश्नाधीन स्थान के लिए निर्वाचन को स्थगित कर देगा तथा स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को प्रतिवेदन भेजेगा.

(7) पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन वैध घोषित करने वाला आदेश प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर नियम 35 के अधीन प्ररूप 5 में तैयार की गई विधिमान्यत: नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची में ऐसे अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित करेगा तथा प्ररूप-5 में पुनरीक्षित सूची की एक प्रति, अपने हस्ताक्षर के नीचे चिपकाए जाने की तारीख तथा समय सम्यक्रूप से अभिलिखित करते हुए, अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाएगा.

37. **अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना.**—(1) कोई अभ्यर्थी नियम 28 के खण्ड (ग) के अधीन नियत की गई तारीख तथा समय तक रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 6 में आवेदन परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा.

*"(2) आवेदन-पत्र को अभ्यर्थी के द्वारा व्यक्तिश: या उसके प्रस्तावक या ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, दिया जा सकेगा और आवेदन-पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को, नियम 32 के अधीन नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय दी गई नामनिर्देशन-पत्र की रसीद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, ऐसी सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(4) रिटर्निंग आफिसर उपनियम (2) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी आवेदन की वास्तविकता तथा उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अपना समाधान कर लेने पर, उस अभ्यर्थी के ब्यौरे देते हुए जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है, एक सूचना प्ररूप-7 में अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकवाएगा.

38. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(1) रिटर्निंग आफिसर ऐसी कालावधि, जिसके भीतर नियम 28 के अधीन अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकती हो, समाप्त होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की, अर्थात् उन अभ्यर्थियों की जिनके नामनिर्देशन-पत्र अंतिम रूप से स्वीकर कर लिये गये हों तथा जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली हो, एक सूची यथास्थिति पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्ररूप -8-क, 8-ख, 8-ग या 8-घ में तैयार करेगा.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, 11-4-2002.

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्ण क्रमानुसार तथा पते जो कि नामनिर्देशन-पत्र में दिये गये हों, अन्तर्विष्ट होंगे तथा वह देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जाएगी.

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट वर्णक्रम, अभ्यर्थियों के नाम और या कुलनाम (सरनेम) के संदर्भ में, ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो आयोग द्वारा विहित की जाए.

39. निर्वाचन के लिए प्रतीकों का आवंटन.—(1) जहां मतदान आवश्यक हों वहां रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों में से एक प्रतीक आयोग द्वारा विहित रीति में देगा.

*"(2) आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये आदेश या अनुदेशों से असंगत के सिवाय किसी अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किया गया किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा, किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के निर्वाचन की दशा में, जिला निर्वाचन अधिकारी और जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य की दशा में राज्य निर्वाचन आयोग, आवंटन का पुनरीक्षण ऐसी रीति में कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(3) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अभ्यर्थी के लिए आवंटित किये गये प्रतीक की जानकारी तुरन्त दी जाएगी और उसका नमूना प्रदाय किया जाएगा.

40. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.**—(1) रिटर्निंग आफिसर, नियम 38 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किए जाने के तत्काल पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपका कर प्रकाशित करवाएगा और उसकी एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को प्रदाय करेगा.

** "40-क. **कतिपय मामलों में निर्वाचन का स्थगनः**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि मतदान की तारीख के पहले रिटर्निंग आफिसर को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी, जो प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है, का नामनिर्देशन किसी ऐसे स्थान के लिए चूक या आपत्ति न किए जाने या किसी अन्य कारण से स्वीकृत हो गया है, जो यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, तो वह तत्काल ऐसे अभ्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि वह उस वर्ग का सदस्य होने के बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, एक शपथ-पत्र दाखिल करे.

(2) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी, शपथ-पत्र दाखिल कर देता है तो रिटर्निंग आफिसर मामले में आगे जांच नहीं करेगा और नामनिर्देशन को वैध मानेगा.

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व शपथ-पत्र दाखिल करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस वर्ग का सदस्य नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित है और रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित प्राधिकारी को, जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, पूरे तथ्य प्रतिवेदित करेगा और नामनिर्देशन की वैधता के सम्बन्ध में अपने आदेश के पुनर्विलोकन के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करेगा, अर्थात् :—

(i) ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के निर्वाचन के मामले में	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(ii) जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, और	कलेक्टर, और
(iii) जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में,	संभागीय आयुक्त.

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (3) के अधीन उसे संदर्भित प्रत्येक मामले का तत्काल निपटारा करेगा और अपना आदेश रिटर्निंग आफिसर को यथाशीघ्र संसूचित करेगा.

(5) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर अपने आदेश का पुनरावलोकन करेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थी का नाम, नियम 35 के अधीन तैयार की गई विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची में से तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से,यदि ऐसी सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई हो, हटायेगा और नियम 40 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संशोधित सूची तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा :

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, 11-4-2002.

परन्तु इस बीच यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी ने उप-नियम (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में शपथ-पत्र दाखिल कर दिया है तो रिटर्निंग आफिसर अपने आदेश का पुनर्विलोकन नहीं करेगा.

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (3) के अधीन उसे संदर्भित मामले का निपटारा मतदान के दिन के कम से कम 5 दिन पहले करने में असफल रहता है या रिटर्निंग आफिसर को उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट नामनिर्देशन स्वीकार करने के सम्बन्ध में त्रुटि का ज्ञान उस दिन हो जिसके बाद मतदान के लिए 7 दिन से कम की अवधि बची हो तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे स्थान के लिए निर्वाचन स्थगित कर देगा और मामले की रिपोर्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को करेगा.

(7) आयोग, इस बात का समाधान हो जाने के पश्चात् कि रिटर्निंग आफिसर ने अपने आदेश का सम्यक् रीति से पुनर्विलोकन कर लिया है, प्रश्नाधीन स्थान के लिए निर्वाचन पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित समय-अनुसूची जारी करेगा.

अध्याय 7—अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता

41. **निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण.**—(1) यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्ति उपनियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप 9 में या तो नाम-निर्देशन पत्र परिदत्त करते समय या निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय की जाएगी.

(2) अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करके निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रतिसंहृत की जा सकेगी. ऐसा प्रतिसंहरण ऐसी तारीख से प्रभावशाली होगा जिसको कि वह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो. ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन के पूर्व या उसकी कालावधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, अन्यथा उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नये निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा.

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को जो पंचायत के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित हो, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि निरर्हता बनी रहती है.

42. **मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) की नियुक्ति.**—(1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय, जिसमें मतदान किया जाना हो, निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा. ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जिस पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, की जाएगी.

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो उसे मतदान के लिए नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा. पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा. किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र पर किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने इस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन न किया हो.

43. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति.**—(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता को प्ररूप 11 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जिस पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, नियुक्त कर सकेगा.

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी परिदत्त करेगा जो उसे मतगणना के लिए नियत की गई तारीख को रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा नियम 73 के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा. ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा. किसी गणन अभिकर्ता को मतगणना के लिए नियत स्थान पर किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि उसने उस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन न किया हो.

44. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.**—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी.

(2) ऐसी घोषणा—

(क) उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम सात दिन पहले प्रतिसंहत कर ली गई हो, रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) किस अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या उस मतदान केन्द्र के जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी.

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व हो जाती है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की रिपोर्ट :—

(क) उस दशा में जहां मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व हुई है, रिटर्निंग आफिसर को; और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर या उस मतदान केन्द्र के, जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को;

तत्काल लिखित में देगा.

(4) जब कभी रिटर्निंग आफिसर को उप नियम (1) या (2) के अधीन की गई घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो, वह यथास्थिति ऐसी घोषणा या रिपोर्ट तत्काल उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को संसूचित करेगा जहां ऐसा मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था.

(5) जहां किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहृत की गई हो या जहां मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व हो जाय वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय नियम 42 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु नए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी पत्र—

(क) उस दशा में जहां ऐसी नियुक्ति मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम सात दिन पहले की जाए रिटर्निंग आफिसर को दिया जाएगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा जहां नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया हो.

(6) इस उपनियम (5) के अधीन नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में नियम 42 के उपनियम (2) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे नियम 42 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं.

45. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.**—(1) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी. ऐसी घोषणा रिटर्निंग आफिसर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत की जायेगी.

(2) यदि किसी अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाती है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मृत्यु की लिखित रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को तत्काल देगा.

(3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहृत्त की गई हो, या जहां गणन अभिकर्ता का मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाए, वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, नियम 43 के उपनियम (1) में अधिकथित रीति में नये गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा.

(4) नियम 43 के उपनियम (2) के उपबंध उपनियम (3) के अधीन नियुक्त किये गये गणना अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे नियम 43 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किए गए गणना अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं.

अध्याय 8-निर्वाचन की साधारण प्रक्रिया

46. **मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.**—मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जाएगा. किन्तु यदि किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उस स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है, तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान कर लेने के पश्चात् मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इस तथ्य की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को करेगा और उस निर्वाचन के संदर्भ में समस्त कार्यवाहियां सभी दृष्टियों से नए रूप से इसमें इसके पूर्व के नियमों के अनुसार प्रारंभ की जाएगी जैसे कि वह नए निर्वाचन के लिए प्रारंभ की जाती है :—

(1) परन्तु, उस व्यक्ति के लिए, जो मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था अतिरिक्त नाम-निर्देशन आवश्यक नहीं होगा; और

(2) जिस व्यक्ति ने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना नियम 37 के उपनियम (1) के अधीन दे दी हो, वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा.

47. **निर्विरोध निर्वाचन.**—(1) यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापिस लिए जाने के लिए नियत तारीख तथा समय के पश्चात् केवल ऐसा एक अभ्यर्थी ही शेष रहता है, जिसका नामनिर्देशन-पत्र वैध होना पाया जाए तो रिटर्निंग आफिसर प्ररूप-24 में अभ्यर्थी को ऐसे स्थान की पूर्ति के लिए सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को देगा.

(2) यदि किसी स्थान के लिए कोई नामनिर्देशन-पत्र नहीं भरा गया है या यदि किसी स्थान के लिए किसी अभ्यर्थी को सम्यक्रूपेण नामनिर्देशन नहीं किया गया हो तो रिटर्निंग आफिसर इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजेगा जो इस अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार स्थान की पूर्ति करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा.

48. **सविरोध निर्वाचन.**—(1) नियम 47 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मतदान कराया जावेगा.

अध्याय 9—निर्वाचन के लिए मतदान तथा मतों का दिया जाना

49. **निर्वाचनों में मतदान की रीति.**—प्रत्येक निर्वाचन में, जिसमें मतदान कराया जाता है, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में मतपत्र द्वारा मत दिये जाएंगे और कोई भी मत परोक्षी (प्राक्सी) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

50. **मतपेटी.**—प्रत्येक मतपेटी, आयोग के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे परिकल्प (डिजाईन) की होगी जिसमें मतपत्र डाले तो जा सकें किन्तु मतपेटी खोले बिना और सील तोड़े बिना उन्हें निकाला न जा सके.

*50-क **निर्वाचनों में मतदान मशीनें**—नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट वार्डों/पंचायतों में मतदान मशीनों द्वारा मत देना और मत अभिलिखित करना उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि इसके पश्चात् यथा विहित है.

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए ''मतदान मशीन'' से अभिप्रेत है मत देने और मत अभिलिखित करने में उपयोग में लाई जाने वाली कोई मशीन या यंत्र जो इलेक्ट्रानिकरूप से या अन्यथा चलाया जाती हो और नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी भी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहां भी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन का उपयोग किया जाए, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश सम्मिलित है.''.

51. **मतपत्रों का प्ररूप.**—(1) प्रत्येक मतपत्र में उसके साथ प्रतिपर्ण संलग्न होगा और वह ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियों के साथ होगा जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए.

(2) मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में उसी क्रम में होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उनके निर्वाचन प्रतीक के सामने दिये गये हैं.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014.

52. **मतदान केन्द्र पर इन्तजाम.**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतपेटियों तथा मतपत्रों, मतदान क्षेत्र से संबंधित मतदाताओं की सूची की प्रतियों, मतपत्र चिह्नित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और साथ ही साथ ऐसे अन्य उपकरणों तथा सहायक सामग्रियों की भी जो मतदान के लिए अपेक्षित हों, पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करेगा.

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर, परदे की ओट में, दृष्टि में आये बिना, अपना मत दे सकें और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अन्दर हो.

53. **मतदान केन्द्र पर सूचनाएं.**—प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जाएंगी :—

(क) ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया हो जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों, और

(ख) एक सूचना, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में उसी क्रम में दिया गया हो, जिस क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम नियम 35 के अधीन प्रकाशित सूची में आये हों.

54. **मतदान केन्द्र में प्रवेश.**—पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और

(क) मतदान अधिकारियों;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों;

(ग) आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक मतदान अभिकर्ता;

(ङ) मतदाता के साथ गोदी का शिशु;

(च) अंधे या शिथिलांग मतदाता, जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, के साथ वाले व्यक्ति; और

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिए नियोजित करें;

के सिवाय समस्त अन्य व्यक्तियों को वहां से अपवर्जित करेगा.

55. **मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतपेटियों को बंद तथा सील किया जाना.**—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अभ्यर्थियों को, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं को, जो ऐसे केन्द्र पर उपस्थित हों, मतदान के काम में लाई जाने वाली प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें तथा वहां उपस्थित समस्त अन्य व्यक्तियों को यह दिखाएगा कि मतपेटी खाली है.

(2) पीठासीन अधिकारी उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करेगा और उस पर इस प्रकार सील लगाएगा कि पेटी में मतपत्र डालने के लिए बना हुआ छिद्र खुला रहे और अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं को जो वहां उपस्थित हों, यदि वे चाहें, तो उस प्रयोजन के लिए मतपेटी में बने हुए स्थान पर अपनी सीलें भी लगाने देगा.

(3) मतपेटी के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सील इस प्रकार लगाई जायेगी, जिससे कि ऐसी सील को या ऐसे किसी धागों को जिस पर सीलें लगी हों, तोड़े बिना मतपेटी को फिर से खोलना संभव नहीं हो सके.

56. **महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं.**—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हो, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक्-पृथक् टोलियों में प्रवेश करने दिया जायेगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए, और महिला मतदाताओं के बावत् मतदान लेने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी, और विशिष्टतः उस दशा में किसी महिला मतदाता की तलाशी में मदद करने के लिए जिसमें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिए ऐसी तलाशी आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा.

57. **मतदाताओं की पहचान.**—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा.

*"(1-क) राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता की पहचान के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे और यदि कोई मतदाता ऐसे निदेशों के अनुसार अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहता है तो उसे मतपत्र जारी नहीं किया जएगा और मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा.".

(2) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदाता के नाम और अन्य विशिष्टयों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब वह मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाएगा.

(3) किसी व्यक्ति के मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में मात्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धि की अनुवेक्षा करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे संबंधित ऐसी प्रविष्टि है.

58. **अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.**—(1) कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके कर सकेगा.

(2) ऐसे निक्षेप किए जाने पर पीठासीन अधिकारी—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बावत् ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा,

(ख) मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है,

(ग) प्ररूप 12 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्टि करेगा, और

(घ) उक्त सूची में उससे अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करेगा.

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दे.

(ख) जिस व्यक्ति की बावत् अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति के बारे में अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 566, दिनांक 22-12-2004.

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने की अनुज्ञा देगा और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा.

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह निर्देश देगा कि उप नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा.

59. **प्रतिरूपण के विरुद्ध उपाय.**—(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा नाखून के मूल में यथासंभव निकटतम स्थान पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर भी फैल सके.

(2) यदि कोई मतदाता उपनियम (1) के अनुसार अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण कराने या चिह्नित कराने से इन्कार करता है, या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से ही विद्यमान है या ऐसे स्याही चिह्न को हटाने का कोई कृत्य करता है तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा और न उसे मतदान करने दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस नियम में मतदाता की बांयी तर्जनी के प्रति किसी निर्देश से उस दशा में, जिसमें मतदाता की बांयी तर्जनी नहीं है यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बांए हाथ की सभी अंगुलियां लुप्त हों वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी अंगुली के प्रति है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां लुप्त हों वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बायीं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश है जैसा कि उसके पास हो.

60. **मतपत्र जारी करना.**—(1) किसी भी मतदाता को मतदान प्रारंभ करने के नियत समय के पूर्व कोई भी मतपत्र नहीं दिया जाएगा.

(2) किसी मतदाता को मतदान बंद होने के लिए नियत समय के पश्चात् कोई भी मतपत्र नहीं दिया जाएगा सिवाय उन मतदाताओं के जो मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित हों. ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतदान करने दिया जाएगा.

(3) प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग ऐसे सुभेदक चिह्न से मुद्रांकित किये जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्देशित करे, और किसी मतदाता को मतपत्र जारी करने के पूर्व पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा.

(4) किसी मतदाता को मतपत्र देते समय मतदान अधिकारी—

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति में प्रविष्ट मतदाता का सरल क्रमांक दर्ज करेगा;

(ख) उक्त प्रतिपर्ण पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा; और

(ग) मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि को यह उपदर्शित करने के लिए कि उसे मतपत्र दिया जा चुका है, रेखांकित करेगा तथापि वह मतदाता को दिये गये मतपत्र का सरल क्रमांक सूची में अभिलिखित नहीं करेगा :

परन्तु किसी मतदाता को मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिये हों या अंगूठे का निशान न लगा दिया हो.

(5) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति, किसी भी विशिष्ट मतदाता को जारी किये गये मतपत्र का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा.

(6) किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक वार्ड के लिए बनाए गए मतदान केन्द्र में, किसी मतदाता को उसी वार्ड का मतपत्र दिया जाएगा, जिसका कि वह मतदाता है, किसी अन्य वार्ड का नहीं.

61. **मतदान प्रक्रिया.**—(1) मतदाता, मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जाएगा, वहां उस अभ्यर्थी जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, के प्रतीक पर या उसके निकट, मतपत्र में, उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से चिह्न बनाएगा, मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए, मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा.

(2) कोई भी मतदाता अपना मत देने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समय से अधिक समय तक मतदान केन्द्र में नहीं रहेगा.

62. **अंधे या शिथिलांग मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन.**—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अंधेपन या शारीरिक शैथिल्य के कारण कोई मतदाता मतपत्र पर प्रतीक को पहचानने में या बिना किसी की सहायता के उस पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को, उसकी इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलेखन करने और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र को इस प्रकार मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डालने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात किए जाने के पूर्व उससे प्ररूप 13-क में यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को वह गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.

(2) पीठासीन अधिकारी प्ररूप 13-ख में इस नियम के अधीन समस्त मामलों का अभिलेख रखेगा.

63. **खराब हुए और लौटाए गए मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र.**—(1) उस मतदाता को, जिसने अपना मतपत्र अनवधानता से, ऐसी रीति से बरता है कि वह सुविधानुसार मतपत्र के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन अधिकारी को उसे लौटा दिये जाने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिये जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जाएगा और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी ''खराब-रद्द किया गया'' शब्द अंकित करेगा.

(2) यदि मतदाता कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो वह उसे पीठासीन अधिकारी को लौटा देगा और ऐसे लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी ''लौटाया गया-रद्द किया गया'' शब्द अंकित करेगा.

(3) विभिन्न वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन से संबंधित उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र पृथक्-पृथक् पैकटों में रखे जायेंगे.

(4) यदि कोई मतपत्र, जो मतदाता को जारी किया गया हो, उसके द्वारा किसी मतपेटी में डाला न जाए, किन्तु वह मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भो स्थान पर, चाहे मत कोष्ठ के भीतर या बाहर पाया जाये तो वह उपनियम (2) के अधीन पीठासीन अधिकारी को लौटा दिया गया समझा जाएगा और उसके संबंध में तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी.

64. **निविदत्त मत.**—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने बाबत् यह व्यपदिष्ट करके कि वह मतदाता सूची में नामित विशिष्ट मतदाता है ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो वह आवेदक ऐसे प्रश्नों के सम्यक् उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे मतपत्र, जो इसके पश्चात् ''निविदत्त मतपत्र'' के रूप में निर्दिष्ट है, प्राप्त करने का उसी प्रकार हकदार होगा जैसे कोई अन्य मतदाता होता है.

(2) प्रत्येक व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किये जाने के पूर्व प्ररूप 14 में एक सूची पर उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा.

(3) निविदत्त मतपत्र, सिवाय इसके कि,—

(क) ऐसा निविदत्त मत मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिये गये मतपत्रों के बण्डल में क्रम में अंतिम होगा; और

(ख) ऐसे निविदत्त मत और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हाथ से शब्द ''निविदत्त मतपत्र'' पृष्ठांकित किये जाएंगे तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे;

वैसा ही होगा जैसा कि मतदान केन्द्र पर, मतदान में उपयोग में लाए जाने वाला अन्य मतपत्र होता है.

(4) मतदाता निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिह्नित करने और उसको मोड़ने के पश्चात् उसे मतपेटी में डालने के बजाय पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा.

(5) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए निर्वाचन से संबंधित निविदत्त मतपत्र रखने के लिए पृथक्-पृथक् लिफाफों का प्रयोग किया जाएगा.

65. **मतदान बंद करना.**—(1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को नियम 28 के खण्ड (घ) के अधीन उस निमित्त नियत समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को उसके बंद किये जाने के पूर्व अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(2) यदि इस बाबत् कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि कोई मतदाता मतदान केन्द्र बंद किये जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चिय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

66. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबंद किया जाना.**—(1) मतदान के बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतपेटी के छिद्र को बंद कर देगा और जहां छिद्र को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में न हो वहां वह उस छिद्र को सीलबंद करेगा और किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को उस पर सील लगाने देगा.

(2) तत्पश्चात् मतपेटी सीलबन्द की जाएगी और सुरक्षित कर दी जाएगी.

(3) जहां कि पूर्ववर्ती मतपेटी के भर जाने के कारण पश्चात्‌वर्ती मतपेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है, वहां प्रथम मतपेटी, दूसरी मतपेटी उपयोग में लाने के पूर्व उपनियम (1) और (2) में यथा उपबंधित रूप में बन्द, सीलबंद और सुरक्षित कर दी जायेगी.

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उस दशा में, जहां पश्चातवर्ती दूसरी मतपेटी का उपयोग इस कारण नहीं किया गया है कि प्रथम मतेपटी पूरी नहीं भरी है और मतदान पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् उस मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जानी है, वहां मतपेटी को सीलबन्द किया जाना आवश्यक नहीं होगा.

67. **मतपत्रों का लेखा.**—(1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर, प्रत्येक वार्ड से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए प्ररूप 15 में पृथक्-पृथक् मतपत्र लेखा तैयार करेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार किये गये मतपत्र लेखे पृथक्-पृथक् लिफाफों में रखे जायेंगे तथा उनके ऊपर शब्द ''मतपत्र लेखा'' यथास्थिति, पंच के निर्वाचन के लिए वार्ड क्रमांक और ग्राम पंचायत के नाम सहित, सरपंच के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत के नाम सहित और जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक सहित लिखे जायेंगे.

*''(3) यदि मतों की गणना मतदान केन्द्र पर नहीं हो रही हो, तब पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) को, जो मतदान समाप्त होने पर उपस्थित हो, संबंधित मत-पत्र लेखे में की गई प्रविष्टियों की एक सत्यप्रति, उसके लिए रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् देगा तथा उसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित भी करेगा.''

68. **अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.**—पीठासीन अधिकारी नियम 67 के अधीन मतपत्र लेखा तैयार करने के पश्चात् —

(एक) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति,
(दो) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण ,
(तीन) मतदाताओं को जारी न किये गये मतपत्र,
(चार) प्ररूप 14 में निविदत्त मतपत्र, उनकी सूची सहित,
(पांच) रद्द किये गये मतपत्र,
(छ:) अन्य ऐसे कागज-पत्र जिनके बाबत् आयोग द्वारा पृथक् पैकेट में रखे जाने के निर्देश दिए गए हों,

को पृथक्-पृथक् पैकेट में रखेगा.

स्पष्टीकरण.—पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए पृथक्-पृथक् पैकेट तैयार किये जाएंगे.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 11-4-2002.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 29-9-2004.

(2) ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी की तथा उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की सीलों से सीलबंद किया जाएगा जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें.

69. **मतपेटियों, पैकेटों आदि का रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाना.**—(1) पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर को—

(क) मतपेटियां,

(ख) मतपत्र-लेखा,

(ग) नियम 68 में निर्दिष्ट सीलबंद पैकेट, और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज-पत्र,

ऐसे स्थान में, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी निर्देशित करे, परिदत्त करेगा या कराएगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर या ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, समस्त मतपेटियों, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगा.

70. **आपात स्थिति में मतदान का स्थगन.**—(1) यदि किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र पर बलवे या खुली हिंसा के द्वारा मतदान की कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किसी मतदान केन्द्र पर मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो रिटर्निंग आफिसर या ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी बाद में नियत की जाने वाली तारीख तक मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जाता है, वहां वह संबंधित रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण सूचित करेगा.

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को अविलम्ब करेगा जो यथाशंक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुन: प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र जहां तथा वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा, नियत करेगा. रिटर्निंग आफिसर ऐसे निर्वाचन में दिये गये मतों की गणना तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो.

(3) स्थगित मतदान की दशा में पीठासीन अधिकारी मतपेटियों और अन्य पैकेटों को सीलबंद करने, मतपत्रों का लेखा तैयार करने और मतपेटियों तथा अन्य मतदान सामग्री को परिदत्त करने में नियम 66 से 69 के उपबंधों का यथासाध्य उसी प्रकार अनुसरण करेगा मानों कि मतदान नियम 28 के अधीन इस निमित्त नियत समय पर बंद हुआ है.

(4) यथा पूर्वोक्त प्रत्येक मामले में, जिला निर्वाचन अधिकारी नियम 29 में अधिकथित रीति में उपनियम (2) के अधीन मतदान के लिए नियत किया गया स्थान, तारीख और समय प्रकाशित करेगा और मूल मतदान को शासित करने वाले नियमों के उपबन्ध इस नियम के अधीन किए जाने वाले नये मतदान के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

71. **स्थगित मतदान का पुन : आरम्भ.**—(1) जब कोई मतदान जिसे नियम 70 के अधीन स्थगित कर दिया गया था, पुन: प्रारम्भ किया जाता है तो उन मतदाताओं को, जिन्होंने इस प्रकार स्थगित मतदान के पहले ही अपने मत दे दिये हों, फिर से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी.

(2) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र जिस पर ऐसा स्थगित मतदान प्रारंभ किया जाए, पीठासीन अधिकारी को सीलबंद पैकेट जिसमें मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति होगी और एक नई मतपेटी उपलब्ध कराएगा.

(3) पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची की चिह्नांकित प्रति का सीलबंद पैकेट खोलेगा और उसे स्थगित मतदान के समय शेष रहे मतदाताओं के नाम जिन्हें मतपत्र जारी किये गये हैं चिह्नित करने के लिए उपयोग करेगा, तथापि, जारी किए गए मतपत्रों के क्रमांक उसमें अभिलिखित नहीं किए जाएंगे.

(4) स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में नियम 49 से 69 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उसे इस प्रकार स्थगित किये जाने के पूर्व लागू थे.

72. **मतपेटी के विनष्ट हो जाने, गड़बड़ी आदि होने की दशा में या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नया मतदान.**—(1) यदि किसी निर्वाचन में—

(क) मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके से निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है या खो जाती है अथवा उसे इस सीमा तक क्षति पहुंचाई जाती है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके; या

(ख) मतदान केन्द्र में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह संभाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को तत्क्षण करेगा.

(2) आयोग उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् या तो—

(क) उस मतदान केन्द्र में हुए मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करने का निर्देश देगा, जैसा वह उचित समझे; या

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्विक नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश देगा जैसे कि वह उचित समझे.

(3) उपनियम (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के निर्देशों के अनुसार नये मतदान के संचालन की कार्यवाही करेगा और ऐसे नये मतदान को इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे.

*''अध्याय-9क

मतदान मशीनों द्वारा मतदान

72 ''क''—**मतदान मशीनों की डिजाइन.**—प्रत्येक मतदान मशीन में एक कन्ट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जिसे कि निर्वाचन आयोग अनुमोदित करे.

72 ख —**रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.**—(1) मतदान मशीन की मतदान इकाई में ऐसा विवरण और ऐसी भाषा अन्तर्विष्ट होगी जैसी कि निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे,

(2) मतदान इकाई पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आए हों,

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे हैं, तो उनके उपनाम, पिता का नाम, आजीविका या निवास आदि को जोड़ने के द्वारा या अन्य रीति से उनकी पहचान रखी जाएगी.

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर—

(क) मतदान यूनिट में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीक चिन्ह वाला लेबल चिपकाएगा और उस यूनिट को अपनी

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

सील ** तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों उनकी सील लगाकर सुरक्षित करेगा.

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा और कन्ट्रोल यूनिट में अभ्यर्थी सेट सेक्शन को बंद करेगा और अपनी सील से तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की सील से जो उपस्थित हों, और जो अपनी सील लगाना चाहते हों, सुरक्षित करेगा.

*72 ग—**मतदान केन्द्र पर इंतजाम.**—(1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित किया जाएगा.—

(क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता (इलेक्टर) मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस, और

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति.

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या एक से अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें मतदाता अपना मत गोपनीय रूप से अभिलिखित कर सकेंगे.

(3) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उतनी संख्या में मतदान मशीनें जितनी में कि किसी वार्ड के चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यार्थियों की अपेक्षित विशिष्टियां उनमें समायोजित हो सकें और दिख सकें तथा मतदाता सूची के सुसंगत भाग की प्रतियां और अन्य ऐसी चुनाव सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगा और मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मशीनें उपलब्ध कराए जाने के मामले में वे एक दूसरे से इस प्रकार संसक्त की जाएंगी जिससे वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई हो सके.

(4) उप नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसी परिसर में अवस्थित दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामूहिक वोटिंग मशीन उपलब्ध करा सकेगा.

*72 घ—**मतदान केन्द्रों में प्रवेश.**—पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर एक बार में प्रवेश करने वाले मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और वहां से निम्न को अपवर्जित करते हुए सभी अन्य व्यक्तियों को हटा देगा.

(क) मतदान अधिकारी;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(घ) अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्तागण और नियम, 42 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;

(ङ) किसी मतदाता के साथ गोद वाला बालक;

(च) अंधे या ऐसे विकलांग मतदाता के साथ जो बिना सहायता के चल नहीं सकता हो, एक व्यक्ति; और

(छ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 72 च के उपनियम (2) या नियम 72छ के उप नियम (1) के अधीन नियोजित करे.

*72 ङ—**मतदान के लिये मतदान मशीन का तैयार किया जाना.**—(1) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट पर एक लेबल रहेगा जिस पर,—

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

**मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 251, दिनांक 26 जून, 2014

(क) अनुक्रमांक, यदि कोई हो, और वार्ड का नाम;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के अनुक्रमांक और नाम;

(ग) यूनिट का अनुक्रमांक; और

(घ) मतदान की तारीख.

अंकित होंगे.

(2) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष यह प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही किसी मतदाता का कोई मत अभिलिखित नहीं है और इस मशीन पर, नियम 72 ख के उपनियम (4) में निर्दिष्ट नामपत्र (लेबल) लगा है.

(3) मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट को सुरक्षित रखने के लिये कागज की एक सील का उपयोग किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी कागज की सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के भी, यदि वे इच्छुक हों, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा.

(4) इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस तरह हस्ताक्षरित कागज की सील को वोटिंग मशीन की कन्ट्रोल यूनिट में उसके लिए आशयित स्थान पर लगा देंगे और उसे सुरक्षित कर उसे सील करेंगे.

(5) कन्ट्रोल यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई सील ऐसी रीति में लगाई जाएगी कि यूनिट सील होने के पश्चात् बिना सील तोड़े ''परिणाम बटन'' दबाया जाना संभव न हो.

(6) कन्ट्रोल यूनिट बंद की जाकर सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं के बिलकुल सामने रखी जाएगी तथा मतदान यूनिट मतदान कोष्ठ में रखी जाएगी.

*72 च—**महिला मतदाताओं के लिये सुविधाएं**.—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिये हों, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक्-पृथक् टोलियों में प्रवेश दिया जाए.

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं की बाबत् मतदान करने में साधारणत: पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टत: किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, जहां यह आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिये किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा.

*72 छ—**मतदाताओं की पहचान**.—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिये या मतदान संचालित करने में अन्यथा उसे सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा.

(2) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टियों से मिलाएगा और तब वह मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा.

(3) मतदान करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की या मुद्रण संबंधी या लिपिकीय अशुद्धियों पर उस दशा में ध्यान नहीं देगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है.

*72 ज—**अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप**.—(1) कोई भी मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप, ऐसे प्रत्येक अभ्याक्षेप के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

(2) पीठासीन अधिकारी, ऐसा निक्षेप किये जाने पर,—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत् ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, सदोष प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) **मतदाता सूची में की सुसंगत** प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) प्ररूप 12 में, अभ्याक्षेपित मतों ** की सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; और

(घ) **उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा.

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए,—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दे;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा.

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का यह विचार हो कि आक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने की अनुज्ञा देगा और यदि उसका विचार हो कि आक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित कर देगा.

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि आक्षेप तुच्छतापूर्ण है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह निदेश देगा कि उप नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप शासन के पक्ष में समपहृत कर दिया जाए और अन्य मामले में वह जांच की समाप्ति पर उसे आक्षेपकर्ता को लौटा देगा.

*72 झ—**सदोष प्रतिरूपण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय.**—(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान की बाबत् यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बांई तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को क़रने देगा तथा उस पर अमिट स्याही का निशान लगाने देगा.

(2) यदि कोई मतदाता, उप नियम(1) के अनुसार अपनी बांई तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी बांई तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने की दृष्टि से ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(3) इस नियम में मतदाता की बांई तर्जनी के प्रति किसी निर्देश से, उस दशा में, जहां कि मतदाता की बांई तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां न हों, वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हों वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बांई या दाहिने भुजा के ऐसे अग्रांग के प्रति निर्देश है, जो वह धारण करता हो.

*72 ञ—**मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया.**—(1) मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने के पूर्व मतदान अधिकारी,—

(क) **मतदाता सूची की मत संख्या की चिन्हित प्रति में नियम 60 (4) (क) में यथा उपबंधित मतदाता क्रमांक को मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 14क में प्रविष्ट करेगा;

(ख) मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान उक्त रजिस्टर में अभिप्राप्त करेगा; और

(ग) मतदाता सूची ** की चिन्हित प्रति में यह दर्शित करने के लिए मतदाता के नाम पर चिन्ह लगाएगा कि उसे मत देने की अनुमति दी गई है:

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 251, दिनांक 26 जून, 2014

परन्तु किसी भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्राप्त न कर लिया गया हो.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में अंगूठा निशान का सत्यापन करे.

*72 ट—**मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा किए गए मतदान और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना.**—(1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की और इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखेगा.

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात कर देने के ठीक पश्चात् मतदाता, पीठासीन अधिकारी या मतदान मशीन के कन्ट्रोल यूनिट प्रभारी, के पास जाएगा जो कन्ट्रोल यूनिट का समुचित बटन दबाकर, मतदाता को मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट चालू कर देगा.

(3) इसके पश्चात् मतदाता तुरंत,—

(क) मतदान कक्ष में पहुंचेगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने वाली मतदान यूनिट पर बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा जिसके लिए वह मतदान करने का आशय रखता है;

(ग) मतदान कक्ष के बाहर आएगा और मतदान केन्द्र छोड़ देगा.

(4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा.

(5) किसी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब दूसरा मतदाता भीतर हो.

(6) यदि कोई मतदाता जिसे मतदान करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने की चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान करने से इंकार करता है तब पीठासीन अधिकारी के निर्देश के पश्चात् पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं देगा.

(7) जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाती है तब इस आशय की एक टिप्पणी कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, मतदाता रजिस्टर में उस मतदाता के नाम के सामने पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षर से की जाएगी.

*72 ठ—**नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना.**—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता, मतदान मशीन की मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी, मतदाता को अनुज्ञा देगा कि वह अपना एक साथी, जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो, अपनी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जाए:

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाताओं के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह और कि इस नियम के अन्तर्गत जब किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी मतदाता के साथी के रूप में काम करने की अनुज्ञा दी जाती है तब पहले उस व्यक्ति को यह "प्ररूप 13क में घोषणा" ** करनी होगी कि वह उसके द्वारा मतदाता की ओर से अभिलिखित किए जाने वाले मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के साथी के रूप में काम नहीं किया है.

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 13ख ** में रखेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 251, दिनांक 26 जून, 2014

*72 ड—**निविदत्त मत.**—(1) यदि कोई व्यक्ति मतदाता विशेष बताकर मतदान करना चाहता है जिस पर मतदाता के रूप में कोई व्यक्ति ऐसे मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो तब वह उसकी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात् मतदान यूनिट द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के बजाए उसे निविदत्त मतपत्र प्रदाय करेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा में या भाषाओं में होंगी जैसी निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे.

(2) ऐसा प्रत्येक मतदाता, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किए जाने के पूर्व प्ररूप 14 में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपना नाम लिखेगा.

(3) मतपत्र प्राप्त करते ही वह तत्काल,—

(क) मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होगा;

(ख) वहां मतपत्र पर इस प्रयोजन हेतु दिए गए उपकरण या वस्तु द्वारा क्रास का चिन्ह '×' उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट लगाकर जिसको कि वह मत देना चाहता है, अपना मतदान अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) यदि आवश्यक हो, तब मतपत्र पर विशिष्ट मार्क पीठासीन अधिकारी को दिखाएगा;

(ङ) इसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र के बाहर चला जाएगा.

(4) यदि नेत्रहीन या शारीरिक अक्षमता के कारण ऐसा मतदाता बिना किसी कि सहायता के मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ रहता है तब पीठासीन अधिकारी उसे उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो नियम 72ठ** में अधिकथित की गई है, एक साथी ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार उसका मत अभिलिखित करेगा.

*72 ढ—**मतदान की अवधि में पीठासीन अधिकारी का मतदान कक्ष में प्रवेश.**—(1) पीठासीन अधिकारी जब कभी वह आवश्यक समझे, मतदान के दौरान मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे कदम उठा सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि मतदान यूनिट में छेड़छाड़ नहीं की गई है या उसमें किसी अन्य प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाई गई है.

(2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि कोई मतदाता जो मतदान कक्ष में प्रवेश कर चुका है वह मतदान यूनिट में छेड़-छाड़ कर रहा है या अन्यथा कोई बाधा डाल रहा है या मतदान कक्ष के भीतर अनावश्यक लम्बी अवधि तक बना रहा है तब वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जो कि सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान के लिये आवश्यक हों.

(3) पीठासीन अधिकारी जब कभी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे वांछा करें तो साथ चलने की अनुमति देगा.

*72 ण—**मतदान का बंद किया जाना.**—(1) पीठासीन अधिकारी, इस निमित्त मतदान बंद करने के नियत समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा और उसके पश्चात् किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं देगा:

परन्तु उन सभी मतदाताओं को, जो मतदान समाप्त होने के पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, अपना मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

(2) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पहले उपस्थित था, तब इसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

*72 त—**अभिलिखित मतों का लेखा.**—पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने पर ** प्ररूप 15क में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा और इसे अलग लिफाफे में रख कर उसके ऊपर "अभिलिखित मतों का लेखा" लिखेगा.

72 थ—मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का सीलबंद किया जाना.**—(1) मतदान बंद होने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि और मतदान अभिलिखित न किए जा सकें, कन्ट्रोल यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट को कन्ट्रोल यूनिट से अलग कर देगा.

(2) कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट इसके पश्चात् सीलबंद कर दिए जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें ऐसी रीति में पृथक्-पृथक् सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखने वाली सील इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना सील तोड़े यूनिट का खोलना संभव न हो.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 251, दिनांक 26 जून, 2014

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को भी, जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों, ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.

*72 द—**अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.**—(1) पीठासीन अधिकारी तब,—

(क) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति;

(ख) मतदाता रजिस्टर;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा;

(घ) चुनौती दिए गए मतों की सूची;

(ङ) अप्रयुक्त मतपत्र जो निविदत्त मतपत्र के रूप में जारी करने के लिए रखे गए हों; और

(च) किन्हीं अन्य कागजातों के, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद पैकेट में रखने का निदेश हो.

अलग-अलग पैकेट बनाएगा.

(2) ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी और अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता की, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और जो अपनी सील लगाने का इच्छुक हो सील लगाकर सीलबंद किया जाएगा.

*72 ध—**मतदान मशीनें आदि रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना.**—(1) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात्,—

(क) मतदान मशीन;

(ख) अभिलिखित मतों का लेखा;

(ग) नियम 72द में निर्दिष्ट सील बंद पैकेट; और

(घ) अन्य सभी कागजात जिनका उपयोग मतदान में हुआ है.

रिटर्निंग आफिसर को ऐसे स्थान पर परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा जैसा कि रिटर्निंग आफिसर निदेश दे.

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेट्स तथा अन्य कागजातों के, मतगणना प्रारंभ होने तक के लिए सुरक्षित रखे जाने के लिये सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेगा.

*72 न—**मतदान स्थगित करने की प्रक्रिया.**—यदि किसी निर्वाचन में आपातकालीन स्थिति में मतदान स्थगित हो जाता है तो नियम 70 और 71 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

*72 प—**बूथ पर कब्जे की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना.**—जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर, बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई और मत अभिलिखित न हों, तत्काल मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट को कन्ट्रोल यूनिट से अलग कर देगा.

अध्याय 10—मतों की गणना

73. **मतों की गणना का पर्यवेक्षण.**—ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन की जाएगी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता और उसके गणन अभिकर्ताओं को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा.

74. **मतगणना के लिए नियत किये गये स्थान में प्रवेश.**—(1) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये ऐसे अन्य अधिकारी मतगणना के लिए नियत स्थान से—

(क) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कि गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के नाम से जाना जाएगा, वह मतगणना करने में अपनी सहायता करने के लिए नियुक्त करें,

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवकों, और

(घ) अभ्यर्थियों , उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं,

के सिवाय समस्त अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या जो उसके लिए अन्य प्रकार से कार्य करता रहा हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त नहीं किया जावेगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, यह विनिश्चय करेंगे कि कौन सा या कौन से मतगणना अभिकर्ता किस विशेष मतगणना मेज या मेजों पर मतगणना का कार्य देखेंगे.

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो मतगणना के दौरान अपचार करें या रिटर्निंग आफिसर के या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करें, उस स्थान से, जहां पर मतों की गणना की जा रही हो, रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के या कर्त्तव्यारूढ़ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाया जा सकेगा.

75. **मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना.**—(1) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटियों को एक साथ खुलवा सकेंगे और उनकी अन्तर्वस्तुओं की गणना एक साथ करवा सकेंगे.

(2) किसी मतगणना मेज पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पूर्व किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ताओं को, जो उस मेज पर उपस्थित हो, पत्र सील का या ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो, निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि वह ठीक हालत में है, अनुज्ञात किया जायेगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गई है तो वह उस मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत नियम 72 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

76. **मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना.**—(1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि—

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है; या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है; या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(घ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिये प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है; या

(ङ) उस पर ऐसा कोई चिह्न नहीं है जो उस पर नियम 60 के उपनियम (3) के अधीन होना चाहिए; या

(च) उस पर कोई चिह्न नहीं लगा है; या

(छ) एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिह्न लगाया गया है; या

(ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिह्न लगाया गया है :

परन्तु जहां रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी ने यह समाधान कर लेने पर कि किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये गये सभी या किसी मतपत्र के संबंध में खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में वर्णित ऐसी कोई त्रुटि संबंधित पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है, यह निर्देश दिया हो कि त्रुटि पर ध्यान न दिया जावे, वहां खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन ऐसी त्रुटि के आधार पर ही मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी किसी मतपत्र को उपनियम (1) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अभिकर्ता को, जो उपस्थित हो, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी ऐसे हर मतपत्र पर, जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है अक्षर ''प्र'' और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो अपने हाथ से लिखकर या रबर स्टाम्प से अभिलिखित करेगा.

(4) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किये गये समस्त मतपत्रों को एक साथ बण्डल में बांधा जाएगा.

77. **मतों की गणना.**—(1) प्रत्येक मतपत्र की, जिसे नियम 76 के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, गणना की जाएगी :

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी.

(2) किसी मतदान केन्द्र के लिए मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, प्ररूप 16 में पंच के लिए परिणाम पत्र में और सरंपच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमशः प्ररूप 17, 18 एवं 19 में परिणाम पत्र के भाग एक में प्रविष्टियां करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित करेगा.

(3) समस्त विधिमान्य मतपत्रों को एक साथ बण्डल में बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बण्डल के साथ ही पृथक् पैकेट में रखा जाएगा जिसे सीलबंद किया जाएगा और उस पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) पंच के निर्वाचन के मामले में वार्ड का क्रमांक तथा ग्राम पंचायत का नाम, सरपंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक;

(ख) उस मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम, जहां मतपत्र उपयोग में लाए गए हैं; और

(ग) गणना की तारीख.

''(4) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके गणन अभिकर्ता को, जो मतगणना समाप्त होने पर उपस्थित हो, उप-नियम (2) के अधीन तैयार की गई संबंधित परिणाम-पत्रक की सत्यप्रति, उसके लिए रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् देगा तथा उसे सत्य प्रति के रूप में अभिप्रमाणित भी करेगा.''

*''77क—**मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण.**—

(1) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट का उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर होने की भी संवीक्षा और निरीक्षण करेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना एक साथ होगी.

(2) उप नियम (1) के अधीन किसी मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना करने के पूर्व अभ्यर्थी या गणना टेबल पर उपस्थित उसके गणना अभिकर्ता को कागज की सीलें तथा ऐसी अन्य मुख्य सीलों का जो यूनिट पर लगी हो, निरीक्षण करने की इसलिए अनुमति दी जाएगी कि वे अपना समाधान कर लें कि सीलें ठीक अवस्था में हैं.

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना इस बाबत् समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ नहीं की गई है.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर को यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन से वास्तव में छेड़छाड़ की गई है तब वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में जहां वह मशीन प्रयुक्त हुई थी, नियम 72 में अधिकथित प्रक्रिया जो भी लागू हो का पालन करेगा.

** ''77ख —**मतों की गणना जब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया है**—

(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ नहीं की गई है वह उसमें अभिलिखित मतों की गणना कन्ट्रोल यूनिट पर दिए गए समुचित बटन, जिस पर रिजल्ट अंकित होगा, को दबा कर करेगा जिससे प्रदर्शन पटल पर कुल मतदान और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मत प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत् जो यूनिट में इस प्रयोजन के लिये दिए हुए हैं. प्रदर्शित हो जाएंगे.

(2) जैसे ही प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत कन्टोल यूनिट पर प्रदर्शित हो, तब रिटर्निंग आफिसर—

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में अलग-अलग अभिलिखित मतों की संख्या;

* *''(ख) प्ररूप 16क, 17क, 18क तथा 19क में गणना परिणाम पत्रक में तत्स्थानी प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार प्रविष्ट किए गए विवरण, जो परिणाम पत्रक में दर्ज है प्ररूप 20क, 21क, 22क तथा 23 क में घोषित करेगा.

*77 ग—**मतदान मशीनों को सील किया जाना—**

(1) प्रत्येक अभ्यर्थीवार कन्ट्रोल यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम सुनिश्चित होने और नियम 77(2) के अधीन प्ररूप 16क, 17क, 18क तथा 19क में दर्ज होने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर अपनी सील से पुन: यूनिट सील बंद करेगा और ऐसे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और अपनी-अपनी सीलें उस पर लगाने के इच्छुक हों, ऐसी रीति में वे अपनी-अपनी सीलें लगायेंगे और सीलें इस तरह लगाई जाएंगी कि मतदान परिणाम जो यूनिट में अभिलिखित हैं, मिटने न पाएं और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे.

(2) इस प्रकार सीलबंद कंट्रोल यूनिट विशेष तौर से बनाई गई पेटी में रखी जायेगी जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

(क) वार्ड का नाम
(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों का विवरण जहां कंट्रोल यूनिट का उपयोग हुआ है;
(ग) कन्ट्रोल यूनिट का अनुक्रमांक;
(घ) मतदान की तारीख; और
(ङ) मतगणना की तारीख.''.

**''(3) ई. वी. एम. की नियंत्रण ईकाई (कन्ट्रोल यूनिट) में, जो आयोग द्वारा अनुमोदित है ''डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.)'' को फिक्स करने का प्रावधान है. कन्ट्रोल यूनिट के साथ-साथ डी. एम. एम. में भी मतदान का डाटा अभिलिखित होता है. निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद डी. एम. एम. में, मतदान का डाटा सुरक्षित रखते हुए कन्ट्रोल यूनिट का उपयोग अन्य निर्वाचन में किया जा सकता है. आयोग द्वारा कन्ट्रोल यूनिट में प्रयुक्त डी. एम. एम. को कन्ट्रोल यूनिट से पृथक् कर सील करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी. सीलबंद डी. एम. एम. का उपयोग न्यायालयीन प्रयोजन सहित अन्य प्रयोजनों हेतु अति आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा. कन्ट्रोल यूनिट एवं मतपत्र (बैलेट) यूनिट को अन्य निर्वाचन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा.

78. **गणना लगातार की जाएगी.**—रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, यथासाध्य, मतगणना लगातार करते रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब गणना निलंबित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों को, स्वयं अपनी सील और ऐसे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं की, जो अपना सीलें लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद करके रखेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानी बरतेगा.

79. **नये मतदान के पश्चात् गणना का पुन: आरंभ किया जाना.**—(1) यदि नियम 72 के अधीन नवीन मतदान किया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को और उस समय और उस स्थान में मतों की गणना पुन: आरम्भ करेगा जो उस निमित्त नियत किया गया है और जिसकी सूचना अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहले दी जा चुकी है.

(2) नियम 76 और 77 के उपबंध ऐसी आगे की गणना के संबंध में यथासाध्य लागू होंगे.

80. **मतों की पुनर्गणना.**—(1) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा नियम 77 के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या की घोषणा किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका गणन अभिकर्ता पूर्व में गिने जा चुके समस्त या किन्हीं भी मतों की पुनर्गणना के लिए उन आधारों का, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, कथन करते हुए लिखित आवेदन रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को कर सकेगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा आवेदन किये जाने पर उस बात का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णत: या भागत: मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उन्हें तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हों, उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा.

(3) उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का हर विनिश्चय लिखित में होगा और उसमें उस विनिश्चय के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे.

---

*मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 159, दिनांक 25 मार्च, 2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 251, दिनांक 26 जून, 2014

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उपनियम (2) के अधीन आवेदन को या तो पूर्णत: या भागत: अनुज्ञात करने का विनिश्चय करता है, तो वह—

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करेगा;

(ख) ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् परिणाम-पत्र को आवश्यक सीमा तक संशोधित करेगा; और

(ग) अपने द्वारा किये गये ऐसे संशोधन की घोषणा करेगा.

(5) उपनियम (4) या नियम 77 के उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदान में मिले मतों की कुल संख्या घोषित किये जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अन्य प्राधिकृत अधिकारी परिणाम-पत्र को पूरा करेगा और हस्ताक्षरित करेगा और उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु गणना पूरी होने पर इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जावेगी जब तक कि उसके पूरा होने के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(6) गिने गये मतपत्रों को नियम 77 के उपनियम (3) में उल्लिखित रीति में बांधा और रखा जाएगा.

(7) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत किये गये ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य के लिए क्रमश: प्ररूप 16, 17, 18 और 19 में तैयार किये गये परिणाम-पत्र उनके द्वारा पृथक्-पृथक् लिफाफों में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों के संकलन और सारणीकरण के लिए रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किये जाएंगे.

(8) उपनियम (7) के अधीन परिणाम-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य के किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्राप्त मतों की कुल संख्या की प्रविष्टि क्रमश: प्ररूप 17, 18 और 19 के पश्चात्वर्ती भाग अथवा भागों में करेगा या करवाएगा और परिणाम-पत्र को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षर करेगा.

81. **निर्वाचन की विवरणी तैयार करना तथा परिणाम की घोषणा.**—(1) रिटर्निंग आफिसर—

(क) पंच के स्थान के निर्वाचन के लिए प्ररूप 16 में संकलित किए गए परिणाम-पत्र के आधार पर प्ररूप 20 में;

(ख) सरपंच के स्थान के निर्वाचन के लिए प्ररूप 17 में संकलित किए गए परिणाम-पत्र के आधार पर प्ररूप 21 में;

(ग) जनपद पंचायत के सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए प्ररूप 18 में संकलित किए गए परिणाम-पत्र के आधार पर प्ररूप 22 में; तथा

(घ) जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए प्ररूप 19 में संकलित किए गए परिणाम-पत्र के आधार पर प्ररूप 23 में,

विवरणी तैयार करेगा, और जिस अभ्यर्थी ने अधिकतम विधिमान्य मत प्राप्त किए हैं उसे निर्वाचित घोषित करेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन की विवरणी तथा की गई घोषणा नियम 84 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के, यदि कोई हो, अध्यधीन होगी.

(3) रिटर्निंग आफिसर उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक विवरणी की दो हस्ताक्षरित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो एक प्रति अपने कार्यालय में रख लेगा और दूसरी प्रति आयोग को तत्काल भेज देगा.

82. **मतों की साम्यता.**—यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाती है और एक मत के जोड़ लिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित होने के लिए हकदार हो सकता है, तो रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लाट निकालकर तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानों जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है. ऐसे मामलों में रिटर्निंग आफिसर, यथास्थिति, प्ररूप 20, 21, 22 या 23 में विवरणी के अंत में शब्द ''लाट निकाल कर'' जोड़ेगा.

83. **निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जाना.**—नियम 81 के अधीन अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 25 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अनुदत्त करेगा और अभ्यर्थी से उसकी प्राप्ति की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा.

84. **जिला निर्वाचन अधिकारी का लिपिकीय या गणितीय त्रुटियां या भूलें को सुधारने के अधिकार**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी समय, परन्तु नियम 81 के अधीन परिणाम की घोषणा के 15 दिन के पश्चात् नहीं, या तो स्वप्रेरणा से या रिटर्निंग आफिसर के प्रतिवेदन पर यथास्थिति, प्ररूप 16, 17, 18 या 19 में परिणाम-पत्र में या प्ररूप 20, 21, 22 या 23 में निर्वाचन की विवरणी में किसी भी लिपिकीय या गणितीय त्रुटि या भूल का, एक आदेश से, संशोधन कर सकेगा :

परन्तु ऐसी किसी भी त्रुटि या भूल का संशोधन प्रश्नाधीन वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऐसे संशोधन पर विचार करने के लिए तारीख, समय और स्थान की सूचना दिए बगैर नहीं किया जाएगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश लिखित में होगा तथा उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी, यथास्थिति, प्ररूप 20, 21, 22 या 23 में निर्वाचन की विवरणी की सम्यक्रूप से संशोधित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रति ऐसे संशोधन के परिणाम स्वरूप निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र देने के लिए रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा.

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात जिला निर्वाचन अधिकारी को गिने जा चुके मतपत्रों के लिफाफे खोलने या मतों की पुनर्गणना के निर्देश देने की कोई शक्ति या प्राधिकार प्रदत्त नहीं करेगी.

(4) रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी को, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व, यदि नियम 83 के अधीन प्ररूप 25 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो तो वह वापिस लिया गया और निरस्त किया गया समझा जाएगा.

अध्याय 11—विविध

85. **प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या समपहरण.**—(1) नियम 33 के अधीन किये गये प्रतिभूति निक्षेप इस नियम के उपबंधों के अनुसार या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाएगा या राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाएगा.

(2) इस नियम में इसके पश्चात् उल्लिखित मामलों को छोड़कर निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र निक्षेप वापस कर दिया जायेगा.

(3) यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में न दर्शाया गया हो या मतदान आरंभ होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् जैसी भी दशा हो, यथासंभव शीघ्र निक्षेप वापिस कर दिया जायेगा.

(4) उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निक्षेप उस स्थिति में समपहृत कर लिया जाएगा जबकि निर्वाचन में, जहां मतदान हुआ हो, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है और उसे प्राप्त हुए विधिमान्य मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के एक षष्टमांश से अधिक नहीं है.

*"(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियम-33 के अधीन किये गये प्रतिभूति निक्षेप की वापसी के लिए दावा, यथास्थिति, उसे करने वाले व्यक्ति या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से छह माह के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो तो निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत हो जाएगा."

86. **निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों की अभिरक्षा.**—जिला निर्वाचन अधिकारी, नियम 67 तथा 68 में निर्दिष्ट पैकटों को तथा निर्वाचन संबंधी समस्त अन्य कागज पत्रों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 83, दिनांक 17-2-99

87. **निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों का पेश किया जाना तथा उनका निरीक्षण.**—जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे हुए—

(क) उपयोग में न लाए गए मतपत्रों के पैकटों कों;

(ख) उपयोग में लाए गए मतपत्रों के पैकेटों को, चाहे वे विधिमान्य, निविदत्त या प्रतिक्षेपित मतपत्र के पैकेट हों;

(ग) उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेटों को; तथा

(घ) मतदाता सूचियों की चिह्नांकित प्रतियों के पैकेटों को

सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के बिना न तो खोला जाएगा और नहीं किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जायेगा और नहीं उन्हें उसके समक्ष पेश किया जाएगा.

88. **निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों का निपटारा.**—(1) नियम 87 में निर्दिष्ट पैकेट छः मास की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक रखे जाएंगे और उसके पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.

(2) किसी निर्वाचन से सम्बद्ध समस्त अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि तक रखे जाएंगे जैसा कि आयोग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे.

*"(3) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) द्वारा निर्वाचन संचालित होने के पश्चात् डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जैसा कि आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दें.".

89. **पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियां.**—(1) मृत्यु, अनर्हता, त्यागपत्र, बिना अवकाश के अनुपस्थिति, निर्वाचन अपास्त किये जाने आदि किसी कारण से किसी पंचायत के सरपंच या सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर, ग्राम पंचायत का सचिव या यथास्थिति, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी रिक्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसी रिक्ति की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) का सम्यक्रूप से पालन सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिले की विभिन्न पंचायतों में रिक्तियों का समेकित ब्यौरा आयोग को भेजेगा, जिस पर आयोग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित ऐसे स्थानों को भरने के लिए आयोजित नये निर्वाचन को लागू होंगे.

90. **निर्वाचन अधिसूचित करने की रीति.**—आयोग.—

(क) ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के प्रत्येक निर्वाचन को, संबंधित ग्राम पंचायत के तथा उस जनपद पंचायत के, जिसमें कि ऐसी ग्राम पंचायत स्थित है, के कार्यालय में सूचना फलक पर प्ररूप 26-क में सूचना चिपकाकर;

(ख) जनपद पंचायत के सदस्य के प्रत्येक निर्वाचन को, संबंधित जनपद पंचायत के तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सूचना फलक पर प्ररूप 26-ख में सूचना चिपकाकर; और

(ग) जिला पंचायत के सदस्य के प्रत्येक निर्वाचन को जिला पंचायत के तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सूचना फलक पर प्ररूप 26-ग में सूचना चिपकाकर;

अधिसूचित करेगा या अधिसूचित करवाएगा.

91. **निरसन.**—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 423, दिनांक 11 सितम्बर, 2014

पंचायत निर्वाचन

"प्ररूप-1"

[नियम 9 (1) देखिए]

मतदाता सूची

ग्राम पंचायत का नाम .... खण्ड .... जिला .... वार्ड क्रमांक ....

अनुक्रमांक	गृह क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री/अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक . . . .

(1) परिवर्धनों की सूची

अनुक्रमांक	गृह क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री/अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(2) संशोधनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	विद्यमान प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)

(3) विलोपनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक	मतदाता का नाम
(1)	(2)

. . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 191, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

पंचायत निर्वाचन प्ररूप-1 क

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना

[नियम 10(1) के अन्तर्गत विहित प्ररूप]

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....

स्थान .... तारीख ....

सेवा में,

जिला .... के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मतदातागण.

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार जिला .... के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार हैं और आम लोगों के नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं.

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची 1 जनवरी .... के आधार पर तैयार की गई है.

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के संदर्भ में, किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख .... से कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु तारीख .... को, (जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है) अपराह्न 3 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/केन्द्रों में प्रस्तुत कर सकता है. विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किए गए दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

....

मोहर हस्ताक्षर

रजिस्ट्रकरण अधिकारी.

कार्यालयों/केन्द्रों की सूची

जहां मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध है और जहां दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं :—

*1. कार्यालय, ग्राम पंचायत .... (संबंधित ग्राम पंचायत के बावत्)

2. कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत .... (खंड की किसी भी ग्राम पंचायत के बावत्)

3. कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/अपर तहसीलदार ....
(खण्ड की किसी भी ग्राम पंचायत के बावत्).

***टीप.—** (1) उप निर्वाचन के संदर्भ में : इस कालम में केवल ऐसी ग्राम पंचायतों का उल्लेख करें :—

(i) जिनमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान को भरने के लिए उप निर्वाचन होना है,

(ii) जो जनपद पंचायत के उस रिक्त निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, जिसके लिए उप निर्वाचन होना है, या

(iii) जो जिला पंचायत के उस रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, जिसके लिए उप निर्वाचन होना है.

(2) साधारण निर्वाचन (आम चुनाव) के संदर्भ में; इस कालम में निम्नानुसार उल्लेख करें :—

''खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें.''

प्ररूप-2

(नियम 28 देखिये)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) . . . .

ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंचों के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक . . . . मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, ... जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला .... इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत के सरपंच/पंचों के निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूं कि :—

(क) अनुसूची के कॉलम (2) में वह/वे पद विनिर्दिष्ट है जिसके/जिनके लिये निर्वाचन होगा।

(ख) अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों के निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) होगा।

(ग) अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नाम-निर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा।

(घ) अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नाम-निर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा।

*(ङ) अनुसूची के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(च) अनुसूची के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय, मतदान की तारीख और समय होगा।

(छ) अनुसूची के कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(ज) अनुसूची के कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम के घोषणा का स्थान तारीख और समय होगा।

टीप.—यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अनुसूची के कॉलम (8) में वर्णित स्थान, तारीख और समय पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

स्थान .... तारीख . . . . समय . . . . बजे से

स्थान ....

. . . .

तारीख . . . .

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जिला ....

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 33, 4-2-1998.

अनुसूची

ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद जिसके/ जिनके लिये निर्वाचन होगा (सरपंच से पंच/ वार्ड क्र. . . . . .)	रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का नाम तथा पदाभिधान	नाम निर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	नाम निर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय	तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय	सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान . . . .

तारीख . . . .

. . . .

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
जिला ....

प्ररूप-3

(नियम 28 देखिये)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) . . . .

जनपद पंचायत/जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक . . . . मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, (1995) के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, ... जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला .... इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट जिला पंचायत/जनपद पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूं कि :—

(क) अनुसूची के कालम (2) में वह/वे निर्वाचन क्षेत्र विनिर्दिष्ट है/हैं जिसके/जिनके लिये निर्वाचन होगा.

(ख) अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी .... जनपद पंचायत/जिला पंचायत के सदस्य/सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) होगा.

(ग) अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा.

(घ) अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा.

(ङ) अनुसूची के कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा.

(च) अनुसूची के कालम (7) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय, मतदान की तारीख और समय होगा.

(छ) अनुसूची के कालम (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा.

(ज) अनुसूची के कालम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा का स्थान, तारीख और समय होगा.

टीप.—यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अनुसूची के कॉलम (8) में वर्णित स्थान, तारीख और समय पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

स्थान .... तारीख . . . . समय . . . . बजे से

स्थान . . . .

तारीख . . . .

. . . .

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जिला ....

अनुसूची

जिला पंचायत/ जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके/जिनके लिये निर्वाचन होगा	रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का नाम तथा पदाभिधान	नाम-निर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	नाम-निर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय	तारीख तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा	मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय	सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा का स्थान, तारीख और समय
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान ....

तारीख ....

....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जिला ....

*प्ररूप 3-क

(नियम 29-क देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ....

सूचना

ग्राम पंचायत .... खण्ड .... में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत .... खण्ड .... के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :—

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण, जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़े वर्ग/ अन्य पिछड़े वर्ग-महिला/ सामान्य/सामान्य-महिला)
	क्रमांक	ग्राम	मकान नम्बर . . . . से . . . . तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर ....

स्थान ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

तारीख . . . .

सील

जिला ....

नाम ....

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

*प्ररूप 3-ख

(नियम 29-क देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ....

सूचना

जिला पंचायत ..../जनपद पंचायत .... में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत ..../जनपद पंचायत .... के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट), जिसके लिए निर्वाचन होना है, के आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :—

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक, जिसके लिए निर्वाचन होना है	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़े वर्ग/ अन्य पिछड़े वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य-महिला)	निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत (*)
(1)	(2)	(3)
		(1) . . . . . . (2) . . . . . (3) . . . . . . (4) . . . . .

हस्ताक्षर ....

स्थान ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

सील

जिला ....

तारीख . . . .

नाम ....''

(*) **टीप.**—यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ लें।

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, 17-2-99.

प्ररूप-4 क
(नियम 31 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन

मैं, जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका पता ....

उसका नाम पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के पंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं.

*(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का/की सदस्य हूं जो मध्यप्रदेश राज्य के जिला............................ के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित है.

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम ....)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में . . . . (तारीख) को . . . . बजे* अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम . . . .)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं :— (**)

. . . .

. . . .

. . . .

मोहर

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
तारीख . . . . (नाम . . . .)

** यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक . . . .

* श्री/कु./श्रीमती . . . . जो ग्राम पंचायत . . . . के पंच के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नामनिर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) . . . . को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तारीख . . . . को . . . . बजे (स्थान) . . . . में की जायेगी।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम . . . .)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-4 ख

(नियम 31 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

मैं, जिला ....
के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... से सरपंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के

वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक ....

(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो जिला ....
के खण्ड .... की ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक ....(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम ....)

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ························ (तारीख) को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ······································)

* जो लागू न हो उसे **काट** दीजिए.

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं :— (* *)

. . . .

. . . .

. . . .

मोहर

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ·······································)

तारीख . . . .

(* *) यदि नाम **निर्देशन**-पत्र प्रतिक्षेपित (**खारिज**) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक . . . .

(*) श्री/कु./**श्रीमती** ······································· जो *ग्राम पंचायत ·················· के सरपंच के निर्वाचन **के** लिए एक अभ्यर्थी है, का नामनिर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) . . . . को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक **द्वारा** परिदत्त किया गया। समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तारीख . . . . को . . . . बजे (स्थान) ······································· में की जायेगी।

तारीख. . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ·······················)

* जो लागू न हो उसे **काट** दीजिए.

प्ररूप-4 ग

(नियम 31 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला .... की जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... (शब्दों में) ....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका डाक का पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो खण्ड .... की ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक ....(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जनपद पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम ....)

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ....)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं :— (* *)

. . . .

. . . .

. . . .

मोहर

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ....)

(* *) यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

(*) श्री/कु./श्रीमती .... जो जनपद पंचायत .... के सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नामनिर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) . . . . को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तारीख . . . . को . . . . बजे (स्थान) .... में की जायेगी।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ....)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-4 घ

(नियम 31 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... (शब्दों में ....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका डाक का पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो जिला .... के खण्ड .... के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक ....(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं;

*(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप में लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम ....)

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में . . . . (तारीख) को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया था।

तारीख. . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थान . . . .

(नाम . . . .)

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित (खारिज) करने वाले रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 35 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं :— (* *)

. . . .

. . . .

. . . .

मोहर

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

तारीख . . . .

(नाम . . . .)

(* *) यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) की दशा में किया जाए तो उसके कारण लिखे जाएं।

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक . . . .

(*) श्री/कु./श्रीमती . . . . जो जिला पंचायत . . . . के सदस्य के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नामनिर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) . . . . को . . . . (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा <u>परिदत्त किया गया</u>। समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तारीख . . . . को . . . . बजे (स्थान) . . . . में की जायेगी।

तारीख. . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम . . . .)

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-5

[नियम 35 (8) देखिए]

विधिमान्यत: नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

*ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

*ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

*जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

*जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	पता (4)

....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ....)

मोहर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-5-क

[नियम 36 (1) देखिए]

खारिज किए गए नामनिर्देशन-पत्रों के पुनरीक्षण (निगरानी) की सूचना

*ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

---

*ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

---

*जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

---

*जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक अभ्यर्थी को छोड़कर, शेष सभी अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्र खारिज (रद्द) हो गए हैं।

2. खारिज किए गए नामनिर्देशन-पत्रों का पुनरीक्षण निम्नांकित स्थान, तारीख और समय पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा :—

पुनरीक्षण प्राधिकारी का नाम तथा पदाभिधान ....

पुनरीक्षण का स्थान .... तारीख .... समय ....

3. ऊपर वर्णित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाला कोई भी अभ्यर्थी, पुनरीक्षण के समय पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ....)

मोहर

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-6
[नियम 37 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

*ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

*ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

*जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

*जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
....

मैं .... पिता/पति का नाम ....
जो कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा सूचना देता/देती हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूं।

2. तारीख .... को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत नामनिर्देशन-पत्र/पत्रों* की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो रसीद/रसीदें *दी गई थीं, वह/वे इसके साथ मूल रूप से संलग्न हैं।

स्थान ....

तारीख ....

....
विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान
(नाम ....)

यह सूचना (नाम) .... के द्वारा, जो कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का प्रस्तावक/अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता * है, तारीख .... को .... बजे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
(नाम ....)

मोहर ....

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद

(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

श्री/कुमारी/श्रीमती .... जो कि ग्राम पंचायत .... के सरपंच/* के वार्ड क्रमांक .... से पंच के निर्वाचन में/जनपद पंचायत/* जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य के लिए निर्वाचन में, विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है, की ओर से अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन (नाम) .... के द्वारा, जो कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थी का प्रस्तावक/अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता** है, तारीख .... को .... बजे मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया।

तारीख................ ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ....)

मोहर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

** समुचित विशिष्टियों की प्रविष्टि करें और जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-7

[नियम 37 (4) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना

*ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

*ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

*जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

*जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता आज वापस ले ली है :—

क्रमांक (1)	विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	पता (4)
1.			
2.			
3.			
4.			

....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ....)

मोहर

* यहां समुचित विशिष्टियां भरिए तथा जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-8 क

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्र. .... से पंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह) (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

तारीख ....

(नाम ....)

मोहर

प्ररूप-8 ख

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह) (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

तारीख ....

(नाम ....)

मोहर

प्ररूप-8 ग

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह) (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

तारीख ....

(नाम ....)

मोहर

प्ररूप-8 घ

[नियम 38 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह) (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
आदि			

स्थान ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

तारीख ....

नाम ....

मोहर

प्ररूप-9

[नियम 41 (1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन *

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

....

मैं .... जो , ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान ....

तारीख ....   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम ....

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता/करती हूं।

स्थान ....

तारीख ....   निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

अनुमोदित

स्थान ....

तारीख ....   रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम ....

मोहर

---

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप-10

[नियम 42 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

मैं .... जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ /* ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री /श्रीमती/कुमारी .... का निर्वाचन अभिकर्ता हूं एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... को मतदान केन्द्र क्रमांक .... स्थान .... में अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं.

....

स्थान .... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख .... नाम ....

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं.

....

स्थान .... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख .... नाम ....

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्द्वारा , यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

....

स्थान .... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख .... नाम ....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए.

....

स्थान .... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख .... नाम ....

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-11

[नियम 43 (1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक ....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....से सदस्य का निर्वाचन*

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

....

मैं .... जो, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ,/*ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी .... का निर्वाचन अभिकर्ता हूं। एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... को गणना के लिए नियत स्थान पर गणना के दौरान उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं।

स्थान ....

....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख ....

नाम ....

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान ....

....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख ....

नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

गणन अभिकर्ता की घोषणा

(इस पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में मतों की गोपनीयता से संबंधित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान ....

....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख ....

नाम ....

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए.

....

स्थान ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.

तारीख ....

नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-12

[नियम 58 (2) देखिए]

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच का निर्वाचन

जनपद /जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक. . . . . .खण्ड का नाम..............................

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		मतदाता सूची से संबंधित ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता का अनुक्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	अभ्याक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता	पहचानकर्ता (यदि कोई हो)	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

. . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान..............................

नाम..............................

तारीख . . . .

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13 क

[नियम 62 (1) देखिए]

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा

*ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक . . . . .से पंच का निर्वाचन

*ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन

*जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . से सदस्य का निर्वाचन

*जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . .से सदस्य का निर्वाचन

मैं, ... पिता/पति का नाम ....

आयु . . . . वर्ष, पता ....

....

एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि —

(क) मैंने आज तारीख . . . . को किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है,

(ख) मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... , जो कि ग्राम पंचायत .... की मतदाता सूची के क्रमांक . . . . .पर मतदाता के रूप में दर्ज है, की ओर से मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

. . . .

(साथी के हस्ताक्षर)

स्थान ....

तारीख . . . .

नाम ....

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . .

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13 ख

[नियम 62 (2) देखिए]

अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक ....से पंच का निर्वाचन(*)

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन(*)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन(*)

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....से सदस्य का निर्वाचन(*)

मतदान केन्द्र क्रमांक............. खण्ड का नाम ....

अनुक्रमांक	मतदाता का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित	मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक	साथी का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित	साथी का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

....

स्थान .... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख .... नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-14

[नियम 64 (2) देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक ....से पंच का निर्वाचन(*)

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन(*)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन(*)

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....से सदस्य का निर्वाचन(*)

मतदान केन्द्र का क्रमांक............. खण्ड का नाम ....

क्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)	मतदाता सूची से संबंधित ग्राम पंचायत का नाम (3)	मतदाता का अनुक्रमांक (4)	मतदाता का पता (5)	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक (6)	उस व्यक्ति को जारी किए मत-पत्र का क्रमांक जिसने पहले ही मत डाल दिया है (7)	मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (8)

....

स्थान ....   पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ....   नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

टीप.—पंच के मामले में समस्त वार्डों से संबंधित निविदत्त मतों की विशिष्टियां एक ही कागज पर अभिलिखित की जाएंगी। वार्ड नम्बर का उल्लेख मतदाता अनुक्रमांक के पश्चात् कालम नंबर (4) में किया जाए.

प्ररूप-14क

[म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 72 ञ(1)(क) देखिए]

मतदाता रजिस्टर

(जहां ई.वी.एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत ....के वार्ड क्रमांक (1). . . . .(2) . . . . .(3) . . . .(4) . . . . .(5). . . .. . .से पंच का निर्वाचन

ग्राम पंचायत ....से सरपंच का निर्वाचन

जनपद पंचायत ....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . से सदस्य का निर्वाचन

जिला पंचायत ....के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . .से सदस्य का निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक. . . . .   खण्ड का नाम ....

क्रमांक	मतदाता का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
आदि					

. . . .

दिनांक . . . .

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम . . . .

प्ररूप-15

(नियम 67 देखिए)

भाग 1—मतपत्र लेखा

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक ....से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत ....से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....से सदस्य का निर्वाचन*

मतदान केन्द्र का क्रमांक ....खण्ड का नाम ....

		अनुक्रमांक से	अनुक्रमांक तक	कुल संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	....	....	....
2.	उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या	....	....	....
3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या (1-2=3)			....
4.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रों की संख्या—			
	(क) मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या.			....
	(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या.			....
	(ग) रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या			....
	योग (क+ख+ग)			....
5.	मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या (3-4=5)			....

....

स्थान .... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख .... मोहर नाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

भाग 2—प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी/मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या . . . .

2. इस भाग की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में उल्लिखित मतपत्रों की कुल संख्या में अन्तर, यदि कोई हो . . . .

. . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान . . . .

तारीख . . . .

नाम . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसरर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम . . . .

प्ररूप-15 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का

नियम 72 त देखिए)

भाग 1—अभिलिखित मतों का लेखा

(जहां ई.वी.एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन*

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन*

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन*

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम. .... कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट क्र. ....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का क्रमांक				
क्रमांक	पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य
क्र. 1				
क्र. 2				

मशीन का पहचान संख्यांक .... प्रिन्टर क्रमांक (यदि प्रयुक्त हुआ है). ....

डी.एम.एम. का संख्याक ....

1. मतदान केन्द्र में नियत मतदाताओं की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतदाताओं की संख्या
4. नियम 72 ट के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या.
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2-3-4=5)
6. निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या
   (क) क्रम संख्या .... से
   .... तक
   (ख) मतदाताओं को जारी किए
   (ग) उपयोग नहीं किये गये

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.
5.

7. **हरे कागज (ग्रीन पेपर) की सील का लेखा :—**

1.	उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें	कुल संख्या .... क्र. सं. .... से .... तक
2.	प्रयुक्त हुई कागज की सीलें	कुल संख्या .... क्र. सं. .... से .... तक
3.	रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें	कुल संख्या .... क्र. सं. .... से .... तक
4.	नष्ट हुई कागज की सीलें यदि कोई हों :	कुल संख्या .... क्र. सं. .... से .... तक

तारीख ....

स्थान ....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्र. ......

नोट :— (1) *जो लागू न हो काट दें.

(2) प्रत्येक पद के लिए पृथक्-पृथक् अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाना है.

भाग 2—प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई ई.वी.एम. में पाये गये मतों की कुल संख्या . . . .

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 3 में दर्शायी गई ई.वी.एम. में पाए गए मतों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो . . . .

. . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख . . . .

नाम ....

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम ....

प्ररूप–16

[नियम 77 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्र. .... से

पंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . खण्ड ....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मतगणना का स्थान ....

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

प्ररूप-16क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का
नियम 77 ख देखिए)

गणना का परिणाम
(जहां ई.वी.एम. से निर्वाचन कराया जावेगा)

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक .... खण्ड ....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

(क) अन्डर/नो वोटों की संख्या ....

(ख) अनफिनिस्ड वोटर्स की संख्या ....

....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अधिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

....
रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक ....

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर/ सहायक रिटर्निंग आफिसर

के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम. ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप-17

[नियम 77 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत .... (खण्ड) .... के

सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . सम्मिलित वार्डों के क्रमांक . . . .

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मतगणना का स्थान ....

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

भाग-दो
खण्ड स्तरीय

प्ररूप-17

[नियम 77 (2) एवं 80(8) देखिए]

ग्राम पंचायत .... खण्ड .... के सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना के परिणाम

सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(क) ग्राम पंचायत में विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) ग्राम पंचायत में प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) ग्राम पंचायत में डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मतगणना का स्थान ....

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

प्ररूप-17 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)

गणना का परिणाम

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत .... (खण्ड) .... से सरपंच का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक ...... सम्मिलित वार्डों के क्रमांक ....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर/ नो वोटो की संख्या ....

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या ....

....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर.

....

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान .... नाम ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक ....

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान . . . .

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . . . .

पंचायत निर्वाचन

भाग–दो
खण्ड स्तरीय

प्ररूप–17 क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत ....(खण्ड)....................से सरपंच का निर्वाचन
सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(क) अन्डर / नो वोटों की संख्या							
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या							

. . . .
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . .
स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . .

पंचायत निर्वाचन

भाग–एक

प्ररूप-18

[नियम 77 (2) देखिए]

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से

जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . सम्मिलित वार्डों के क्रमांक . . . .

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मतगणना का स्थान ....

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी.

भाग-दो
खण्ड स्तरीय

प्ररूप-18

[नियम 77 (2) एवं 80(8) देखिए]

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से

जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
*							

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या ....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मतगणनां का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

प्ररूप-18 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)

गणना का परिणाम

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . .से सदस्य का निर्वाचन
मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . . .सम्मिलित वार्डों के क्रमांक . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर / नो वोटो की संख्या . . . .

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या . . . .

. . . .
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर.

. . . .
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

मतगणना का स्थान ....

दिनांक . . . .

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक . . . .

प्ररूप-18 क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ...... से सदस्य का निर्वाचन
.निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(क) अन्डर / नो वोटों की संख्या							
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या							

....
रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक ....

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान . . . .

दिनांक . . . .

नाम . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

भाग-एक

प्ररूप-19

[नियम 77 (2) देखिए]

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान केन्द्र क्रमांक .... सम्मिलित वार्डों के क्रमांक ....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या ....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

भाग-दो
खण्ड स्तरीय

प्ररूप-19

[नियम 77 (2) एवं 80(8) देखिए]

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....से

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतों की गणना का परिणाम

खण्ड .... के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या—मतदान केन्द्रवार									योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
*											

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या ....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या—मतदान केन्द्रवार									योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

प्ररूप-19

[नियम 77 (2) एवं नियम 80(8) देखिए]

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न खण्डों के मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या			योग
		खण्ड	खण्ड	खण्ड	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*					

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या ....

(ग) डाले गये वैध मतों की कुल संख्या ....

गणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

---

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न खण्डों के मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या			योग
		खण्ड	खण्ड	खण्ड	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

गणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

भाग-एक

प्ररूप-19 क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत . . . . .के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . . . से सदस्य का निर्वाचन
मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . . .सम्मिलित वार्डों के क्रमांक . . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

(क) अन्डर / नो वोटो की संख्या . . . .
(ख) अनफिनिस्ड वोटर्स की संख्या . . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर.
. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

नाम . . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

मतगणना का स्थान . . . .
दिनांक . . . .

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

. . . .

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ················

दिनांक . . . .

नाम ·····················

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

पंचायत निर्वाचन

भाग-दो
खण्ड स्तरीय

प्ररूप-19 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ..... से सदस्य का निर्वाचन
खण्ड .... के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या. . . .

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों में निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार									योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(क) अन्डर / नो वोटों की संख्या											
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या											

....

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक ....

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न मतदान केन्द्रों के निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या मतदान केन्द्रवार									योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

. . . .
रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....
दिनांक . . . .

नाम ....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

पंचायत निर्वाचन

भाग-तीन
जिला स्तरीय

प्ररूप-19 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत.................... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न खण्डों के मतदान केन्द्रों में निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या			योग
		खण्ड	खण्ड	खण्ड	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क) अन्डर / नो वोटों की संख्या					
(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या					

....

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान...............

नाम.....................
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

दिनांक ....
स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विभिन्न खण्डों के मतदान केन्द्रों में निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या			योग
		खण्ड	खण्ड	खण्ड	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

....

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर (पंचायत)

मतगणना का स्थान ....

दिनांक . . . .

नाम ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

प्ररूप-20

[नियम 81 (1) देखिए]

पंचों के निर्वाचन की विवरणी

ग्राम पंचायत .... खण्ड ....

वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की संख्या ....

(ख) अविधिमान्य मतों की संख्या ....

(ग) डाले गये कुल मतों की संख्या ....

मैं यह घोषित करता हूं कि :—

नाम ....

पता ....

सम्यक् रूप से पंच निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-20 क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
पंचों के निर्वाचन की विवरणी
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत………………… खण्ड …………………

वार्ड क्रमांक . . . . .से पंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

मैं, यह घोषित करता हूं कि:—

नाम…………………
पता . . . .

सम्यक् रूप से पंच निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान . . . .
तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या (3)

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-21

[नियम 81 (1) देखिए]

सरपंच के निर्वाचन की विवरणी

ग्राम पंचायत .... (खण्ड ....) से

सरपंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या ....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मैं, यह घोषित करता हूं कि --

नाम ....

पता ....

....

सम्यक् रूप से सरपंच निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान ....

तारीख ....

....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

तारीख ....

....
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-21 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

का नियम 77 ख देखिये)

सरपंच के निर्वाचन की विवरणी

(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

ग्राम पंचायत . . . . (खण्ड . . . .) से

सरपंच का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मैं, यह घोषित करता हूं कि:—

नाम ....

पता ....

सम्यक् रूप से सरपंच निर्वाचित हो गए/गई है.

स्थान ....

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-22

[नियम 81 (1) देखिए]

जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी

जनपद पंचायत के .... निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य कुल मतों की संख्या ....

(ख) अविधिमान्य कुल मतों की संख्या ....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मैं, यह घोषित करता हूं कि —

नाम ....

पता ....

....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-22 क

(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का
नियम 77 ख देखिये)
जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जनपद पंचायत के . . . . निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . से

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मैं, यह घोषित करता हूं कि:—
नाम ....
पता ....

सम्यक् रूप से सदस्य निर्वाचित हो गए/गई हैं.

स्थान ....
तारीख . . . .

. . . .
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-23

[नियम 81 (1) देखिए]

जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी

जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . से

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)
*		

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मैं यह घोषित करता हूं कि :—

नाम . . . .

पता . . . .

. . . .

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान . . . .

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

* स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-23 क
(म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
का नियम 77 ख देखिये)
जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन की विवरणी
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक . . . . से

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

मैं, यह घोषित करता हूं कि:—
नाम ....
पता ....

सम्यक् रूप से सदस्य निर्वाचित हो गए/गई हैं.

स्थान ....
तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

स्थानाभाव की स्थिति में पृष्ठ भाग का भी उपयोग करें.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन कन्ट्रोल (नियंत्रण) यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

तारीख . . . .

. . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप-24

[नियम 47 देखिए]

निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा-सह-प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन(*)

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन(*)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन(*)

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन (*)

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 47 के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि :—

श्री/कुमारी/श्रीमती .... पिता/पति का नाम ....

पता ....

जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी थे/थीं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं और इसके प्रमाणस्वरूप उन्हें यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

स्थान ....

हस्ताक्षर.........................

(नाम) ....

तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

मोहर

(*) जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–25

[नियम 83 देखिए]

निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच का निर्वाचन(*)

ग्राम पंचायत .... से सरपंच का निर्वाचन(*)

जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन(*)

जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... से सदस्य का निर्वाचन(*)

मैं रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 81 के अन्तर्गत यह घोषित कर दिया है कि—

श्री/कुमारी/श्रीमती .... पिता/पति का नाम ....

जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी थे/थीं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं और इसके प्रमाणस्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर............................

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नाम ....

मोहर

(*) जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-26-क
[नियम 90 देखिए]

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 90 के उपबंध के अनुसार एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के पदों पर निर्वाचित हुए हैं :—

अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति के नाम सहित	पता	वार्ड क्रमांक (केवल पंच के लिए)	पद का नाम अर्थात् सरपंच/पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान ....

हस्ताक्षर.........................

(नाम) ....

तारीख ....

प्राधिकृत अधिकारी

मोहर

प्ररूप-26-ख

[नियम 90 देखिए]

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 90 के उपबंध के अनुसार एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति

जिला .... की जनपद पंचायत ....

के सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए हैं :—

अनुक्रमांक (1)	नाम, पिता/पति के नाम सहित (2)	पता (3)	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक (4)

स्थान ....

हस्ताक्षर.........................

(नाम) ....

तारीख ....

प्राधिकृत अधिकारी

मोहर

प्ररूप-26-ग

[नियम 90 देखिए]

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 90 के उपबंध के अनुसार एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला .... की जिला पंचायत के सदस्य के पद पर निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति के नाम सहित	पता	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान ....

तारीख ....

हस्ताक्षर. ....

(नाम) ....

प्राधिकृत अधिकारी

मोहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 1995

क्र. बी. 1-40-95-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश मिश्र, उपसचिव.

पंचायत निर्वाचन
अतिआवश्यक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन विभाग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल—462011

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

आदेश

*क्र. एफ–70–70–2014–तीन–1316.—**विषय: **ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र.**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31–क(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा ग्राम पंचायत के पंच के स्थान/स्थानों को भरने के निर्वाचन में नामनिर्देशन–पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा–पत्र एवं उसके साथ ''घोषणा–पत्र का सार'' नामक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है. ''घोषणा–पत्र का सार'' नामक यह दस्तावेज मूल घोषणा–पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जावेगा. इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये. इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा.

2. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

(1) ग्राम पंचायत के पंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन–पत्र के साथ एक घोषणा–पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा. इनमें **उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जावेगी. इस तरह प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा–पत्र एवं उसके साथ घोषणा–पत्र के सार पत्र का प्रारूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.

(2) अभ्यर्थी द्वारा घोषणा–पत्र एवं उसके सार पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि की जायेगी. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में ''निरंक'' शब्द अंकित करना आवश्यक होगा. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. रिटर्निंग ऑफिसर को यह जांच करनी होगी कि नाम निर्देशन–पत्र के साथ दाखिल करते समय घोषणा–पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा. अवगत कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नाम निर्देशन–पत्र की जाँच/संवीक्षा के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन–पत्र खारिज किया जायेगा.

(3) घोषणा–पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारियों में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए.

(4) घोषणा–पत्र एवं उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा.

(5) घोषणा–पत्र एवं उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन–पत्र निरस्त किया जावेगा.

(6) अभ्यर्थी द्वारा घोषणा–पत्र एवं उसके सार पत्र की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा.

---

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 332, दिनांक 1–8–2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 386, दिनांक 28–8–2014

(7) घोषणा-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाईट अथवा जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी.

(8) किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र की **प्रमाणित प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.

(9) यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

3. यह आदेश पंचायत आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

पंचायत निर्वाचन | **केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु**

अनुलग्नक

नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

(दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावशील)

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 31-क(1)

ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... के पंच पद के निर्वाचन के लिए

मैं (नाम) ....
पिता/पति का नाम ....
आयु . . . . वर्ष, वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....
व्यवसाय ....
.... निवासी (पूरा पता) ....

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 386, दिनांक 28-8-2014

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि:—

1. मेरा नाम, वार्ड क्रमांक . . . . .ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड ....
जिला .... की मतदाता सूची के अनुक्रमांक . . . . पर अंकित है.

2. मेरा सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है:—

2.1 दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) (निवास) . . . .
(कार्य स्थल) .... मोबाईल नम्बर . . . .

2.2 ई–मेल आई.डी. (यदि कोई हो तो) . . . .

2.3 सोशल मीडिया अकाउण्ट (यदि कोई हो तो) . . . .

3. मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों [स्वयं,पत्नि, माता-पिता, पुत्र-पुत्री (विवाहित/अविवाहित) एवं अन्य आश्रित] का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	आयु	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	निवास का पता	अभ्यर्थी से संबंध
1						स्वयं
2						
3						
4						
5						
6						

4. आयकर स्थाई लेखा संख्यांक (PAN) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाईल करने की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

5. *मुझे किसी आपराधिक मामले में न तो सिद्धदोष ठहराया गया है और न ही कारावास का दण्डादेश दिया गया है.

अथवा

*मुझे निम्नलिखित आपराधिक मामलों में सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादिष्ट किया गया है:—
(*जो लागू न हो उसे काट दें)

क्रमांक	न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं आदेश की तारीख	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम की धारा और अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	अधिरोपित दण्ड	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी/है. यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति
1				
2				
3				

6. *मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

अथवा

*मेरे विरुद्ध आपराधिक मामलों का विवरण निम्नानुसार है:—

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

क्रमांक	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (संख्याओं) सहित संबंधित पुलिस थाना, जिला राज्य के पूर्ण ब्यौरे	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है	प्रकरण की वर्तमान स्थिति

7. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1	हाथ में नकदी					
2	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग संस्थानों और सहकारी सोसाईटियों के खातों में जमा धनराशि (बचत, नियत, आवधिक आदि समस्त).					
3	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेन्चरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.					
4	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान (Investment) और रकम.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य रकम.					
6	वाहन (दो पहियों, चार पहिया) कंपनी मॉडल वर्ष एवं मूल्य.					
7	जेवरात, बुलियन (बहुमूल्य धातुएं) और मूल्यवान वस्तुएं भार एवं मूल्य के ब्यौरे.					
8	अन्य कोई आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य.					
9	समग्र कुल मूल्य					

8. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पणी 2—प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णित किया जाना चाहिए.

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1	**कृषि भूमि** 1. स्थिति/स्थितियां 2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि 3. रकबा (क्षेत्रफल) 4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय 5. वर्तमान बाजार मूल्य					
2.	**गैर कृषि भूमि/आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड** 1. स्थिति/स्थितियां 2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि 3. रकबा (क्षेत्रफल)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	**भवन (आवासीय/व्यावसायिक)**					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि					
	3. क्षेत्रफल कुल माप					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य.					
4.	**अन्य परिसंपत्तियां**					
	अन्य सम्पत्तियों में हित					
5.	पूर्वोक्त 1 से 4 तक का					
	कुल वर्तमान बाजार मूल्य.					

9. मेरे और मेरे पारिवारिक सदस्यों के सार्वजनिक एवं वित्तीय लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों के ब्यौरे मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है:—

टिप्पणी 1—यदि एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/अन्य व्यष्टिकों /निकायों का बकाया है तो प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण दिया जाये.

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1 **ऋण या शोध्य**	**(अ) बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य**					
	1. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
1	**(ब) पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य**					
	1. नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					

(स) कोई अन्य दायित्व

1. नाम
2. बकाया रकम
3. ऋण की प्रकृति

(द) दायित्वों का कुल योग (क्रमांक 1अ से 1स तक)

2. **सरकारी शोध्य** 2.1 सरकारी आवास.

2.2 जल आपूर्ति

2.3 विद्युत् आपूर्ति

2.4 टेलीफोन/मोबाईल.

2.5 सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित)

2.6 आय-कर

2.7 धनकर

2.8 सेवाकर

2.9 पंचायत/संपत्ति कर

2.10 विक्रयकर

2.11 कोई अन्य

3. कुल योग (क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)

4. क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.

---

10. मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है.

11. * मैंने पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है.

अथवा

* मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि/भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा है:—

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

क्रमांक	ग्राम का नाम जहां अतिक्रमण है	अतिक्रमित भूमि का विवरण खसरा क्रमांक	रकबा	कितने वर्षों से अतिक्रमण है

12. * मैं निरक्षर हूं.

अथवा

* मैं केवल साक्षर हूं.

अथवा

*मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:—

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

क्रमांक	योग्यता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड का नाम

सत्यापन

मैं . . . . (घोषणाकर्ता) एतद्द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूं कि उपरोक्त घोषणा-पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है.

आज दिनांक . . . . माह. . . . . .सन्. . . . . को स्थान. . . . . .पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान . . . . घोषणाकर्ता

दिनांक . . . .

पंचायत निर्वाचन केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत घोषणा-पत्र का सार पत्र

1 अभ्यर्थी का नाम

2 डाक का पूरा नाम

3 पिता/पति का नाम

4 आयु

5 जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)

6 व्यवसाय

7 उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

8 पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया है

9 वार्ड क्रमांक एवं ग्राम पंचायत का नाम

10 विकासखण्ड का नाम

11 जिले का नाम

12 आपराधिक मामलों की कुल संख्या जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है.

13 आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो

14 अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है (हां/नहीं)

15 यदि हां तो अतिक्रमित भूमि का कुल रकबा

16. आय कर विवरणी के ब्यौरे

क्र.	नाम	PAN नम्बर	वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की गई	कुल दर्शित आय (रुपये में)
1	अभ्यर्थी			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

17. चल अचल सम्पत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण

क्र.	नाम	चल सम्पत्ति का कुल समग्र मूल्य (रुपये में)	अचल सम्पत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (अनुमानित)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण या शोध्य (रुपये में)	कुल सरकारी शोध्य (रुपये में)
1	अभ्यर्थी				
2	पति या पत्नि				
3	आश्रित-1				
4	आश्रित-2				
5	आश्रित-3				

सत्यापन

मैं .... अभ्यर्थी एतद्द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूं कि उपरोक्त सार पत्र में दी गई समस्त जानकारी, मेरे द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ दाखिल घोषणा-पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लिखी गई है और इस सार पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है.

आज दिनांक . . . . माह................ सन्. . . . . . . को स्थान .... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान . . . .   घोषणाकर्ता

दिनांक . . . .

पंचायत निर्वाचन
अतिआवश्यक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

आदेश

*क्र. एफ-70-70-2014-तीन-1313.—**विषय : सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों द्वारा **नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपत्र-पत्र.**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, जिला पंचायत के सदस्य/ जनपद पंचायत के सदस्य/ ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान/ स्थानों को भरने के निर्वाचन में नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ''शपथ-पत्र का सार'' नामक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है. ''शपथ-पत्र का सार'' नामक यह दस्तावेज़ मूल शपथ-पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जावेगा. इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये. इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा.

2. इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

(1) जिला पंचायत के सदस्य/ जनपद पंचायत के सदस्य/ ग्राम पंचायत के सरपंच पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा. इनमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जावेगी. इस तरह प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र एवं उसके साथ शपथ-पत्र के सार पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.

(2) अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं दूसरे सार पत्र के प्रत्येक **कॉलम में प्रविष्टि की जावेगी. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस **कॉलम में ''निरंक'' शब्द अंकित करना आवश्यक होगा. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी **कॉलम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं, तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त **कॉलम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा. अवगत कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नामनिर्देशन-पत्र की जांच/ संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्र खारिज किया जायेगा.

(3) शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारियों में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए.

(4) शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा. शपथ-पत्र और उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा और मजिस्ट्रेट/ शपथ आयुक्त/ नोटरी के समक्ष शपथित होगा.

* मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 331, दिनांक 1-8-2014

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 385, दिनांक 28-8-2014

(5) शपथ-पत्र और उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा.

(6) अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा.

(7) शपथ-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट अथवा जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी.

(8) किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र और उसके सार पत्र की प्रमाणित प्रति दो रुपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.

(9) यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

3. यह आदेश पंचायत आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

पंचायत निर्वाचन

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटोग्राफ चस्पा करें और उस पर काली स्याही से इस तरह हस्ताक्षर करें कि, हस्ताक्षर फोटो एवं फार्म पर आये

नामनिर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला

अनुलग्नक

शपथ-पत्र

(दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावशील)

देखिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 31-क(2)

* जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....
से सदस्य
* जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....
से सदस्य
** ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत ....
के सरपंच

पद के निर्वाचन के लिये
(*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 385, दिनांक 28-8-2014.

मैं (नाम) .... पिता / पति का नाम .... आयु . . . . वर्ष, वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य) .... व्यवसाय .... निवासी (पूरा पता) ....

जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/ करती हूं कि:—

1. मेरा नाम, वार्ड क्रमांक . . . . ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड .... जिला .... की मतदाता सूची के अनुक्रमांक . . . . पर अंकित है.

2. मेरा सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है:—

2.1 दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित) **निवास .... (कार्य स्थल) .... मोबाईल नम्बर . . . .

2.2 ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो तो) . . . .

2.3 सोशल मीडिया अकाउण्ट (यदि कोई हो तो) . . . .

3. मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों [स्वयं, पत्नि, माता-पिता, पुत्र-पुत्री (विवाहित/अविवाहित) एवं अन्य आश्रित] का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	आयु	पिता / पति का नाम	व्यवसाय	निवास का पता	अभ्यर्थी से संबंध
1						स्वयं
2						
3						
4						
5						

4. आयकर स्थाई लेखा संख्यांक (PAN) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाईल करने की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्रमांक	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 385, दिनांक 28-8-2014

5. *मुझे किसी आपराधिक मामले में न तो सिद्धदोष ठहराया गया है और न ही कारावास का दण्डादेश दिया गया है.

अथवा

*मुझे निम्नलिखित आपराधिक मामलों में सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादिष्ट किया गया है:—

(*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं आदेश की तारीख	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम की धारा और अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	अधिरोपित दण्ड	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी/है. यदि हॉ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति
1				
2				
3				

6. *मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

अथवा

*मेरे विरुद्ध आपराधिक मामलों का विवरण निम्नानुसार है:—

(*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (संख्याओं) सहित संबंधित पुलिस थाना, जिला राज्य के पूर्ण ब्यौरे	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है	प्रकरण की वर्तमान स्थिति

7. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों की चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
1	हाथ में नकदी					
2	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर बैकिंग संस्थानों और सहकारी सोसाइटियों के खातों में जमा धनराशि (बज्नत, नियत, आवधिक आदि समस्त).					
3	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेन्चरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.					
4	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनियों में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान (Investment) और रकम.					
5	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य रकम.					
6	वाहन (दो पहिया चार पहिया) कंपनी मॉडल वर्ष एवं मूल्य.					
7	जे़वरात, बुलियन (बहुमूल्य धातुएं) और मूल्यवान वस्तुएं भार एवं मूल्य के ब्यौरे.					
8	अन्य कोई आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य.					
9	समग्र कुल मूल्य					

8. मेरी और मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पणी 2—प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक् तया वर्णित किया जाना चाहिए.

क्रमांक (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1	**कृषि भूमि**					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि					
	3. रकबा (क्षेत्रफल)					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य					
2.	**गैर कृषि भूमि/आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड**					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि					
	3. रकबा (क्षेत्रफल)					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	**भवन (आवासीय/व्यावसायिक)**					
	1. स्थिति/स्थितियां					
	2. खसरा क्रमांक एवं प्लाट क्रमांक इत्यादि					
	3. क्षेत्रफल कुल माप					
	4. विकास, सन्निर्माण पर व्यय					
	5. वर्तमान बाजार मूल्य.					
4.	**अन्य परिसंपत्तियां**					
	अन्य सम्पत्तियों में हित					
5.	पूर्वोक्त 1 से 4 तक का कुल वर्तमान बाजार मूल्य.					

9. मेरे और मेरे पारिवारिक सदस्यों के सार्वजनिक एवं वित्तीय लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों के ब्यौरे मेरी सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थानों, बैंकों के प्रति देनदारियों के बकाया का विवरण निम्नानुसार है:—

टिप्पणी 1—यदि एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/अन्य व्यष्टिकों /निकायों का बकाया है तो प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण दिया जाये.

क्रम संख्या (1)	विवरण (2)	स्वयं (3)	पति या पत्नि (4)	आश्रित-1 (5)	आश्रित-2 (6)	आश्रित-3 (7)
1 **ऋण या शोध्य**	**(अ) बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य**					
	1. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
1	**(ब) पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य**					
	1. नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
	(स) कोई अन्य दायित्व					
	1. नाम					
	2. बकाया रकम					
	3. ऋण की प्रकृति					
	(द) दायित्वों का कुल योग (क्रमांक 1अ से 1स तक)					
2. **सरकारी शोध्य**	2.1 सरकारी आवास.					
	2.2 जल आपूर्ति					
	2.3 विद्युत् आपूर्ति					
	2.4 टेलीफोन/मोबाईल.					
	2.5 सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित)					
	2.6 आय-कर					
	2.7 धनकर					
	2.8 सेवाकर					
	2.9 पंचायत/संपत्ति कर					
	2.10 विक्रयकर					
	2.11 कोई अन्य					
3.	कुल योग (क्रमांक 2.1 से 2.11 तक)					
4.	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.					

10. मेरे द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है.

11. * मैंने पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है.

अथवा

* मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि/भूमियों पर अतिक्रमण कर कब्जा है:—

(*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	ग्राम का नाम जहां अतिक्रमण है	अतिक्रमित भूमि का विवरण		कितने वर्षों से अतिक्रमण है
		खसरा क्रमांक	रकबा	

12. * मैं निरक्षर हूं.

अथवा

* मैं केवल साक्षर हूं.

अथवा

*मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:—

(*जो लागू न हो उसे विलोपित कर दें)

क्रमांक	योग्यता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड का नाम

सत्यापन

मैं .... **शपथग्रहीता एतद्द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ-पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है.

आज दिनांक . . . . माह. . . . . .सन्. . . . . को स्थान. . . . . .पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान ....

दिनांक . . . .

शपथग्रहीता

** मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्र. 385, दिनांक 28-8-2014

पंचायत निर्वाचन

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र का सार पत्र

1	अभ्यर्थी का नाम	
2	डाक का पूरा पता	
3	पिता/पति का नाम	
4	आयु	
5	जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)	
6	व्यवसाय	
7	उच्चतम शैक्षणिक योग्यता	
8	पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया है	
9	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अथवा ग्राम पंचायत का नाम	
10	विकासखण्ड का नाम	
11	जिला पंचायत का नाम	
12	आपराधिक मामलों की कुल संख्या जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है.	
13	आपराधिक मामलों की संख्या जो न्यायालय में विचाराधीन हो	
14	अभ्यर्थी द्वारा क्या शासकीय या पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है (हां/नहीं)	
15	यदि हां तो अतिक्रमित भूमि का कुल रकबा	

16. आय कर विवरणी के ब्यौरे

क्र.	नाम	PAN नम्बर	वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की गई	कुल दर्शित आय (रुपये में)
1	अभ्यर्थी			
2	पति या पत्नि			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

17. **चल अचल सम्पत्तियों और देनदारियों का समग्र विवरण**

क्र.	नाम	चल सम्पत्ति का कुल समग्र मूल्य (रुपये में)	अचल सम्पत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य (अनुमानित)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण या शोध्य (रुपये में)	कुल सरकारी शोध्य (रुपये में)
1	अभ्यर्थी				
2	पति या पत्नि				
3	आश्रित-1				
4	आश्रित-2				
5	आश्रित-3				

सत्यापन

मैं .... अभ्यर्थी एतद्द्वारा यह सत्यापन करता/करती हूं कि उपरोक्त सार पत्र में दी गई समस्त जानकारी, मेरे द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार लिखी गई है और इस सार पत्र के प्रत्येक भाग में मेरे द्वारा दी गई विषयवस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सही है, कोई भाग गलत नहीं है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है.

आज दिनांक . . . . माह. .... सन् . . . . . . को स्थान .... पर सत्यापन किया और हस्ताक्षर किया.

स्थान ....   शपथग्रहीता

दिनांक . . . .

Bhopal, the 23rd December 1995

No. B-1-40-95-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT NIRVACHAN NIYAM, 1995

CHAPTER I-PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat NIRVACHAN NIYAM, 1995.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette.".

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(b) "Appellate Authority" means the officer designated by the State Election Commission as Appellate Authority in consultation with the State Government to hear appeals under these rules;

(c) "Commission" means the Madhya Pradesh State Election Commission Constituted under article 243k of the Constitution.

(d) " Constituency" means a Constituency of Janpad Panchayat within the Block and Zila Panchayat within the District;

*(e) "District Election Officer" means the officer appointed by the State Election Commission as District Election Officer (Panchayat) in consultation with the State Government for preparation of voters list and conduct of elections to Panchayats in a district.

(f) " Form" means a form appended to these rules;

(g) " Marked copy of the voters' list" means the copy of the voters' list set apart for the purpose of marking the names of voters to whom ballot papers are issued at an election.

(h) "Registration Officer" means the Electoral Registration Officer appointed by State Election Commission, in consultation with the State Government for registration of voters for election to Panchayats in a district and includes an Assistant Electoral Registration Officer.

(i) " Returning Officer" means Returning Officer (Panchayat) appointed by the State Election Commission or when so authorised by the State Election Commission, by the District Election Officer as a Returning Officer for election to any panchayat.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 4-2-98.

(j) "Voters' List" means the electoral roll or the list of voters of a ward or constituency of a Panchayat;

(k) "Village" means a village as specified under Section 3 of the Act;

(l) "Ward" means the ward of a village.

CHAPTER II—FORMATION OF WARDS AND CONSTITUENCIES AND RESERVATION

3. **Matters to be taken into consideration in formation of wards.—***(1) A "Village" shall be divided into wards in accordance with the provisions of Section 12 of the Act, on the following events,—

(a) During the first election; or

(b) In case limits of "Village" is altered by including therein any local area in the vicinity there of or excluding therefrom any local area comprised therein; or

(c) At the interval of every ten years, if the ratio between the population of Gram Panchayat area and number of wards is distorted in such a manner "that it is not practicable to be the same as it is throughout the block."

(2) Where there are more than one ward in a village, the Collector shall form each ward so as to conform, as far as possible, to the order in which the houses of the voters fall in consecutive order.

(3) Each ward shall be assigned a separate serial number.

(4) The wards formed under this rule shall be notified by the Collector by affixing a statement thereof on the notice board of the Collector's office as well as at a conspicuous place in each village of the Gram Panchayat area.

(5) Any adult inhabitant of the Gram Panchayat area may, if he objects to anything contained in statement affixed under sub-rule (4), submit his objection in writing to the Collector within five days from the date of the affixture of the statement.

(6) On receipt of the objections, if any, the Collector shall hold a summary inquiry into every objection and shall record his decision thereon.

(7) The Collector shall thereafter amend the statement according to his decision the number of wards and seats reserved for the members of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and for women and they shall be finally notified by him in the manner prescribed in sub-rule (4).

* (8) Once the number of wards and their area is determined by the Collector, in the manner prescribed in sub-rules (1) to (7), the number of wards and their area shall remain the same in subsequent elections, unless any of the events mentioned in sub-rule (1) happens and in subsequent elections, the Collector shall notify and publish a statement of wards and the area thereof, number of wards reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women in the manner prescribed in sub-rule (4)."

4. **Powers of Collector to determine reserved seats for wards.—**(1) Subject to the provisions of Section 13, the ward or wards in which seats shall be reserved for women and the members of scheduled castes or scheduled tribes or other backward classes shall be determined by the Collector.

**"Provided that in Scheduled areas the seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be reserved in accordance with the provisions of Section 129-E of the Act."

(2) The total number of seats to be reserved for the members of scheduled castes or schduled tribes shall be in proportion to the total population of such caste and tribe with the total pupulation of the Gram Panchayat area. Fraction less than half shall be ignored and half and more than half shall be counted as one.

**"(3) Seats reserved either for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes shall as far as practicable, be alloted in the wards in which the percentage of population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, worked out by the Collector is found by him to be correspondingly higher in descending number:

Provided that in Scheduled areas, at first instance, reservation of seats for Schedule Tribes shall be determined in accordance with the provision of sub-rule (3) and if any short fall remains, remainder seats shall be reserved for Scheduled Tribes by drawing of lots and by rotation."

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 115, दिनांक 5-3-99.
** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(4) In a Gram Panchayat where fifty per cent. or less than fifty per cent. wards have been reserved both for the scheduled castes and for scheduled tribes, twenty five per cent. of the total number of seats shall be reserved for other backward classes and such seats shall be alloted by the Collector in the wards excluding the wards reserved for the scheduled castes and the scheduled tribes by rotation and drawing of lots:

**"Provided that in a Gram Panchayat in Scheduled areas, such number of seats shall be reserved for persons belonging to Other Backward Classes, which together with the seats, already reserved for Scheduled Castes, and Scheduled Tribes if any, shall not exceed three fourths of all the seats in that Gram Panchayat, by rotation and drawing of lots."

(5) Out of the wards reserved for women in accordance withe sub-section (5) of Section 13 number of wards shall be reserved for women of scheduled castes or scheduled tribes and/or other backward classes as may bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats reserved for women as the total number of wards reserved for scheduled castes or scheduled tribes and/or other bckward classes bear to the total number of wards in the Gram Panchayat atea. Seats for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes shall be allotted from out of the wards reserved for scheduled castes and/ or scheduled tribes and/or other backward classes under sub-rule (3) and under sub-rule (4). Seats belonging to women of general category be allotted from out of the remaining wards.

(6) (a) The prescribed authority shall, for the purpose of fixing the wards in which seats shall be allotted, under sub-rules (4) and (5) draw lots separately for the wards reserved for other backward classes and for women.

(b) For the purpose of allotting wards the prescribed authority shall publish a notice at a conspicuous place at the headquarter of the concerned gram panchayat stating that the lots shall be drawn in the office to be named in such notice and on the date and at the time specified therein before the persons who are present to witness the drawal of lots.

(c) For the purposes of allotment of wards for women separate chits shall be prepared for general wards and wards reserved for scheduled castes and/or scheduled tribes and/or other backward classes giving the individual number of wards on each of such chit. All the chits meant for general wards shall be kept in one pot and those chits for reserved wards shall be kept in separate pot/pots. As many chits as are required for allotment of seats for women of general category shall be drawn out and the number of wards written on the chits, shall be read out before the persons witnessing the draw. Similar procedure shall be adopted for drawing chits from the pots meant for allotment of wards for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes.

(d) The proceedings shall be recorded in writing and signed by the prescribed authority. Signatures of atleast two non-official persons witnessing the drawal of lots shall also be obtained on proceedings. Their names and addresses shall be written below their signatures.

**"(e) For the categories of seats which are to be reserved by drawing lots and by rotation, in subsequent general election of Gram Panchayat, the Wards previously reserved shall be excluded from drawing lots, for that category till all such Wards are not exhausted.".

5. Matters to be taken into consideration in formation of constituencies of Janpad Panchayat and Zila Panchayat.—(1)* A 'Block' and a 'District' shall be divided into constituencies in accordance with the provision of Section 23 and Section 30 respectively, on the following events,—

(a) During the first election; or

(b) In case limits of 'Block' or 'District' as the case may be, altered by including therein any local area in the vicinity thereof or by excluding therefrom any local area comprised therein; or

(c) If ratio between the population of each constituency and the number of seat alloted to it, is practicable not to be throughout the panchayat area.

(2) The population of each constituency shall as far as possible be the same.

(3) A village in any constituency shall be completely included and all the villages included in a constituency shall as far as practicable be in consecutive order.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 115, दिनांक 5-3-99.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(4) Every constituency of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall be assigned a serial number in the name of Janpad Panchayat and Zila Panchayat as the case may be.

(5) The constituencies formed under this rule shall, with their description be notified by affixing a statement as follows:—

(i) On the notice board of the Collector's Office.

(ii) On the notice board of office of Zila Panchayat.

(iii) On the notice board of Block Development Office.

(iv) On the notice board of Janpad Panchayat Office.

(v) On the notice board of Tahsildar's Office.

(6) Any adult inhabitant may, if he objects to anything contained in the statement affixed under sub-rule (5) submit his objection in writing to the Collector within seven days from the date of affixture of the statement.

(7) On receving the objection, if any, the Collector shall hold a summary enquiry into every objection and shall record in writing his decision thereon.

(8) The Collector shall thereafter amend the statement according to his decision and determine the number of constituencies and seats reserved for the members of the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women and they shall be finally notified by him in the manner prescribed in sub-rule (5).

*(9) Once the number of constituencies and their area is determined by the Collector, in the manner prescribed in above sub-rules, the number of constituencies and their area shall remain the same in subsequent elections, unless any of the events mentioned in sub-rule (1) happens and in subsequent elections, Collector shall notify and publish a statement of constituencies and their area and number of constituencies reserved for scheduled castes, scheduled tribes, other backward class and women in the manner prescribed in sub-rule (5).

6. Reservation of Constituencies.—(1) Subject to the provisions of Section 23 in the case of Janpad Panchayat and Section 30 in case of Zila Panchayat, the constutuencies in which seats shall be reserved for the members of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women shall be determined.

**"Provided that in the Scheduled areas the seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be reserved in accordance with the provision of Section 129-E, of the Act.".

(2) The total number of seats to be reserved for scheduled castes, or scheduled tribes shall be in proportion to the total population of such castes and tribes with the total population of Janpad Panchayat or Zila Panchayat as the case may be. Fraction less the half shall be ignored and half or more than half shall be counted as one.

**"(3) Seats reserved either for the Scheduled Cates or the Scheduled Tribes shall, as far as practicle, be alloted in the constituencies in which the percentage of population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, Worked out by the Collector is found by him to be correspondingly higher in descending number:

Provided that in Scheduled areas, at first instance, reservation of seats for Scheduled Tribes shall be determined in accordance with the provisions of sub-rule (3) and if any short fall remains, remainder seats reserved for Scheduled Tribes shall be determined by drawing of lots and by rotation.".

(4) In a Janpad and Zila Panchayat where fifty per cent. or less than fifty per cent. seats have been reserved for scheduled castes and scheduled tribes, twenty five per cent. of the total number of seats shall be reserved for other backward classes and such seats shall be allotted by the prescribed authority in the constituencies excluding the constituencies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by rotation and drawal of lots.

**"Provided that in a Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be may, in Scheduled Areas such number of seats shall be reserved for persons belonging to Other Backward Classes, which together with the seats, already reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if any, shall not exceed three fourth of all the seats in Scheduled Areas of that Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be, by rotation and drawing of lots.".

(5) Out of the constituencies reserved for women under section 23 in case of Janapad Panchayat and Section 30 in case of Zila Panchayat, such number of constituencies shall be reserved for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes as may bear, as nearly as may be, the same proportion

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 115, दिनांक 5-3-99.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

to the total number of constituencies reserved for women as the total number of seats reserved for scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes bears to the total number of constituencies in a Janpad Panchayat or Zila Panchayat as the case may be. Seats for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes and/or other backward classes shall be allotted from out of the constituencies reserved for such castes, tribes, and/or backward classes. Seats belonging to women of general category shall be allotted from the remaining constituencies.

(6) (a) the prescribed authority shall, for the purpose of fixing the constituencies in which seats shall be allotted under sub-rule (4) and (5) draw lots separately for the constituencies reserved for other backward classes and for women.

(b) The prescribed authority shall, for the purpose of allotting the constituencies, publish a notice stating that the lots shall be drawn in the office to be named in such notice and on the date and at the time specified therein before the persons who are present to witness the drawal of lots. Such notice shall be published at the places specified in sub-rule (5) of rule 5.

(c) For the purpose of allotting the constituencies for women, separate chits shall be prepared for general constituencies and constituencies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and/or other backward classes, giving the number of constituencies on each such chit. Chits of each of such category shall be kept in separate pots and such number of chits shall be drawn from each pot as may be required for women belonging to that category and the number of constituencies written on the chit shall be read out before the persons witnessing the draw.

(d) The proceeding shall be recorded in writing and signed by the prescribed authority. Signatures of atleast two non-official persons witnessing the drawal of lots shall also be obtained on such proceeding. Their names and addresses shall be written below their signatures.

**"(e) For the categories of seats which are to be reserved by drawing of lots and by rotation, in subsequent general election of Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be, the constituencies previously reserved shall be excluded from drawing lots, for that category till such constituencies are not exhausted.".

CHAPTER III—RESERVATION OF POST FOR SARPANCH

7. Determination of reserved seats for Sarpanch.—(1) The Panchayats in which seats shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women as Sarpanch of the Gram Panchayats in accordance with the provisions of Section 17 for Gram Panchayats within the block shall be determined by the prescribed authority.

**"Provided that in the Scheduled area, the post of Sarpanch shall be reserved for Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Section 129-E of the Act."

(2) The prescribed authority.—(i) shall for the purpose of allotment of seats of Sarpanch of Gram Panchayat to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes keep the chits of the names of all Gram Panchayats within the Block in a pot and draw lots therefrom to the extent necessary for fulfilling the requirement of reservation under sub-section (2) of Section 17 in the following order, namely :—

(a) Scheduled Castes;

(b) Scheduled Tribes; and

(c) Other Backward Classes.

(ii) shall for the purpose of allotment of seats of Sarpanch of Gram Panchayats to women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and General Category, keep chits bearing the name of the Gram Panchayats reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and General Category in different pots and draw lots therefrom, to the extent necessary for fulfilling the requirement of reservation for women under sub-section (3) of Section 17.

(3) For the purpose of drawal of lots a notice in which the place, date and time for drawal of lots has been described shall be exhibited at least five days before the date of drawal of lots by the prescribed authority in relation to Gram Panchayat—

(a) on the notice board of Collector's Office;

(b) on the notice board of the office of the Tahsil Office within which the block lies;

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(c) on the notice board of the office of concerned Janpad Panchayat; and

(d) on the notice board of every Gram Panchayat within the block concerned.

(4) Proceedings regarding drawal of lots shall be recorded in writing and shall be signed by the prescribed authority, Signatures of at least two non-official persons present at the time of drawal of lots shall be obtained and the names and addresses of persons signing on such proceeding shall be written below their signatures.

**"(5) In the subsequent general Election of Gram Panchayat, the Gram Panchayat previously reserved shall be excluded from drawal of lots, for that particular category, till all such Gram Panchayat are not exhausted."

8. Assistance in the matter of reservation.—The State Government, Director of Panchayat and Social Welfare, Collector and the prescribed authority may take necesssary assistance from their subordinate officers in the matter of forrmation of wards, reservation and allotment of seats.

CHAPTER IV—LIST OF VOTERS

9. Preparation of voters' list—(1) The Commission shall subject to the provisions of Section 5, cause to be prepared in Form-1, ward-wise list of voters in Hindi written in the Devnagri Script, for each Gram Panchayat.

(2) The Commission shall appoint, in consultation with the State Government, a Registration Officer for Panchayats in a district and one or more Assistant Registration Officers, as may be found necessary to assist the Registration Officer in the preparation of voters' list for Panchayats.

(3) Every Assistant Registration Officer shall, subject to the control of the Registration Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Registration Officer.

***10. Publication of voters' list for inviting claims and objections.**—(1) As soon as the voters list is ready, the Registration Officer shall give a public notice inviting claims for inclusion of names in the list and objections to any entry therein, in such form as may be prescribed by the Commission and shall get the notice displayed on the notice board in the office of:—

(a) Registration Officer,
(b) Gram Panchayat, concerned and
(c) Janpad Panchayat within which the Gram Panchayat lies.

(2) The notice under sub-rule (1) shall specify the period during which and the offices at which objections or claims may be lodged.

(3) Simultaneously with the publication of notice under sub-rule (1), the Registration Officer shall make available a copy of the voters' list for inspection of public, free of charge, for a period of atleast five days from the day of publication of the notice, during office hours at his office and at the office of the Gram Panchayat concerned.

(4) Copy of the voters' list may be supplied to any person on payment of such fee as may be fixed by the Commission by a General or Special Order.

11. Claims and Objections.—(1) Any person, whose name is not entered in the voters' list or is entered at an incorrect place or with incorrect particulars or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his own name or the name of any person in that list, may prefer a claim or objection by delivering to the Registration Officer an application in writing duly signed not later than 3.0' clock in the afternoon of the last specified day in the notice under rule 10 and no claim or objection received thereafter shall be entertained.

(2) Every claim or objection shall be preferred in such form as may be prescribed by the Commission and shall either be presented to the Registration Officer or to such other Officer as may be nominated by him in this behalf.

---

*म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 295, दिनांक 12-4-99.

(3) A claim or objection may be accompanied by any document on which the claimant or objector relies.

12. Disposal of claims and objections.—(1) The Registration Officer shall, after holding such summary inquiry into the claims or objections as he thinks fit, record his decision in writing and shall make available on demand copy of such decision to the objector free of charge forthwith.

(2) No person shall be presented by any legal practitioner in any proceeding under this rule.

(3) The Registration Officer shall amend the voters' list in accordance with his decision.

(4) The voters' list so amended shall subject to decision in appeal, if any, be final and a copy thereof duly signed by the Registration Officer shall be kept in his office and another copy deposited in the office of District Election Officer.

(5) Any person aggrieved by the decision of the Registration Officer may prefer an appeal to the Appellate Authority within five days of such decision, Every appeal shall be in such form as may be prescribed by the Commission and presented to the Appellate Authority accompanied with a copy of the decision of the Registration Officer. The Appellate Authority, after giving the appellant an opportunity of hearing and making such enquiry as it deems fit, shall pass suitable orders expeditiously and in the event of the appeal succeeding, direct the Registration Officer to amend the voters' list to give effect to its decision. The decision of the Appellate Authority shall be final :

Provided that no amendment shall be carried out in the voters' list according to the decision of the Appellate Authority after the last date and time fixed for making nominations in the notice issued under rule-28 and before the completion of election.

13. Inspection and issue of certified copies.—(1) Every member of the public shall have the right to inspect the voters' list referred to in sub-rule (4) of rule 12 on payment of a fee of two rupees and certified copies of the same may be issued by the Registration Officer to an applicant on payment of the same fees as are prescribed for copies of revenue records.

14. Duration of voters' list and its revision.—(1) The voters' list referred to in sub-rule (4) of Rule 12 shall remain in force until revised in accordance with sub-rule (2) or sub-rule (3).

(2) Every such list shall be liable to revision by reference to the first day of January of the year in which it is so revised—

(i) before each general election to the Panchayats, or as the case may be;

(ii) before each bye-election to fill a seat in a Panchayat.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) it shall not be necessary to revise such list before a bye-election, if such bye-election is held during the calender year in relation to the first day of January whereof the list has been originally prepared :

Provided that the Commission may for reasons considered sufficient by it direct revision of such list before holding a bye-election.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the validity or continued operation of the voters' list referred to in sub-rule (4) of rule 12 shall not in any way be affected by non-revision of any such list under sub-rule (2) or when so directed by the Commission under proviso to sub-rule (3).

15. *Finalisation of voter's list—Subject to the provision of rule 15A no correction in any entry of inclusion or deletion of any name shall be made in the voter's list after its finalisation under rule 12 :

Provided that clerical, technical or printing error or ommission, apparent on the face of the record, regarding a voter may be corrected by the Registration Officer at any time before the last date and time fixed for making nomination under rule 28.".

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 4-2-99.

***15A. Deletion of entries in the voters list in certain cases.**—(1) If the Registration Officer on application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that the name of any person in the voter's list of a Panchayat after its finalisation under rule 12 should be deleted on the ground that the person concerned is registered in the voter's list of any other Panchayat or of any Municipality, the Registration Officer shall, subject to such general or special direction, if any, as may be given by the Commission in this behalf, delete the entry :

Provided that before taking any action in this behalf, the Registration Officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(2) No deletion of any entry shall be made under sub-rule (1) after the last date fixed for making nomination in the notice issued under rule 28 for the election in that ward or in the constituency of any Panchayat within which that ward is comprised and before the completion of that election.

(3) The Registration Officer shall record in writing the reasons for his decision to delete an entry under sub-rule (1) and shall make available, on demand, a copy of such decision to the person concerned free of charge, forthwith.

(4) Any person aggreved by the decision of the Registration Officer under sub-rule (1) may prefer an appeal to the District Election Officer within fifteen days of such decision.

(5) The District Election Officer, after giving the appellant an opportunity of hearing and making such enquiry as he deems fit, shall pass suitable order on the appeal. The decision of the District Election Officer shall be final.

****16. Custody and destruction of papers.**—The preliminary voter's list published under rule 10, the claims and objections received under rule 11 along with the order of the Registration Officer of Appellant Authority thereon and the papers relating to the proceedings under rule 15A shall be preserved in the record room of the District Election Officer until after the next revision of the list and shall then be destroyed.

CHAPTER V—ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR CONDUCT OF ELECTION

17. Officers and staff for conducting elections.—(1) The State Government shall, when so requested by the Commission make available to the Commission such officers and staff as may be necessary for the discharge of functions conferred on the Commission under the Act and these Rules.

(2) All the officers and members of the staff appointed or deployed for preparation of voters' list and conduct of election to Panchayats under the act or these Rules shall function under the superintendence, direction and control of the Commission.

*(3) The Commission may assign such duties and functions to the officers and members of staff appointed or deployed under sub-rule (1) and invest them with such powers, in relation to such areas as it may deem necessary or consider fit, in relation to conduct of elections and matters connected therewith or incidental thereto.

*****"17-A. Requisition of vehicles etc. for Panchayat election purposes.**—(1) The District Election Officer may, if it appears to him necessary in connection with election under the Madhya pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 that any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force for maintaining law and order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, he may by order in writing requisite such vehicle, vessel or animal and may make such further orders as may appear to him to be necessary and expedient in connection with such requisition.

(2) Such requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served on the person to whom it is addressed.

---

*मध्यप्रदेशअसाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 4-2-99.

***मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, 11-4-2002.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-rule (1) the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in sub-rule (1).

Explanation.—For the purposes of this rule "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

17-B. Payment of compensation.—Whenever in pursuance of rule 17-A any vehicle, vessel or animal is requisitioned, there shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the basis of the rate fixed by the Chief Electoral Officer for such vehicle, vessel or animal for the State Assembly Elections :

Provided that any person interested, being aggrieved by the amount of compensation determined by District Election Officer, may apply within thirty days from the date of issue of the order determining the compensation to the Divisional Commissioner for a review. The decision of the Divisional Commissioner shall be final.

17-C. Manner of serving order or requisition of vehicles, vessels and animals.—An order of requisition under 17-A shall be served:—

(a) Where a person to whom such order is addressed is a corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in rule 2 of order XXIX or rule 3 of order XXX, as the case may be, in the first Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908); and

(b) Where a person to whom such order is addressed is an individual,—

(i) personally by delivering or tendering the order, or

(ii) by registered post with acknowledgement due, or

(iii) if a person connot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult member of his family, or by affixing such on some conspicuous part of the permises in which he is known to have last resided or carried on business, or personally worked for a gain.

17-D. Penalty for contravention of any order regarding.—If any person contravenes any order made under rule 17-A he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to rupees five hundred or with both."

18. Commission's power to issue General or Special orders or directions.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Commission may issue such special or general orders or directions which may not be inconsistent with the provisions of the Act for fair and free elections.

19. District Election Officer and Deputy District Election Officer.—(1) The Commission shall in consultation with the State Government appoint a District Election Officer for each district and one or more Deputy District Election Officers as may be found necessary to assist the District Election Officer in the conduct of elections of Panchayats in the district.

(2) Subject to the superintendance, direction and control of the Commission, the District Election Officer shall coordinate and supervise all work in the district in connection with the conduct of all elections to panchayats in the district.

(3) The District Election Officer shall also be Ex-officio Returning Officer for election to Zila Panchayat.

***19-A. Observers.**—(1) The Commission may nominate an Observer to watch the conduct of election or elections in a Panchayat or a group of Panchayats and to perform such other functions as may be entrusted to him by the Commission.

(2) The Observer nominated under sub-rule (1) shall have the power to direct the Returning Officer for any Panchayat for which he has been nominated, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result if in the opinion of the Observer 'booth capturing' has taken place at any polling station of that Panchayat or at the place fixed for counting of votes or any ballot papers used at a polling station are unlawfully taken out of the custody of the Returning Officer accidentally or intentionally destroyed or lost or damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained.

(3) Where an Observer has directed the Returning Officer under this rule to stop counting of votes or not to declare the result, the Observer shall Forthwith report the matter to the Commission and thereupon the Commission shall, after taking all material circumstances into account, issue appropriate directions under rule 72.

Explanation.—The expression 'booth capturing' shall have the meaning assigned to it in Section 14-D of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.

20. Appointment of Returning Officer.—The Commission or when so authorised by Commission, the District Election Officer shall appoint an officer of the State Government not below the rank of a Naib Tahsildar as a Returning Officer for every election to fill a seat in any Panchayat other than the Zila Panchayat :

Provided that nothing in this rule shall prevent the commission or the District Election Officer from appointing same person to be a Returning Officer for election of more than one Panchayat.

21. Appointment of Assistant Returning Officer.—(1) The Commission or when so authorised by the Commission, the District Election Officer may appoint one or more persons as Assistant Returning Officer to Assist the Returning Officer in the performance of his functions.

(2) Every Assistant Returning Officer shall, subject to the control of the Returning Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer.

(3) Any reference in these rules to the Returning Officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include an Assistant Returning Officer.

22. General duty of Returning Officer.—It shall be the general duty of the Returning Officer in any election to perform all such acts and things as may be necessary for effectively conducting the election in the manner provided by these rules.

****23. Polling Stations.**—(1) The District Election Officer shall provide sufficient number of polling stations for every election under these rules and shall publish atleast 20 days before the date of poll, a list showing the polling stations and the polling areas for which they will be set-up.

(2) The list prepared under sub-rule (1) shall be published by affixing a copy thereof on the notice board in the office of:—

- (a) District Election Officer;
- (b) Returning Officer;
- (c) Panchayat concerned.

(3) No change shall be made by the District Election Officer in the location of any polling station notified under sub-rule (1) without previous approval of the Commission :

Provided that if a change in the location of any polling station is approved by the Commission, then such change shall be-

- (a) Published for general information in the Gram Panchayat affected by the change, and
- (b) Communicated in writing to the concerned candidates by the Returning Officer as expeditiously as possible.

---

* म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 4-2-1998.

**म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

24. Appointment of Presiding and Polling Officers.—(1) The Returning Officer shall with the prior approval of the District Election Officer, appoint a presiding officer for each polling station and such polling officer or officers to assist the presiding officer, as he thinks necessary :

*"Provided that no person who is not,—

(i) a Government servant; or

(ii) a servant of local authority; or

(iii) a servant of a University established or incorporated by or under a Provincial or State Act; or

(iv) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Provincial or State Act or which is not controlled, or not financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly, by the State Government.

Shall not be appointed as Presiding Officer." :

Provided further that if a polling officer is absent from the polling station, the presiding officer may appoint any person, who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election, to be the polling officer during the absence of the former officer, and inform the Returning Officer accordingly.

(2) A Polling Officer shall subject to the directions of the Commission if so authorised by the Presiding Officer, perform all or any of the functions of Presiding Officer under these rules.

(3) If the Presiding Officer, owing to illness or any other unavoidable cause, is obliged to absent himself from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer as has been previously authorised by the Returning Officer to perform such functions during any such absence.

(4) Reference in these rules to the presiding officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include any person performing any function which he is authorised to perform under sub-rule (2), or as the case may be, under sub-rule (3).

25. General duty of Presiding Officer.—It shall be the general duty of the Presiding Officer at a polling station to maintain order thereat and to see that the poll is fairly taken.

26. Duty of a Polling Officer.—It shall be the duty of every polling officer at a polling station to assist the presiding officer for such Station in the performance of his functions.

27. Control of District Election Officer.—The Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, polling officers and all other persons appointed in accordance with these rules shall, within the over all direction and control of the Commission, work under the control of District Election Officer.

****27-A. Returning Officer, Presiding Officer, etc. deemed to be on deputation to Election Commission.**— The Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Polling Officer and any other officer appointed under this chapter for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Commission for the period commencing on and from the date of notice of election and ending with the date of declaration of the results of such election and such officers shall be under the control, superintendence and discipline of the Commission during that period.

CHAPTER VI—CONDUCT OF ELECTION

28. Notice of election and time schedule therefor.—In accordance with the time schedule prescribed by the commission, the District Election Officer shall by notice in Form 2 or 3 as the case may be, specify—

(a) the last date, time and place for making nominations which shall be the seventh day after the date of publication of the notice, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(b) the date, time and place for the scrutiny of nominations and such date shall be the day next following the last date appointed for making nominations, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-99.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, दिनांक 11-4-2002.

(c) the date for withdrawal of candidature which shall be the second day after the date for the scrutiny of nominations or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(d) the date on which and the time during which the poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the date, time and place for the counting of votes.

*(f) the date, time and place for tabulation and declaration of election result.

Note.—"Public Holiday" means any day which is declared to be a holiday by the State Government for its offices as well as the Government Treasuries and Sub-Treasuries in the State.

29. Manner of publication of notice under rule 28.—Notice under rule 28 shall be published at least 20 days before the date appointed for the poll by affixing a copy thereof on the notice board in the office of :—

(a) District Election Officer,

(b) Returning Officer, and

(c) Panchayat concerned.

***29-A. Publication of notice regarding reservation/status of seats.**—(1) The District Election Officer shall, simultaneously with the publication of notice of election under rule 28, publish a notice in Form 3A or 3B as the case may be showing the status of reservation of every seat in a Panchayat for which election is to be held, by affixing a copy thereof on the notice board in the office of:—

(a) District Election Officer,

(b) Returning Officer,

(c) Panchayat concerned.

(2) The District Election Officer shall issue, on demand by any member of public, a certified copy of the notice referred to in sub-rule (1), forthwith on payment of the same fee as prescribed for copies of revenue records.

30. Extension of time for completion of election.—It shall be competent for the Commission, for reasons which it considers sufficient, to extend the time for completion of any election by making necessary amendments in the time schedule prescribed by it under rule 28.

31. Nomination of candidates.—(1) Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat if he is qualified to be elected to fill that seat under the provisions of the Act :

Provided that in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or a woman, no person who is not a member of a Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or is not a woman, as the case may be, shall be qualified to be elected to such a seat.

(2) Every nomination paper presented under rule 32 shall be—

(i) in the case of election of a panch, in Form 4-A;

(ii) in the case of election of a sarpanch, in Form 4-B;

(iii) in case of election of member of Janpad Panchayat, in Form 4-C; and

(iv) in case of election of member of Zila Panchayat, in Form 4-D.

(3) A nomination paper shall be supplied by the Returning Officer, to any voter on demand.

***"31-A. Information of criminal record, properties, liabilities and educational qualifications etc. of candidates:—**

(1) Every candidate for the post of Panch shall submit a declaration in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about his educational qualification, criminal cases pending/decided, his/her assets and liablities and that of his/her spouse and dependents, his/her number of living children and information about whether he/she is an encroacher on Government Land.

---

*म. प्र. असाधारण राजपत्र, क्र. 33, दिनांक 4-2-1998.

**म. प्र. असाधारण राजपत्र, क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

***मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 387, दिनांक 20-9-2004.

(2) Every candidate for the post of Sarpanch, member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall submit an affidavit, in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about educational qualifactions, criminal cases pending/decided, his/her assets and liabilities and that of his/her spouse and dependants, the number of his/her living children and whether he/she is an encroacher on Government Land. The affidavit shall be sworn before competent Notary, Magistrate or Oath Commissioner.

(3) A copy of affidavit/declaration of candidates for the post of Panch, Sarpanch, Member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall be exhibited on the notice board in the office of the Returning Officer. Its copy shall be made available to any citizen on demand on payment of prescribed fee."

32. Presentation of nomination papers.—(1) On or before the date appointed under clause (a) of rule 28 each candidate shall either in person or by his proposer deliver to the Returning Officer or Assistant Returning Officer so authorised by the Returning Officer for that purpose, during the time and at the place specified in the notice issued under rule 28 a duly completed nomination paper in the prescribed form and signed by the candidate and in case of—

(a) election of Panch, by a voter of the concerned ward of village;

(b) election of Sarpanch, by a voter of the concerned village;

(c) election of member of Janpad Panchayat, by a voter of any village within the block; and

(d) election of member of Zila Panchayat, by a voter of any village within the district, as proposer :

Provided that any person who is subject to any disqualification as a voter under the Act shall not be eligible to sign any nomination paper as proposer.

(2) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper for election to any office :

Provided that not more than two nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer for election to any office.

****33. **Security Deposit.**—(1) A candidate shall not deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash either before or at the time of presentation of nomination paper under rule 32 to the Returning Officer, the following amount as security, namely:—

(a) in case of Panch from any ward Rs. 200/-

(b) in case of Sarpanch of a Gram Panchayat Rs. 1000/-

(c) in case of member of a Janpad Panchayat Rs. 2000/- and

(d) in case of member of a Zila Panchayat Rs. 4000/-

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class, he/she shall be required to deposit only half of the above amount as security under this rule.

(2) If a candidate presents more than one nomination paper for election to the same seat, not more than one deposit shall be required of him under sub-rule (1).

34. Notice of nomination and time and place for Scrutiny.—(1) On presentation of a nomination paper under sub-rule (1) of rule 32, the Returning Officer shall satisfy himself that the serial number and the name of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the voters' list :

Provided that the Returning Officer shall permit any misnomer or inaccurate description or clerical or technical error to be corrected and where necessary, shall overlook any such misnomer or inaccurate description or clerical or technical error in the nomination paper.

(2) The Returning Officer shall inform the person delivering the nomination paper, of the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations and shall enter on the nomination paper its serial number and sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper has been delivered to him, and shall, as soon as may be thereafter, cause to be affixed on the notice board in his office a notice of the nomination containing descriptions similar to those contained in the nomination paper, both of the candidate and of the proposer.

***मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 409, दिनांक 21-9-2012

35. Scrutiny of nomination papers.—(1) On the date fixed for the scrutiny of nomination papers under rule 28, the candidates, their election agents, one proposer of each candidate, and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person, may attend at the time and place appointed in this behalf under rule 28 and the Returning Officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered as required by rule 32.

(2) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination and may either on such objections or his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, reject any nomination paper on any of the following grounds, that is to say—

(a) that the candidate is disqualified for being elected to fill the seat by or under the Act;

(b) that the proposer is disqualified from subscribing a nomination paper;

*"(c) that the provisions of Rule 31, 31-A, 32 or 33 have not been complied with.";

(d) that the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.

(3) Nothing contained in clause (c) or (d) of sub-rule (2) shall be deemed to authorise the rejection of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(4) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of mere clerical or printing error or any defect which is not of a substantial character.

(5) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of rule 28 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control :

Provided that in case any objection is raised by the Returning Officer or is made by any other person, the candidate may be allowed time to rebut it not later than the next day, and the Returning Officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(6) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision regarding accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection. The order passed by the Returning Officer shall, subject to the result of revision, if any under rule 36, be final.

(7) For the purposes of this rule the production of a certified copy of an entry made in the voters' list of the relevant Gram Panchayat shall be conclusive evidence of the right of any voter named in that entry to stand for election, unless it is proved that the candidate is disqualified.

(8) Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decisions accepting or rejecting the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare ward-wise or constituency-wise lists of candidates whose nominations have been accepted in Form 5 and affix the lists on the notice board of his office, duly recording the date and time of affixture below his signature.

(9) If nomination of a candidate has been accepted by the Returning Officer for more than one ward or constituency through oversight or for want of objection or for any other reason whatsoever,the Returning Officer shall after giving an opportunity of hearing to such candidate or his election agent, recognise the nomination tendered first in point of time and delete or cause to be deleted from the list of validity nominated candidates in Form 5, the name of such candidate from every other ward or constituency and record this fact in writing.

The Returning Officer shall also affix a copy of the revised list of validly nominated candidates in Form 5 on the notice board in his office, duly recording the date and time of such affixture below his signature.

36. Revision of rejected nomination papers in certain cases.—(1) If for any seat, after the scrutiny of nomination papers under rule 35, there remains only one candidate in the field as a result of rejection of nomination papers of all

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 387, दिनांक 20-9-2004.

other candidates, the Returning Officer shall forthwith report the fact to the following authority, hereinafter referred to as Revisional Authority, namely:—

(i) in case of election of a Panch or a Sarpanch of a Gram Panchayat, to the Sub-Divisional Officer (Revenue);

(ii) in case of election of a member of Janpad Panchayat, to the Collector; and

(iii) in case of election of a member of Zila Panchayat, to the Divisional Commissioner, and shall—

(a) affix a notice in Form 5-A on the notice board of his office, for information of all candidates for the seat in question, that his order rejecting a nomination paper is subject to the order passed by the Revisional Authority and any candidate aggrieved by his order is free to appear before such Authority, on the date, time and place mentioned, in the notice, and;

(b) submit all papers relating to nominations, received for the seat in question to the Revisional Authority so as to reach him latest by 11.00 A. M. on the next day.

(2) The day for consideration of the cases under sub-rule (1) by the Revisional Authority shall be the day next following the date for scrutiny of nominations, which shall include a public holiday.

(3) It shall be the duty of every candidate to take cognizance of the notice published under sub-rule (1) and no separate notice shall be issued by the Revisional Authority to any candidate before considering a case.

(4) Every candidate or his proposer for the seat in question, shall be entitled to be present and heard by the Revisional Authority.

(5) On the date and at the place specified in the notice in Form 5-A under sub-rule (1), the Revisional Authority shall take-up examination of the nomination papers rejected by the Returning Officer one by one and if it finds that any nomination paper has been rejected wrongly, it shall revise the order of the Returning Officer for reasons to be recorded in writing and declare such nomination paper as valid.

(6) The Revisional Authority shall dispose of every case received by it under sub-rule (1) expeditiously and return the case-file along with an authenticated copy of its order to the Returning Officer in the quickest possible manner, so as to reach him before 2.00 P. M. on the last date fixed for withdrawal of candidature :

Provided that if the Revisional Authority fails to dispose of the case within the aforesaid time limit, the Returning Officer shall stay the election for the seat in question and report the matter to the Commission, through the District Election Officer.

(7) On receipt of an order of the Revisional Authority declaring the nomination of a candidate to be valid, the Returning Officer shall include the name of such candidate in the list of validity nominated candidates in Form-5 prepared under rule 35 and affix a copy of the revised list in Form-5 on the notice board in his office, duly recording the date and time of such affixture below his signature.

37. Withdrawal of candidature.—(1) Any candidate may withdraw his candidature by delivering an application in Form 6 to the Returning Officer, on the date and by the hour appointed under clause (c) of rule 28.

*"(2) The application may be given either by the candidate in person or by the proposer or election agent who has been authorised in this behalf in writing by the candidate and the application shall be presented along with the receipt of the nomination paper given by the candidate or his proposer at the time of presentation of the nomination paper under rule 32."

(3) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) shall be allowed to cancel such notice.

(4) The Returning Officer shall, on being satisfied as to the genuineness of an application of withdrawal and the identity of person delivering it under sub-rule (2), cause a notice in Form 7, giving particulars of the candidates who have withdrawn their candidature, to be affixed on the notice-board in his office.

38. Preparation of list of contesting candidates.—(1) Immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under rule 28, the Returning Officer, shall prepare a list of contesting candidates, that is to say, candidates whose nomination papers have been finally accepted and who have not withdrawn their candidature

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, दिनांक 11-4-2002.

within the said period, in Form 8A, 8B, 8C and 8D for the office of Panch, Sarpanch, Member of Janpad Panchayat or Zila Panchayat as the case may be.

(2) The said list shall, subject to the provisions of sub-rule (3), contain the names in alphabetical order and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers and shall be prepared in Hindi in the Devnagiri script.

(3) The alphabetical order referred to in sub-rule (2) shall be determined with reference ot the names and or surnames of the candidates in such manner as may be prescribed by the Commission.

39. Allotment of Symbols for election.—Where a poll becomes necessary the Returning Officer shall assign to each candidate any one of the symbols determined by the Commission in the manner prescribed by it.

*"(2) The allotment by the Returning Officer of any symbol to a candidate shall be final, except which is inconsistent with any order or instructions issued by the Commission in this behalf in case of election of a Panch or Sarpanch of a Gram Panchayat, the District Election Officer and in case of a Member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat, the State Election Commission, may revise the allotment in such manner as it deems fit."

(3) Every candidate or his election agent shall be informed forthwith, of the symbol allotted to the candidate and be supplied with the specimen thereof by the Returning Officer.

40. Publication of list of contesting candidates.—The Returning Officer shall cause a copy of the list of contesting candidates prepared under rule 38, to be published immediately after allotment of symbols to Candidates, by affixure on the notice-board in his office and shall also supply a copy thereof, to each contesting candidate or his election agent.

****40-A. Stay on elections in certain cases.**—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, if it comes to the notice of the Returning Officer at any time prior to the date of poll that the nomination of any candidate who, *prima-facie*, does not belong to a Schedule Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class, has been accepted for a seat which is reserved for Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, through over-sight or want of objection or for any other reason, he shall forthwith issue a notice to such candidate, asking him to file an affidavit that he belongs to the category for which the seat is reserved.

(2) In case the candidate concerned files an affidavit, the Returning Officer shall make no further inquiry into the matter and treat the nomination as valid.

(3) In case the concerned candidate fails to file an affidavit on or before the date specified in the notice, it shall be presumed that he does not belong to the category for which the seat is reserved and the Returning Officer shall report full facts to the following competent authority, as the case may be and seek its permission to review his own order, regarding the validity of the nomination, namely :—

(i) Sub-Divisional Officer (Revenue) in case of election of a Panch or Sarpanch of a Gram Panchayat;

(ii) Collector in case of election of a member of Janpad Panchayat; and

(iii) Divisional Commissioner in case of a member of Zila Panchayat.

(4) The Competent Authority, shall immediately, dispose off every case referred to it under sub-rule (3), and communicate its order to the Returning Officer, as soon as possible.

(5) After receiving the permission of the Competent Authority, the Returning Officer may review his own order and exclude the name of the concerned candidate from the list of validly nominated candidates prepared under rule 35 and from the list of contesting candidates, if such list has already been prepared and published the Returning Officer shall prepare a revised list of contesting candidates and publish it in accordance with the provisions of Rule 40 :

Provided that if the concerned candidate has in the meanwhile submitted an affidavit in response of the notice issued under sub-rule (1), the Returning Officer shall not review his order.

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, दिनांक 11-4-2002.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

(6) If the Competent Authority fails to dispose off the case referred to it under sub-rule (3) at least five days before the day of poll or the mistake in acceptance of the nomination as specified in sub-rule (1), comes to the notice of the Returning Officer on a day whereafter a period of less than seven days is left for the day of the poll, the Returning Officer shall postpone the election of such seat and report the matter to the Commission through the District Election Officer.

(7) The Commission shall, after satisfying itself that the Returning Officer has duly reviewed his order, issue revised time schedule for completion of election for the seat in question.

CHAPTER-VII—CANDIDATES AND THEIR AGENTS

41. Appointment of election agent and revocation of such appointment.—(1) If a candidate desires to appoint an election agent, such appointment shall, subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), be made in Form 9 either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election.

(2) The appointment of the election agent may be revoked by the candidate at any time by a declaration in writing signed by him and lodged with the Returning Officer. Such revocation shall take effect from the date on which it is lodged. In the event of such revocation or in the event of the election agent dying before or during the period of the election, the candidate may appoint a new election agent in accordance with the provisions of sub-rule (1).

(3) No person, who is for the time being disqualified under the Act from being elected or from voting at any election of Panchayat shall, so long as the disqualification subsists, be appointed as an election agent.

42. Appointment of polling agent.—(1) At an election at which poll is to take place, any contesting candidate, or his election agent, may appoint one agent to act as polling agent of such candidate at each polling station. Such appointment shall be made by a letter in writting in duplicate in Form 10 signed by the candidate or his election agent.

(2) The Candidate or his election agent shall deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the polling agent who shall, on the date fixed for the poll present it to, and sign the declaration contained therein, before the Presiding Officer. The Presiding Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No polling agent shall be allowed to perform any duty at the polling station unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

43. Appointment of counting agent.—(1) Each contesting candidate or his election agent may appoint an agent to act as counting agent of such candidate by a letter in writing in duplicate in Form 11 signed by the candidate or his election agent.

(2) The candidate or his election agent shall also deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the counting agent who shall on the date fixed for counting of votes, present it to, and sign the declaration contained therein before, the Returning Officer or such other Officer authorised by him under rule 73. Such Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No counting agent shall be allowed to perform any duty at the place fixed for the counting of votes, unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

44. Revocation of the appointment or death of polling agent.—(1) The appointment of the polling agent may be revoked by the candidate at any time before the commencement of the poll by a declaration in writing signed by him.

(2) Such declaration shall—

(a) in the case where the appointment is revoked not less that seven days before the commencement of the poll, be lodged with the Returning Officer.

(b) in any other case, be lodged with the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the polling agent was appointed for duty.

(3) If the polling agent of a candidate dies before the commencement of the poll, the candidate or his election agent shall forwith report in writing, the fact of such death—

(a) in case where the death takes place less than seven days before the commencement of the poll, to the Returning Officer; and

(b) in any other case to the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the polling agent was appointed for duty.

(4) Whenever the Returning Officer receives any declaration or report made under sub-rule (1) or (2), he shall forthwith communicate such declaration or report, as the case may be, to the Presiding Officer of the polling station where such polling agent was appointed for duty.

(5) Where the appointment of a polling agent is revoked under sub-rule (1) or where the polling agent dies before the close of the poll, the candidate or his election agent may, at any time before the poll is closed, appoint a new polling agent in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 42:

provided that the letter appointing new polling agent shall—

(a) in the case where such appointment is made not less than seven days before the commencement of the poll be given to the Returning Officer, and

(b) in any other case, be given to the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the new polling agent is appointed.

(6) The provisions of sub-rule (2) of rule 42 shall apply in relation to a polling agent appointed under sub-rule (5) as they apply in relation to a polling agent appointed under sub-rule (1) of rule 42.

45. Revocation of the appointment or death of the counting agent.—(1) The appointment of the counting agent may be revoked by the candidate at any time before the commencement of the counting of votes by a declaration in writing signed by him. Such declaration shall be loged with the Returning Officer or such other officer authorised by him.

(2) If the counting agent of a candidate dies before the completion of the counting of votes, the candidate or his election agent shall forthwith report the death in writing to the Returning Officer or such other officer authorised by him.

(3) Where the appointment of counting agent is revoked under sub-rule (1) or where the counting agent dies before the completion of the counting of votes, the candidate or his election agent may appoint a new counting agent in the manner laid down in sub-rule (1) of rule 43.

(4) The provisions of sub-rule (2) of rule 43 shall apply in relation to a counting agent appointed under sub-rule (3) as they apply in relation to counting agent appointed under sub-rule (1) of rule 43.

CHAPTER VIII—GENERAL PROCEDURE OF ELECTION

46. Death of candidate before poll.—Poll shall not be countermanded due to death of a contesting candidate before the commencement of poll. But if as a result of death of a contesting candidate for any seat, there remains only one contesting candidate, the Returning Officer shall, upon being satisfied of the fact of death of the candidate, countermand the poll and report the fact to the Commission through the District Elction Officer and all proceedings with reference to the election shall be commenced a-new in all respects as if for a new election in accordance with the rules hereinbefore :

provided that—

(i) no further nomination shall be necessary in case of a person who was a contesting candidate at the time of the countermanding of the poll; and

(ii) no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) of rule 37 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such-countermanding.

47. Uncontested Elections.—(1) If for any seat, after the date and time fixed for withdrawal of nomination paper there remains only one candidate whose nomination paper is found to be valid, the Returning Officer shall forthwith declare in form 24 the candidate duly elected to fill such seat and inform the Commission through District Election Officer of the same.

(2) If no nomination paper has been filed for any seat or if no candidate has been duly nominated for any seat, the Returning Officer shall send a report of this fact to the Commission through the District Election Officer, which shall take further action to fill such seat in accordance with the provision of the Act and these rules.

48. Contested Elections.—In cases other than those covered by rule 47 a poll shall take place.

CHAPTER IX—POLL AND VOTING FOR ELECTION

49. Manner of voting at Election.—At every election where a poll is taken votes shall be given by ballot in the manner hereinafter provided and no votes shall be received by proxy.

50. Ballot Box.—Every ballot box shall, subject to general or special orders of the Commission, be of such design that ballot papers can be inserted therein but cannot be withdrawn therefrom without the box being unlocked and the seals being broken.

* **'50A. Voting Machine at Elections.**—Notwithstanding anything contained in the Rules, the State Election Commission may order that in specified Wards/ Panchayats, the giving and recording of votes shall be by voting machines in the manner as specified hereafter.

Explanation.—For the purpose of this rule "Voting Machine" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise, used for giving and recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in the rules, shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in the election.'.

51. Form of ballot paper,—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto and shall be in such form and have such particulars as may be determined by the Commission.

(2) The ballot paper shall contain the names of candidates in Hindi in the Devanagari Script arranged in the same order in which they appear in the list of contesting candidates, against their election symbols.

52. Arrangement at the polling station.—(1) The District Election Officer shall provide at each polling station sufficient number of ballot boxes and ballot papers, copies of voters' lists in respect of the polling area, articles necessary for voters to mark the ballot papers as well as such other instruments and accessories as may be required for taking the poll.

(2) Each polling station shall be provided with one or more voting compartment in which voters can one after another, cast their votes screened from observation, and no voter shall be allowed to enter such voting compartment when another voter is inside the same for the purpose of recording his vote.

53. Notice at the polling Station.—Outside each polling station there shall be displayed prominently—

(a) a notice specifying the polling area, the voters of which are entitled to vote at the polling station; and

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

(b) a notice giving the name of each candidate in Hindi in the Devnagari Script in the same order in which the names of such candidate appear in the list of contesting candidates published under rule 35.

54. Admission to polling station.—The Presiding Officer shall regulate the number of voters to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than—

(a) Polling Officers;

(b) Public servants on duty in connection with the election;

(c) persons authorised by the Commission, District Election Officer or the Returning Officer;

(d) candidates, their election agents, and subject to the provisions of these rules, one polling agent of each candidate;

(e) a child in arms accompanying a voter;

(f) a person accompanying a blind or infirm voter who cannot move without help, and

(g) such other person as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ for the purpose of identifying the voters.

55. Ballot boxes to be locked and sealed before the commencement of poll.— (1) The Presiding Officer at each polling station shall, immediately before the commencement of the poll, allow inspection of each ballot box to be used at the poll, by the candidates, their election agents and their polling agents who may be present at such station and demonstrate to them and to all other persons present, that it is empty.

(2) The Presiding Officer shall, after complying with the provisions of sub-rule (1), secure and seal the box in such manner that the slit in the box for insertion of ballot papers therein remains open and shall also allow the candidates or their election or polling agents, who may be present to affix their own seals on the space in the box meant therefor, if they so desire.

(3) The seals to be used for ballot box shall be affixed in such manner that it shall not be possible to open the box again without breaking such seal or any thread on which the seals have been affixed.

56. Facilities for women voters.— (1) Where a polling station is for both men and women voters, the Presiding Officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches of women and men.

(2) The Returning Officer or the Presiding Officer may appoint a woman to serve as an assistant at a polling station to assist women voters and also to assist the Presiding Officer generally in taking the poll in respect of women voters, and in particular, to help in searching any woman voter in case it becomes necessary to ensure free and fair election.

57. Identification of voters.—(1) The Presiding Officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit to help in the identification of the voter's or to assist him otherwise in taking a poll.

"(1-a) The State Election Commission may give such direction regarding identification of voter, as it may deem proper and if any voter fails to establish his identification in accordance with such directions, the ballot-paper shall not be issued to him and he shall be deprived from right of polling.".

(2) As each voter enters the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer authorised by him in this behalf shall check the voter's name and other particulars with the relevant entry in the voters' list and then call out the serial number, name and other particulars of the voter.

(3) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, shall overlook merely clerical or printing errors in an entry in the voters' list, if he is satified that such person is identical with the voter to whom such entry relates.

58. Challenging of identity.— (1) Any candidate or election agent or polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular voter by first depositing a sum of Rupees five in cash with the Presiding Officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the Presiding Officer shall—

(a) warn the person challenged of the penalty for impersonation;

(b) read the relevant entry in the voters' list in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;

(c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 12; and

(d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

(a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;

(b) put to the person challenged any questions necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and

(c) administer an oath to the person challenged and other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the State Government and in any other case, he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

59. Safeguards against personation.—(1) Every voter about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it as far as possible just below the root of the nail so that the ink also spreads on the ridge between the skin and the root of the nail.

(2) If any voter refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act to remove the ink mark, he shall not be supplied with any ballot paper or allowed to vote.

Explanation.— Any reference in this rule to the left forefinger of a voter shall in the case where the voter has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall in the case where all the fingers of his left hand, are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other fingers of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

60. Issue of ballot paper.—(1) No ballot paper shall be issued to any voter before the hour fixed for the commencement of the poll.

(2) No ballot paper shall be issued to any voter after the hour fixed for the closing of the poll except to those voters who are present at the polling station at the time of the closing of the poll. Such voters shall be allowed to cast their voters even after the time for the poll is over.

(3) Every ballot paper, before it is issued to a voter and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the Commission may direct, and every ballot paper, before it as issued, shall be signed in full on its back by the Presiding Officer.

(4) At the time of issuing a ballot paper to a voter, the Polling Officer shall—

(a) record on its counterfoil, the electoral roll number of the voter as entered in the marked copy of the voter's list;

(b) obtain the signature or thumb impression of that voter on the said counterfoil; and

(c) underline the entry relating to a voter in the marked copy of the voter's list to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that voter:

Provided that no ballot paper shall be delivered to a voter unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of that ballot paper.

(5) No person in the polling station shall note down the serial number of the ballot paper issued to a particular voter.

(6) In a polling station set-up for more than one ward of a Gram Panchayat, a voter shall be provided with the ballot paper meant for the ward of which he is a voter and of no other ward.

61. Voting procedure.—(1) A voter on receipt of the ballot paper, shall forthwith proceed to the voting compartment; there make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose in or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote; fold the ballot paper so as to conceal his vote; insert the folded ballot paper into the ballot box and quit the polling station.

(2) No voter shall remain in the polling station longer than what is reasonably necessary for casting his vote.

62. Recording of vote by blind or infirm voter.—(1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity, a voter is unable to recognise the symbols on the ballot paper or to make a mark thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on the ballot paper on his behalf and in accordance with his wishes, and if necessary, for folding the ballot paper so as to conceal the vote and inserting it into the ballot box:

Provided that before any person is permitted to act as the companion of a voter under this rule, the person shall be required to declare in Form 13A that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the voter and that he has not already acted as the companion of any other voter at any polling station on that day.

(2) The Presiding Officer shall keep a record in Form 13-B of all cases under this rule.

63. Spoiled and returned ballot papers and ballot papers found out side ballot boxes.—(1) A voter who has inadvertantly dealt with his ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on returning it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertance be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked "spoiled-cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If a voter after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer, and the ballot paper so returned shall be marked as "returned-cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot papers concerning election to different wards and constituencies cancelled under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be kept in separate packets.

(4) If any ballot paper, which has been issued to a voter has not been inserted by him into any ballot box, but is found anywhere in or near the Polling Station, whether within or outside the voting compartment, it shall be deemed to have been returned to the Presiding Officer under sub-rule (2) and dealt with accordingly.

64. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular voter named in the voters' list applies for a ballot paper after another person has already voted as such voter, the applicant shall after duly answering such questions as the Presiding Officer may ask, be entitled to receive a ballot paper, referred to hereinafter as a "tendered ballot paper", in the same manner as any other voter.

(2) Every person shall before being supplied with a tendered ballot paper affix his signatures or thumb impression against the entry relating to him in a list in Form 14.

(3) A tendered ballot paper shall be the same as any other ballot paper used at the polling station except that—

(a) such tendered ballot paper shall be serially the last in the bundle of ballot papers issued for use at the polling station; and

(b) such tendered ballot paper and its counterfoil shall be endorsed on the back with the words "Tendered ballot paper" by the Presiding Officer in his own hand and signed by him.

(4) The voter, after marking a tendered bollot paper in the polling compartment and folding it, instead of putting it into the ballot box, shall give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specially kept for the purpose.

(5) Separate covers shall be used for keeping the tendered ballot papers for election to the offices of Panch, Sarpanch and Member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat.

65. Closing of poll.—(1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf under clause (d) of rule, 28 and shall not thereafter admit any voter into the Polling Station:

Provided that all voters present at the Polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether a voter was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

66. Sealing of ballot boxes after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of poll, the Presiding officer shall, in the presence of candidates or their election or polling agents, close the slit of the ballot box and where the ballot box does not contain any mechanical device for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any candidate, election agent or polling agent present to affix his seal.

(2) The ballot box shall thereafter be sealed and secured.

(3) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rule (1) and (2) before another ballot box is put into use.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, in case a second ballot box is not used by reason of the first box getting full and counting is to be done at the polling station itself immediately after the conclusion of the poll, it would not be necessary to seal the ballot box.

67. Account of ballot papers.—(1) The Presiding Officer shall, at the close of the poll prepare a separate ballot paper account in Form 15 for election to the office of Panch from each ward, Sarpanch, Member of Janpad Panchayat and Member of Zila Panchayat.

(2) The ballot paper accounts prepared under sub-rule (1) shall be enclosed in separate covers with the words "Ballot Paper Account" superscribed thereon, alongwith ward number and name of Gram Panchayat for election of Panch, name of Gram Panchayat for election of Sarpanch and constituency number for election of Member of Janpad Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be.

*"(3) **If counting of votes is not counted at the polling station, then The Presiding Officer shall furnish to every candidate or his polling agent, present at the close of the poll a true copy of the entries made in the relevant ballot paper account after obtaining a receipt there for and shall also attest it as a true copy."

68. Sealing of other packets.— (1) The Presiding Officer shall, after preparation of ballot paper account under rule 67, put into separate packets—

(i) the marked copy of the voters' list;

(ii) the counterfoils of the used ballot papers;

(iii) the ballot papers not issued to the voters;

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 177, दिनांक 11-4-2002.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 29-9-2004.

(iv) the tendered ballot papers in Form 14 along with their list;

(v) the cancelled ballot papers;

(vi) any other papers directed by the Commission to be kept in a separate packet.

Explanation.— Separate packet shall be prepared for election to the office of Panch, Sarpanch, Member of Janpad Panchayat and Member of Zila panchayat.

(2) Each such packet shall be sealed with the seals of the Presiding Officer and of those candidates or their election or polling agents present who may desire to affix their seals thereon.

69. Delivery of ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer.—(1) The Presiding Officer shall deliver or cause to be delivered to the Returning Officer at such place as the Returning Officer or such other Officer authorised by him in this behalf may direct—

(a) the ballot boxes;

(b) the ballot paper account;

(c) the sealed packets referred to in rule 68; and

(d) all other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer or such authorised Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

70. Adjournment of poll in emergency.—(1) If at an election, the proceedings at any polling station for the poll are interupted or obstructed by any riot or open violence, or if at an election it is not possible to take the poll at any polling station on acount of any natural calamity, or any other sufficicent cause, the Returning Officer or the Presiding Officer for such polling station shall announce an adjourment of the poll to a date to be fixed later and where the poll is so adjourned by the Presiding Officer, he shall forthwith inform the Returning Officer concerned.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1), the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Commission through the Disctrict Election Officer which shall, as soon as may be, fixed the day on which the poll shall recommence and fix the polling station at which and the hours during which, the poll shall be taken. The Returning Officer shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed.

(3) The Presiding Officer shall follow, as far as practicable, the provisions of rules 66 to 69 in the matter of sealing the ballot boxes and other packets, preparation of account of ballot papers and delivery of the ballot boxes and other polled material, in the case of the adjourned poll, as if the poll were closed at the hour initially fixed in that behalf under rule 28.

(4) In every such case as aforesaid, the District Election Officer shall publish the date, place and hours of the poll fixed under sub-rule (2) in the manner laid down in rule 29 and the provisions of the rules governing the original poll shall *mutatis mutandis* apply to the fresh poll taken under this rule.

71. Recommencement of adjourned poll.—(1) When a poll which was adjourned under rule 70 is recommenced, the voters who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(2) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packets containing the marked copy of the voters' list and a new ballot box.

(3) The Presiding Officer shall open the sealed packet containing the marked copy of the voter's list in the presence of the candidates or their election agents or polling agents present and use the same for marking the names of the remaining voters to whome the ballot papers are issued at the adjourned poll, without, however, recording therein the serial number of bllot papers.

(4) The provisions of rule 49 to 69 shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll as they apply in relation to the poll before it was so adjourned.

72. Fresh poll in case of destruction, tampering etc. of ballot boxes or due to procedural irregularity.—(1) If at any election—

(a) any ballot box used at a polling station is unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer or the Returning Officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost or is damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained, or

(b) any such error or irregularity in procedure as is likely to vitiate the poll is committed at a polling station, the Returning Officer shall forthwith report the matter to the Commission through the District Election Officer.

(2) The Commission shall on receipt of a report under sub-rule (1) and after taking all material circumstances into account, either—

(a) declare the poll at the polling station to be void, appoint a day and fix the hours, for taking a fresh poll at that polling station and direct the District Election Officer to notify the day so appointed and the hours so fixed in such manner as it may deem fit, or

(b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station will not, in any way affect the result of the election or that the error or irregularity in procedure is not material, issue such directions to the District Election Officer as it may deem proper for the further conduct and completion of the election.

(3) In every case covered by clause (a) of sub-rule (2), the District Election Officer shall proceed to conduct the fresh poll, in accordance with the directions of the Commission and the provisions of this chapter shall apply to such fresh poll.

"CHAPTER—IX-A

Voting By Voting Machines

*72A. **Design of voting machines.**—Every voting machine shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such design as may he approved by the Election Commission.

*72B. **Preparation of voting machine by the Returning Officer.**—(1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and such language as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their surname, fathers name, occupation or residence etc. or in some other manner.

(4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall,—

(a) fix the label containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

(b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

*72C. **Arrangements at the polling stations.**—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently by the returning officer :—

(a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled to vote; and

(b) a copy of the list of contesting candidates.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes secretly.

(3) The returning officer shall provide at each polling station such number of voting machines so as to accommodate and exhibit required particulars of all the contesting candidates of a ward and copies of relevant part of the voter list and such other election material as may be necessary for taking the poll and in case more than one machine are provided at a polling station, they shall be connected with each other so as to form it a single balloting unit at that polling station.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3), the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

*72D. **Admission to polling station.**—the presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall remove there from all persons other than,—

(a) polling officers;

(b) public servants on duty in connection with election;

(c) persons authorized by the Election Commission;

(d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 42, one polling agent of each candidate;

(e) a child in arms accompanying an elector;

(f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and

(g) such other person as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ under sub-rule (2) of rule 72F or sub-rule (1) of rule 72G.

*72E. **Preparation of voting machine for poll.**—(1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a label marked with,—

(a) the serial number, if any and the name of the ward;

(b) the serial number and the name of the polling station or stations, as the case may be;

(c) the serial number of the unit; and

(d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label as referred to in sub rule (4) of rule 72B.

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine and the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

(4) The Presiding Officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the control unit of the voting machine and shall secure, and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after 'the unit has been sealed', it is not possible to press the "Result Button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

*72F. **Facilities for women electors.**—(1) Where a polling station is for both man and woman electors, the Presiding Officer may direct, that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The Returning Officer or the Presiding Officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist woman electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of woman electors and in particular, to help for searching any woman elector in case' it becomes necessary.

*72G. **Identification of electors.**—(1) The Presiding Officer may employ at the polling station such person as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in conducting the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer authorized by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars. With the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) In determining the right of a person to cast his vote, the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be shall overlook the clerical or printing errors. In an entry in the electoral 'roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

*72H. **Challenging of identity.**—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of five rupees in cash with the presiding officer for each such challenging.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall,—

(a) warn the person challenged of the penalty for wrongfully personation;

(b) read the relevant entry in the Voter list in in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;

(c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 12; and

(d) require him to affix his signature or mark his thumb impression the said list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose,—

(a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;

(b) put to person challenged any question necesssary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and

(c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote and if he considers that the challenge has been established he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government and in any other case, return to the challenger at the conclusion of the inquiry.

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

*72I. **Safeguards against wrongfully personation.**—(1) Every elector about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, he shall not be allowed to vote.

(3) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in the case 'where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand and shall, in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

*72J. **Procedure for Voting by Voting Machines.**—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall,—

(a) record the voter number of the elector as entered in the marked copy of the voter in a register of Form 14A of voters as provided in rule 60(4) (a);

(b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of voters; and

(c) mark the name of the elector in the marked copy of the voter list to indicate that he has been allowed to vote:

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, it shall not be required for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the register of voters.

*72K. **Maintenance of Secrecy of Voting by electors within the Polling Station and Voting Procedures.**—(1) Every elector who has been permitted to vote shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote, the elector shall proceed to the Presiding Officer or the Polling Officer incharge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit for recording of elector's vote.

(3) The Elector shall thereafter forthwith,—

(a) proceed to the voting compartment;

(b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and

(c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote, refuses, after warning given by the Presiding Officer to procedure laid down in the rules, the Presiding Officer or a Polling Officer after the direction of the Presiding Officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote, a remark to the effect that voting procedure has been violated be made against the elector's name in the register of voters by the Presiding Officer under his signature.

---

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

*72L. **Recording of Votes of Blind or infirm Electors.**—(1) If the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognize the symbol of the balloting unit of the ballot machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under that rule. That person shall be required to declare in form 13A that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 13B of all cases under this rule.

*72 M. **Tendered votes.**—(1) If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after which a person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily Answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit. Supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall, before being supplied with tendered ballot paper. Write his name against the entry relating to him in Form 14.

(3) On receiving the ballot paper, he shall forthwith—

(a) proceed to the voting compartment;

(b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'X' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;

(c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;

(d) show to the Presiding Officer if required, the distinguishing mark on the ballot paper;

(e) give it to the Presiding Officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and

(f) Leave the polling station.

(4) If owing to blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance, the Presiding Officer shall permit him to take with him a companion. subject to the same condition and after following the same procedure as laid down in rule 72L for recording the vote in accordance with his wishes.

*72 N. **Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.**—(1) The presiding officer may, whenever he considers it necessary to do so enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the Presiding Officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly tong period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenever the Presiding Officer enters the voting compartment under this rule he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

*72 O. **Closing of poll.**–(1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in the behalf and he shall not thereafter admit any elector into the polling station:

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

*72 P. **Account of votes recorded.**—The Presiding Officer shall, at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in form 15A and enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded superscribed thereon.

*72 Q. **Sealing of voting machine after poll.**—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the ballot unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station who desire to affix their seal shall also be permitted to do so.

*72 R. **Sealing of other packets.**—(1) The Presiding Officer shall, then make into separate packets—

- (a) the marked copy of electoral roll;
- (b) the register of voters;
- (c) the cover containing the tendered ballot papers;
- (d) the list of challenged votes
- (e) the unused ballot papers kept for issue as tendered ballot paper; and
- (f) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each such as packet shall be sealed with the seal of the Presiding Officer and with the seal either of the candidate or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire his seal.

*72 S. **Transmission of voting machines etc. to the Returning Officer.**—(1) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer, at such place as the Returning Officer may direct.—

- (a) the voting machine;
- (b) the account of votes recorded;
- (c) the sealed packets referred to in rule 72 R; and
- (d) all other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for the safe custody until the commencement of the counting of votes.

*72 T. **Procedure of adjournment of poll.**—If at any election the polling is adjourned in emergency the procedure provided in rule 70 and 71 shall be followed.

*72 U. **Closing of voting machine in case of booth capturing.**—Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

CHAPTER X—COUNTING OF VOTES

73. **Supervision of counting of votes.**—At every election where a poll is taken, votes shall be counted under the supervison and direction of either the Returning Officer or such other Officer as may be authorised by him in this behalf and each contesting candidate, or his election agent and his counting agents shall have right to be present at the time of counting.

74. **Admission to the place fixed for counting.**—(1) The Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf, shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except—

(a) Such persons, to be known as counting supervisiors and counting assistants, as he may appoint to assist him in the counting;

(b) person authorised by the Commission or the District Election Officer;

(c) Public servants on duty in connection with the election; and

(d) candidates, their election agents and counting agents.

(2) No person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about the election shall be appointed under clause (a) or sub-rule (1).

(3) The Returning Officer or such other Officer authorised by him in this behalf, shall decide which counting agent or agents shall watch the counting at any particular counting table or tables.

(4) Any person, who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer or such other officer authorised by him in this behalf may be removed from the place where the votes are being counted, by the Returning Officer or such other Officer authorised by him or by any police officer on duty.

75. Scrutiny and opening of ballot boxes.—(1) The Returning Officer or such other Officers authorised by him, may have the ballot boxes used at a polling station, opened and their contents counted simultaneously.

(2) Before any ballot box is opened at a counting table, a candidate or his election agent or counting agent present at the table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy himself that it is intact.

(3) The Returning Officer or such other Officer authorised by him, shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(4) If the Returning Officer or such other officer authorised by him, is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in rule 72, in respect of that polling station.

76. Scrutiny and rejection of ballot papers.—(1) A ballot paper contained in a ballot box shall be rejected if—

(a) it bears any mark or writing by which the voter can be identified; or

(b) it is a spurious ballot paper; or

(c) it has been so damaged or multilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(d) it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers of, as the case may be or design of the ballot paper authorised for use at the particular polloing station; or

(e) it does not bear any mark which it should have borne under the provisions of sub-rule (3) of rule 60; or

(f) it has not been marked; or

(g) it has been marked in the columns of more than one candidate; or

(h) it has been marked by an equipment and in the manner other than the equipment and the manner prescribed for that purpose:

Provided that where Returning Officer or such other officer authorised by him, on being satisfied that any such defect as is mentioned in clause (d) or clause (e) has in respect of all or any ballot papers used at a polling station been caused by the mistake or failure on the part of the Presiding Officer or Polling Officer concerned, has directed that the defect should be over-looked, a ballot paper shall not be rejected only on the ground of such defect under clause (d) or clause (e).

(2) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (1) the Returning Officer or such other officer authorised by him, shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(3) The Returning Officer or such other officer authorised by him, shall record on every ballot paper which he rejects the letter 'R' and the grounds of rejection in abbreviated form whether in his own hand or by means of a rubber stamp.

(4) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

77. Counting of Votes.—(1) Every ballot paper which is not rejected under rule 76 shall be counted:

Provided that no cover containing tender ballot papers shall be opened and no such ballot paper shall be counted.

(2) After the counting of votes in respect of a polling station has been completed, the Returning Officer or such other officer authorised by him, shall make the entries in result sheet in Form 16 for Panchas and in Part one of the result sheet in Form 17, 18 and 19 for sarpanch, members of Janpad Panchayat and Zila Panchayat respectively and announce the total number of votes polled by each candidate.

(3) All valid ballot papers shall be bundled together and kept along with the bundle of rejected ballot papers in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the following particulars, namely:—

(a) the number of the ward and name of Gram Panchayat in case of election of Panch, the name of Gram Panchayat in case of election of Sarpanch, the number of constituency of Janpad Pacnhayat or Zila Panchayat as the case may be, in case of election of member of Janpad Panchayat or Zila Panchayat;

(b) the number and name of the polling station where the ballot papers have been used; and

(c) the date of counting.

*"(4) The Returning Officer or the Officer authorised by him shall furnish to every candidate or his counting agent, present at the close of the counting, a true copy of the relevant result sheet prepared under sub-rule (2) after obtaining a receipt there for and shall also attest it as a true copy."

*"77 A. **Scrutiny and inspection of voting machines.**—(1) The Returning Officer shall have the, control units of the voting machines used at more than one polling stations taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units, counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1) the candidate, or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The Returning Officer shall satisfy himself that none of the voting machines have in fact been tampered with.

(4) If the Returning Officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 72 as may be applicable in respect of the polling station where that machine was used.

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

*77 B. **Counting of votes when Electronic Voting Machine are used.**—(1) After the Returning Officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tampered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked "Result" provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled to each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for this purpose in the unit.

(2) As the votes casted to each candidate are displayed on the control unit the Returning Officer shall have—

(a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate;

(b) corresponding entries made in a result sheet in Form 16A, 17A, 18A, 19A and particulars so entered in the result sheet shall be announced in form 20A, 21A, 22A and 23A.

*77 C. **Sealing of voting machines.**—(1) After the result of voting recorded in the control unit has been ascertained candidate wise and entered in Form 16A, 17A, 18A, 19A under rule 77(2), the Returning Officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of candidates or the election agents as are present who may desire to affix their seals thereon in such a way that the result of Voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

(2) The control unit so sealed shall be kept in a specially prepared box on which the Returning Officer shall record the following particulars, namely,—

(a) the name of the Ward;
(b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;
(c) serial number of the control unit;
(d) date of poll; and
(e) date of counting.".

**"(3) There is a provision to fix the Control Unit "Detachable Memory Module (D.M.M.)" of the E.V.M. approved by the Commission. Along with the Control Unit the voting data is recorded in D.M.M. also. After the declaration of election results, by keeping the voting data secured in D.M.M., the Control Unit can be used in other election proceeding. The Commission shall prescribe the procedure to seal the D.M.M. used in Control Unit by detaching the same from the Control Unit. The sealed D.M.M. may be used in judicial and other purposes according to the urgency. Control Unit and Ballot Unit shall be used for other election.

78. Counting to be continuous.—The Returning Officer or such other officer authorised by him, shall as far as practicable, proceed continuously with the counting of votes and shall, during any intervals when the counting has to be suspended, keep the ballot papers, packets and other papers relating to the election sealed with his own seal and the seals of such candidates or their election or counting agents as may be desirous of affixing their seals and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody during such intervals.

79. Re-commencement of counting after fresh poll.—(1) If a fresh poll is held under rule 72, the Returning Officer or such other officer authorised by him, shall after completion of that poll recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed in that behalf and of which notice has been previously given to the candidates or their election agents.

(2) The provisions of rules 76 and 77 shall apply so far as may be practicable to such further counting.

80. **Recount of votes.**—(1) After an announcement has been made by the Returning Officer or such other officer authorised by him, of the total number of votes polled by each candidate under sub-rule (2) of rule 77, a candidate or, in his absence, his election agent or his counting agent may apply in writing to the Returning Officer or such officer authorised by him, for a recount of all or any of the votes already counted, stating the grounds on which he demands such recount.

(2) On such an application being made the Returning Officer or such other officer authorised by him shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it in to if it appears to him to be frivolous or unreasonable.

---

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 159, दिनांक 25-3-2014.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 26 जून 2014.

(3) every decision of the Returining Officer or such other officer authorised by him, under sub-rule (2) shall be in writing and contain the reasons therefor.

(4) If the Returning Officer or such other officer authorised by him, decides under sub-rule (2) to allow an application either in whole or in part, he shall—

(a) count the ballot papers again in accordance with his decision;

(b) amend the result sheet to the extent necessary after such recount; and

(c) announce the amendment so made by him.

(5) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub-rule (2) of rule 77 or sub-rule (4) the Returning Officer or such other officer authorised by him shall complete and sign the result sheet and no application for a recount shall be entertained thereafter :

Provided that no step under this sub-rule shall be taken on the completion of the counting until the candidates and election agents present at the completion thereof have been given a reasonable opportunity to exercise the right conferred by sub-rule (1).

(6) The counted ballot papers shall be bundled and kept in the manner mentioned in sub-rule (3) of rule 77.

(7) Result sheets in Form 16, 17, 18 and 19 for Panch, Sarpanch, Member of Janpad Panchayat and Member of Zila Panchayat respectively, prepared by such other officers as are authorised by the Returning Officer, shall be submitted by them, in separate envelopes to the Retruning Officer for compilation and tabulation of votes polled by each candidate.

(8) The Returning Officer on receipt of result sheets under sub-rule (7) shall enter cause to be entered the total number of votes polled by each candidate contesting for a seat of Sarpanch, Member of Janpad Panchayat or Member of Zila Panchayat at each polling station of the concerned constituency in subsequent part or parts of Form 17, 18 and 19 respectively and complete and sign the result sheet.

81. Preparation of return of election and declaration of result.—(1) The Returning Officer shall prepare a return of election to the office of—

(a) Panch in Form 20 on the basis of result sheet compiled in Form 16;

(b) Sarpanch in Form 21 on the basis of result sheet compiled in Form 17;

(c) Member of Janpad Panchayat in Form 22 on the basis of the result sheet compiled in Form 18;

(d) Member of Zila Panchayat in Form 23, on the basis of the result sheet compiled in Form 19.

and declare the candidate who has received the largest number of valid votes elected.

(2) The return of election and declaration made under sub-rule (1) shall be subject to the order passed by the District Election Officer under rule 84, if any.

(3) The Returning Officer shall send two signed copies of every return under sub-rule (1) to the District Election Officer who shall retain one copy in his office and send the other copy to the Commission forthwith.

82. Equality of votes.—If, after the counting of votes is completed, equality of votes is found to exist between any candidates and an addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the Returning Officer shall forthwith decide between those candidates by lot and proceed as if the candidate on whom the lot falls has received one additional vote. In such a case the Returning Officer shall add the following words at the end of the return in from 20, 21, 22 or 23 as the case may be, namely, "by draw of lot".

83. Grant of certificate of election to the returned candidate.—As soon as may be after a candidate has been declared elected under rule 81, the Returning Officer shall grant to such candidate a certificate of election in Form 25 and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him.

84. Powers of District Election Officer to correct clerical or arithmetical mistakes or errors.—(1) The District Election Officer may at any time but not later than 15 days from the day of declaration or result under rule 81, either *suo motu* or on a report of the Returning Officer, correct, by an order any clerical or arithmetical mistake or error in the result sheet in Form 16, 17, 18 or 19 or in the return of election in Form 20, 21, 22 or 23 as the case may be :

Provided that no correction or amendment shall be made except after giving a notice to all contesting candidates from the ward or constituency in question, about the date, time and place for taking up the matter for such correction.

(2) An order passed by the District Election Officer under sub-rule (1) shall be in writing and contain reasons therefore and corrected copy of the return of election in Form 20- 21, 22 or 23 as the case may be, duly signed and certified by the District Election Officer shall be sent to the Returning Officer for grant of certificate of election to the candidate declared elected as a result of such correction.

(3) Nothing in sub-rule (1) shall confer any power or authority upon the District Election officer to open any envelope containing counted ballot papers or to direct re-counting of votes.

(4) The certificate of election in Form 25 under rule 83, if already granted by the Returning Officer to a candidate before an order is passed by the District Election Officer under sub-rule (1), shall be deemed to have been recalled and cancelled.

CHAPTER XI—MISCELLANEOUS

85. **Return or forfeiture of Security deposits.**—(1) The Security deposit made under rule 33 shall either be returned to the person making it or his legal representative or be forfeited to the State Government in accordance with the provisions of this rule.

(2) Except in cases hereinafter mentioned in this rule, deposit shall be returned as soon as practicable after the result of the election is declared.

(3) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3), the deposit shall be forefeited if, at an election where a poll has been taken, the candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-sixth of the total number of valid votes polled by all the candidates.

*(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the security deposit made under Rule 33 shall not be returned and shall stand forefeited to the State Government, if a claim therefor is not preferred by the person making it or through his legal representative, as the case may be within six months from the date of declaration of result or election.

86. Custody of papers relating to election.—The District Election Officer shall keep in custody the packets referred to in rules 67 and 68 and all other papers relating to the election.

87. Production and inspection of election papers.—While in the custody of the District Election Officer—

(a) the packets of unused ballot papers;
(b) the packets of used ballot papers whether valid, tendered or rejected;
(c) the packets of the counterfoils of used ballot papers; and
(d) the packets of marked copies of the voters' lists;

*म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-99.

shall not be opened and their contents shall not be inspected by, or produced before, any person or authority except under the order of a Competent Court or Authority.

88. Disposal of Election Papers.—(1) The packets referred to in rule 87 shall be retained for a period of six months and shall thereafter be destroyed subject to any direction to the contrary given by the Commission or by a Competent Court or Authority, or pending legal proceedings.

(2) All other papers relating to an election shall be retained for such period as the Commission may direct by a general or special order.

*"(3) After conduct of election by Electronic Voting Machine (E.V.M.), the Detachable Memory Module (DMM) and all necessary material relating to election shall be retained for such period, as the commission may, by general or special order, direct".

89. Casual vacancies in panchayats.—(1) When any vacancy occurs due to any reason such as death, disqualification, resignation, absence without leave, setting aside of election etc. of a member of a Panchayat, or Sarpanch, the Secretary of the Gram Panchayat or the Chief Executive Officer of the Janpad Panchayat or the Zila Panchayat as the case may be, shall inform the District Election Officer about such vacancy within seven days from the date of its occurrence.

(2) The District Election Officer shall ensure due observance of sub-rule (1) and send to the Commission, in the first week of every month a consolidated statement of vacancies in the various Panchayats of the District, whereupon, the Commission shall take necessary action to fill the vacant seats and the provisions of these rules shall, *mutatis-mutandis* apply to fresh poll taken to fill such seats.

90. Manner of notifying election.—The Commission shall notify or cause to be notified—

(a) every election of a Panch and Sarpanch of a Gram Panchayat, by affixing a notice in Form 26-A on the notice board in the office of the Gram Panchayat concerned and in the office of the Janpad Panchayat within such Gram Panchayat is situate;

(b) every election of a member of a Janpad Panchayat, by affixing a notice in Form 26-B on the notice board in the office of the Janpad Panchayat concerned and in the office of the District Election Officer, and

(c) every election of a member of a Zila Panchayat, by affixing a notice in Form 26-C on the notice board in the office of the Zila Panchayat and in the office of the District Election Officer.

91. Repeal.—The Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1994, are hereby repealed.

PANCHAYAT ELECTION

**"FORM-1
[See rule 9 (1)]
Voters List

Name of Gram Panchayat . . . . .Block . . . . District . . . . Ward No. . . . .

Serial Number	House No. (if any)	Name of Voter	Name of Father/Husband	Male/Female/Other	Age	Photo of Voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

. . . .
Registration Officer.

*म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 423, दिनांक 11 सितम्बर, 2014

**म.प्र. असाधारण राजपत्र क्र. दिनांक 191, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

SUPPLEMENTARY VOTER'S LIST

Ward No. . . . .

(1) List of Additions

Serial Number (1)	House No. (if any) (2)	Name of Voter (3)	Name/ Father/Husband (4)	Male/Female/Other (5)	Age (6)	Photo of Voter (7)

(2) List of Corrections

Serial Number of Main List (1)	Name of Voter (2)	Existing entry (which is to be corrected) (3)	Corrected entry (4)

(3) List of Deletions

Serial Number of Main List (1)	Name of Voter (2)

. . . .
Registration Officer.

FORM—2
(*See* rule 28)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

NOTICE OF ELECTION OF SARPANCH AND PANCH OF GRAM PANCHAYAT

No. . . . . .In exercise of the powers conferred by rule 28 of the Madhya Pradesh Panchayat Election Rules, 1995, I. District Election Officer (Panchayat) . . . . do hereby give the following notice in relation to the Election of Sarpanch and Panchas of the Gram Panchayat specified in column (1) of the Schedule hereto:—

(a) the seat/seats for which election is to be held is/are specified in column (2) of the Schedule;

(b) the officer specified in column (3) of the Schedule will be the Returning Officer (Panchayat) for conducting the election of Sarpanch and Panchas of the Gram Panchayat;

(c) the place, date and time specified in column (4) of the schedule will be the place, last date and time for making nominations;

(d) the place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, date and time for the scrutiny of nominations;

(e) the place, date and hour specified in column (6) of the schedule will be the place, date and hour for withdrawal of candidature;

(f) the date and time specified in column (7) of the schedule will be the date and time during which the poll shall be taken;

(g) the place, date and time specified in column (8) of the schedule will be the place, date and time for the counting of votes;

(h) the place, date and time specified in column (9) of the schedule will be the place, date and time for the tabulation and declaration of election result.

Note.—If for any unavoidable reasons counting of votes cannot be taken up at the place, date and time mentioned in column No. (8) of the schedule, then the revised programme for counting shall be as under:—

Place . . . . Dated . . . . Time (from) . . . .

Place . . . .
Date . . . .

District Election Officer (Panchayat)
District . . . .

SCHEDULE

Name of Gram Panchayat	Vacant Seat/ seats for which election will be held (Sarpanch/ Panch from ward No.. . .)	Name and designation of the Returning Officer (Panchayat)	Place, last date, and time for making nominations	Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, date and hour for withdrawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for counting of votes	Place, date and time for the tabulation and declaration of election results
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place . . . .
Date . . . .

District Election Officer (Panchayat)
District . . . .

FORM–3
(*See* rule 28)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (PANCHAYAT)

NOTICE OF ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT/JANPAD PANCHAYAT

No. . . . . In exercise of the powers conferred by rule 28 of the Madhya Pradesh Panchayat Election Rules, 1995, I . . . . District Election Officer (Panchayat) . . . . do hereby give the following notice in relation to the Election of Member of Zila Panchayat/Janpad Panchayat specified in column of the Schedule hereto :–

(a) the Constituency/Constituencies for which election is to be held is/are specified in column (2) of the Schedule;

(b) the officer specified in column (3) of the Schedule will be the Returning Officer (Panchayat) for conducting the election of member/members of Janpad Panchayat/Zila Panchayat ;

(c) the place, date and time specified in column (4) of the Schedule will be the place, last date and time for making nominations ;

(d) the place, date and time specified in column (5) of the Schedule will be the place, date and time for the scrutiny of nominations ;

(e) the place, date and hour specified in column (6) of the Schedule will be the place, date and hour for withdrawal of candidature ;

(f) the date and time specified in column (7) of the Schedule will be the date and time during which the poll shall be taken ;

(g) the place, date and time specified in column (8) of the Schedule will be the place, date and time for the counting of votes ;

(h) the place, date and time specified in column (9) of the Schedule will be the place, date and time for the tabulation and declaration of election results.

Note.–If for any unavoidable reasons, counting of votes cannot be taken up at the place, date and time mentioned in column No. (8) of the Schedule, then the revised programme for counting shall be as under :–

Place . . . . Dated . . . . Time (from) . . . .

Place . . . .
Date . . . .

District Election Officer (Panchayat)
District . . . .

SCHEDULE

Name of the Zila Pancha-yat/ Janpad Pancha-yat	Name of Constitu-ency/Constituencies for which election will be held	Name and designa-tion of the Re-turning Officer (Panchayat)	Place, last date and time for making nomina-tions	Place, date and time for scrutiny of nomina-tions	Place, date and hour for with-drawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for coun-ting of votes	Place, date and time for the tabulation and declaration of election results
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place . . . .
Date . . . .

District Election Officer (Panchayat)
District . . . .

*म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 17-2-1999.

FORM 3-A
(*See* Rule 29-A)

Office of the District Election Officer (Panchayat) . . . .

NOTICE

Notice regarding Status of Reservation of seats in Gram Panchayat . . . . Block . . . .

In pursuance of Rule 29-A of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, it is hereby notified for general information that the status of reservation of the seat/seats in Gram Panchayat . . . . Block . . . . for which election is to be held is as shown in the following table *viz* :—

TABLE

Particulars of the seat for which election is to be held (*eg.* Sarpanch or Panch)	Particulars of ward (only in the case of election of Panch)			Status of reservation (*eg.* SC/SC-Woman/ST/ ST-Woman/OBC/ OBC-Woman/Gen./ Gen.-Woman)
	Number	Village	House Number from . . . . . to	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place . . . .

Date . . . .

Seal

(Sd)
District Election Officer
(Panchayat)
District . . . .
Name . . . .

*मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 33, दिनांक 17-2-99.

FORM 3-B
(*See* Rule 29-A)

Office of the District Election Officer (Panchayat) . . . .

NOTICE

Notice regarding Status of Reservation of Seats in Distt. Panchayat . . . . /Janpad Panchayat . . . .

In pursuance of Rule 29-A of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, it is hereby notified for general information that the status of reservation of the seat/seats in District Panchayat . . . . /Janpad Panchayat . . . . for which election is to be held, as shown in the following table :—

TABLE

Number of the Constituency for which election is to be held	Status of reservation (*eg.* SC/SC-Woman/ ST/ST-Woman/OBC/OBC-Woman/ Gen./Gen.-Woman)	Gram Panchayats included in the constituency (*)
(1)	(2)	(3)
		(1) . . . . (2) . . . . (3) . . . . (4) . . . .

Place . . . .

Date . . . .

Seal

(Sd)/-
District Election Officer
(Panchayat)
District . . . .
Name . . . ."

(*)**Note**.—Add an extra sheet in case the space is found to be inadequate.

*म. प्र. असाधारण राजपत्र क्र. 83, दिनांक 17-2-1999.

FORM-4 A

(*See* Rule 31)

NOMINATIONS PAPER

ELECTION OF PANCH OF GRAM PANCHAYAT

I, nominate as a candidate for election to the seat of Panch for Ward No. . . . .(in words. . . . .) of Gram Panchayat . . . . .Block . . . . District . . . . .Candidate's Name . . . . .Father's/Husband's Name . . . .
His postal address . . . .
His name is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voters' list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of the aforesaid Gram Panchayat.

(2) My name is . . . . .which is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voters' list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of the aforesaid Gram Panchayat . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature/Thumb
Impression of proposer
(Name . . . .)

I, the above nominated candidate . . . . assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed . . . . .years of age;

(b) that to the best of my knowledge and belief I am qualified and also not disqualified for being chosen to the seat of Panch of the aforesaid Gram Panchayat . . . .

*(c) that I am a member of the . . . . .Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Class which has been notified as Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward Class in relation to . . . . District of the State.

(d) that my name and my father's /husband's name have been correctly spelt out above in Hindi written in the devnagri script. My name on the Ballot paper and on election related documents may be written in the following manner . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature of Candidate
(Name . . . .)

*Delete if not applicable

(To be filed by Returning Officer)

Serial Number of Nomination Paper . . . .

This nomination paper was delevered to me at . . . . (hours) on . . . . (date) by the candidate/proposer.

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

*Delete which ever is not applicable

Decision of the Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined the nomination paper in accordance with Rule 35 of the Madhya Pradesh Panchayat Election Rules, 1995 and decide as follows(*) . . . .

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

(Seal)

(*) In case of rejection of nomination reasons must be recorded.

Receipt of Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the Nomination Paper . . . .

The Nomination paper of Shri/Ku./Shrimati(*) . . . . who is a candidate for election of Panch of Gram Panchayat . . . . was delivered to me at . . . .(hours) on . . . .(date) by the candidate/ proposer(*). All nomination papers will be taken up for scrutiny at . . . . (Hours) on . . . . (date) at . . . .(Place).

Date . . . .

Returning Officer (panchayat)

(Name . . . .)

*Delete which ever is not applicable

PANCHAYAT ELECTION

FORM-4 B

(See Rule 31)

NOMINATION PAPER

ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT

I, nominate as a candidate for election to the seat of Sarpanch of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . District . . . . .Candidate's Name . . . . Father's Husband's Name . . . . His address . . . . His name is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voters' list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . District . . . .

(2) My name is . . . . .which is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voter's list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . District . . . .

Date . . . .

Signature/Thumb
Impression of proposer
(Name . . . .)

I, the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed . . . . .years of age;

(b) that to the best of my knowledge and belief I am qualified and also not disqualified for being chose to the seat of Sarpanch of the aforesaid Gram Panchayat . . . .

(c) that I am a member of the . . . . .Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Class which has been notified as Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward class in relation to . . . . District of the State.

(d) that my name and my father's/husband's name have been correctly spelt out above in Hindi written in the devnagri script. My name on the Ballot paper and on election related documents may be written in the following manner . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature/Thumb Impression of Candidate
(Name . . . .)

(To be filed by Returning Officer)

Serial Number of Nomination Paper . . . .

This nomination paper was delivered to me at . . . . (hours) on . . . . (date) by the candidate/proposer.*

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (panchayat)
(Name . . . .)

*Delete which everis not applicable

Decision of the Returning Officer (Panchayat) Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined the nomination paper in accordance with Rule 35 of the Mandhya Pradesh Panchayat Election Rules, 1995 and decide as follws* . . . .

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (panchayat)
(Name . . . .)

(Seal)

*In case of rejection of nomination reasons must be recorded.

Receipt of Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the Nomination Paper . . . .

The Nomination paper of Shri/Ku./Shrimati* . . . . who is a candidate for election of Sarpanch of the Gram Panchayat . . . . was delivered to me at . . . .(hours) on . . . .(date) by the candidate/proposer.*

All nomination papers will be taken up for scrutiny at . . . . (Hours) on . . . . (date) at . . . .(Place).

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

(Name . . . .)

***Delete whichever is it not applicable**

PANCHAYAT ELECTION

FORM-4 C

(*See* Rule 31)

NOMINATION PAPER

ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT

I, nominate as a candidate for election to the seat of member of Janapad Panchayat. . . . . from Constituency No . . . .(in words. . . . .)
Candidate's Name . . . .
Father's/Husband's Name . . . .
His postal address . . . .
His name is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voters' list of Ward No. . . . . (in words . . . .)of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . of District . . . .

My name is . . . . .which is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voter's list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . District . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature/Thumb
Impression of Proposer
(Name . . . .)

I, the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed . . . . .years of age;

(b) that to the best of my knowledge and belief I am qualified and also not disqualified for being chosen to the seat of member's Janpad Panchayat . . . .

*(c) that I am a member of the . . . . .Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Class which has been notified as Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward class in relation to . . . . District of the State.

(d) that my name and my father's/husband's name have been correctly spelt out above in Hindi written in the devnagri script. My name on the Ballot paper and other election related documents may be written in the following manner . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature/Thumb Impression of the Candidate

***Delete whichever is not applicable.**

(To be filed by Returning Officer)

Serial Number of Nomination Paper . . . . .This nomination paper was delevered to me at . . . . (hours) on . . . . (date) by the candidate/proposer.*

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

(Name . . . .)

***Delete whichever is not applicable.**

Decision of the Returning Officer (Panchayat) Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined the nomination paper in accordance with Rule 35 of the Mandhya Pradesh Panchayat Election Rules, 1995 and decide as follows** . . . .

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)
(Seal)

** In case of rejection of nomination reasons must be recorded.

Receipt of Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the Nomination Paper . . . .

The Nomination paper of Shri/Ku./Shrimati* . . . . a candidate for election of member of Janapad Panchayat . . . . was delivered to me at . . . .(hours) on . . . . (date) by the candidate/proposer. *All nomination papers will be taken up for scrutiny at . . . . (Hours) on . . . . (date) at . . . .(Place).

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

*Delete whichever is not applicable

FORM 4 D

(*See* Rule 31)

NOMINATION PAPER

ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT

I, nominate as a candidate for election to the seat of member of Zila Panchayat. . . . . from Constituency No . . . .(in words. . . . .)
Candidate's Name . . . .
Father's/Husband's Name . . . .
His postal address . . . .
His name is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voters' list of Ward No. . . . . (in words . . . .)of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . of District . . . .

(2) My name is . . . . .which is entered at Serial No. . . . . (in words . . . .) of the Voter's list of Ward No. . . . . (in words . . . .) of Gram Panchayat. . . . . Block . . . . District . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature/Thumb
Impression of Proposer
(Name . . . .)

I, the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare—

(a) that I have completed . . . . .years of age;

(b) that to the best of my knowledge and belief I am qualified and also not disqualified for being chosen to the seat of Zila Panchayat . . . .

*(c) that I am a member of the . . . . .Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Other Backward Class which is notified as Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward class in relation to . . . . District of the State.

(d) that my name and my father's/husband's name have been correctly spelt out above in Hindi written in the devnagri script. My name on the Ballot paper and other election related documents may be written in the following manner . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature of Candidate
(Name . . . .)

(To be filed by Returning Officer)

Serial Number of Nomination Paper . . . .

This nomination paper was delivered to me at . . . . (hours) on . . . . (date) by the candidate/proposer.*

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

*Delete which ever is not applicable

Decision of the Returning Officer (Panchayat) Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined the nomination paper in accordance with Rule 35 of the Madhya Pradesh Panchayats Election Rules, 1995 and decide as follows* . . . .
. . . .
. . . .

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

(Seal)

*In case of rejection of nomination reasons must be recorded.

. . . .(perforation). . . . .

Receipt of Nomination Paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of the Nomination Paper . . . .

The Nomination paper of Shri/Ku./Shrimati* . . . . a candidate for election of member of Zila Panchayat . . . . was delivered to me at . . . .(hours) on . . . .(date) by the candidate/proposer *All nomination papers will be taken up for scrutiny at . . . . (Hours) on . . . . (date) at . . . .(Place).

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

*Delete whichever is not applicable

PANCHAYAT ELECTION

FORM 5

[*See* Rule 35 (8)]

LIST OF VALIDLY OF NOMINATED CANDIDATES

*Election of Panch from Ward No. . . . . .of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. . . . . of Janpad Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. of Zila Panchayat . . . .

S. No. (1)	Name of Candidate (2)	Father's/Husband's Name (3)	Address (4)

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
Name . . . .
Seal . . . .

* Insert appropriate particulars and strike off the inappropriate alternative.

PANCHAYAT ELECTION

FORM 5-A

[*See* Rule 36 (1)]

NOTICE OF REVISION OF REJECTED NOMINATION PAPERS

*Election of Panch from Ward No. . . . . .of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. . . . . of Janpad Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. . . . . of Zila Panchayat . . . .
. . . .

Notice is hereby given that in the Ward/Constituency mentioned above, nomination papers of all the candidates except one have been rejected.

2. Rejected nomination papers shall be taken up for revision by the Revisional Authority at the place, date and time given below:—

Name and designation of Revisional Authority :

. . . .

Place . . . . Date . . . . Time. . . . .

3. Any candidate who has filed a nomination paper from the aforesaid Ward/Constituency, may, at the time of revision, appear and present his case before the Revisional Authority.

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
Name . . . .
Seal . . . .

* Insert appropriate particulars and strike off the inappropriate alternative.

FORM -6
[*See* rule 37 (1)]

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

*Election of Panch from Ward No. . . . . .of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. of Janpad Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. of Zila Panchayat . . . .

To,

The Returning Officer (Panchayat)

. . . .

I, ...Father's/Husband's Name . . . . a candidate validly nominated at the above election, do hereby give notice that I withdraw my Candidature.

The **Receipt/receipts given in acknowledgement of the nomination**paper/papers submitted to you on . . . . (date) on my behalf ** is/are enclosed herewith in original.

Place . . . .

Date . . . .

. . . .
Signature or Thumb impression of
validly nominated candidate

This notice was delivered to me at my office at . . . . .hours on . . . . (date) by . . . . (name) . . . . who is a candidate/candidate's proposer/candidate's election agent.**

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
Name . . . .
Seal . . . .

Receipt of Application for withdrawal of candidature (To be handed over to the person delivering the application).

The application for withdrawal of candidature by Shri/Smt./Ku.* . . . ., a validly nominated candidate at the election *Panch from ward No. . . . . Sarpanch of Gram Panchayat . . . ./Member from Constituency No. . . . . of Janpad Panchayat/ Zila Panchayat . . . ., was delivered to me by (Name) . . . ., who is a candidate/candidate's proposer/candidates election agent, ** at my office at . . . . (hours) on . . . . (date).

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)
Name . . . .
Seal . . . .

---

* Insert appropriate particulars and strike off the inappropriate alternative.

** Strike off inappropriate alternative.

PANCHAYAT ELECTION

FORM-7

[*See* Rule 37 (4)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

*Election of Panch from Ward No. . . . . .of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. . . . . of Janpad Panchayat . . . .
. . . .

*Election of Member from Constituency No. of Zila Panchayat . . . .

Notice is hereby given that the following validly nominated **Candidate/Candidates at the above election has/have withdrawn** his/her their candidature today.

S. No. (1)	Name of Validly nominated candidate (2)	**Father's/Husband's Name (3)	Address (4)
1.			
2.			
3.			
4.			

Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

Name . . . .

Seal . . . .

* Insert appropriate particulars and strike off the inappropriate alternative.

** Strike off inappropriate alternative.

PANCHAYAT ELECTION

FORM-8A

[*See* Rule 38 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

ELECTION TO THE PANCH OF GRAM PANCHAYAT . . . .

FROM WARD No. . . . .

S. No. (1)	Name of candidate (2)	Address of candidate (3)	Symbol Allotted (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

Name . . . .
Seal . . . .

PANCHAYAT ELECTION

FORM-8B

[*See* Rule 38 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT . . . .

S. No. (1)	Name of candidate (2)	Address of candidate (3)	Symbol Allotted (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

Name . . . .
Seal . . . .

FORM-8C

[*See* Rule 38 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

ELECTION OF MEMBERS, JANPAD PANCHAYAT FROM CONSTITUENCY No . . . .

OF JANPAD PANCHAYAT . . . .

S. No. (1)	Name of candidate (2)	Address of candidate (3)	Symbol Allotted (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

Name . . . .
Seal . . . .

PANCHAYAT ELECTION

FORM-8D

[*See* Rule 38 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

ELECTION OF MEMBER, ZILA PANCHAYAT . . . .

FROM CONSTITUENCY No . . . .

S. No. (1)	Name of candidate (2)	Address of candidate (3)	Symbol Allotted (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
etc.			

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)

Name . . . .
Seal . . . .

PANCHAYAT ELECTION

FORM-9

[*See* rule 41 (1)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election of Panch from Ward No. . . . . of Gram Panchayat . . . .*
. . . .

Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .*
. . . .

Election of Member of Janpad Panchayat . . . . from Constituency No. . . . . *

Election of Member of Zila Panchayat . . . . .from Constituency No. . . . . *

To,

The Returning Officer (Panchayat)

. . . .

. . . .

I, ... Who is a candidate for election mentioned above hereby appoint Shri/Ku./Shrimati* . . . . Father's/Husband's Name . . . . as my election agent from this date at the above election. (Name of the agent).

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Signature of Candidate
(Name . . . .)

I accept the above appointment.

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Signature of Election Agent
Name . . . .

Approved

. . . .
Signature of Returning Officer (Panchayat)
Name . . . .

Seal . . . .

Place . . . .
Date . . . .

---

* Strike out which is not applicable.

FORM-10
[*See* rule 42 (1)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election to—

*Panch from Ward No. . . . . of Gram Panchayat . . . .

*Sarpanch of Gram Panchayat . . . .

*Member of Janpad Panchayat . . . . from Constituency No. *

*Member of Zila Panchayat . . . . from Constituency No. . . . .

I . . . . who is a candidate/the election agent of Shri/Ku./Shrimati . . . . who is a candidate at the above election, do hereby appoint Shri/Ku./Shrimati . . . . .Father's/Husband's Name . . . . .as a polling agent to attend polling station No. . . . . at (place) . . . .

Place . . . .

Date . . . .

. . . .

Signature of Candidate/Election Agent

(Name . . . .)

I agree to act as such Polling Agent.

Place . . . .

Date . . . .

. . . .

Name . . . .

Declaration of Polling Agent

(To be signed before the Presiding Officer)

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 or Rules made thereunder regarding secrecy of votes.

. . . .

Signature of Polling Agent

(Name . . . .)

Signed before me

. . . .

Signature of Presiding Officer

(Name . . . .)

Place . . . .

Date . . . .

---

* Strike out which is not applicable.

FORM 11
[*See* rule 43 (1)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election to—
*Panch from Ward No. . . . . .Gram Panchayat . . . .
. . . .
*Sarpanch of Gram Panchayat . . . .
*Member of Janpad Panchayat . . . . from Constituency No. . . . .
*Member of Zila Panchayat . . . . from Constituency No. . . . .
of Zila Panchayat . . . .

To,

The Returning Officer (Panchayat)

. . . .
. . . .

I . . . . who is a candidate/the election agent of Shri/Ku./Shrimati . . . . who is a candidate at the above election, do hereby appoint Shri/Ku./Shrimati . . . . .Father's/Husband's Name . . . . .as a counting agent to attend Counting of Votes at the place fixed for counting.

Place . . . .

Date . . . . Signature of Candidate/Election Agent
(Name . . . .)

I agree to act as such Counting Agent.

Place . . . .

Date . . . . Signature of Counting Agent
(Name . . . .)

Declaration of Counting Agent

(To be signed before the Presiding Officer)

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 or Rules made thereunder regarding secrecy of votes.

. . . .

Signature of Counting Agent

(Name . . . .)

Signed before me

. . . .

Signature of Presiding Officer (Panchayat)/Officer
authorised by Returning Officer (Panchayat)
(Name . . . .)

Place . . . . (Seal)
Date . . . .

* Strike out which is not applicable.

PANCHAYAT ELECTION

FORM-12

[*See* rule 58 (2)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Election of Panch/Sarpanch

Election of Member Janpad/Zila Panchayat*

Polling Station No. . . . . Name of the Block . . . .

S. No.	Name of Voter	Entries of Voters' List Name of G. P. Pertaining to the Voters' List	S. No. of the Voter	Signature or Thumb impression of the person challenged	Name of Challenger	Name and address of the person challenged	Name of identifier, if any	Order of Presiding Officer	Signature of Challenger on receiving refund of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Date . . . .

. . . .

Signature of Presiding Officer

(Name . . . .)

* Strike out which is not applicable.

PANCHAYAT ELECTION

FORM-13A

[*See* rule 62 (1)]

DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

*Election of Panch from Ward No. . . . . .of Gram Panchayat.

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .

*Election of Member from Constituency No. of Janpad Panchayat . . . .

*Election of Member from Constituency No. of Zila Panchayat.

I, ...Father's/Husband's Name . . . . Age . . . . years, Address . . . . hereby declare that . . . .

(a) I have not acted as companion of any other voter at any polling station today;

(b) I will keep secret the vote recorded by me on behalf of Shir/Smt./Ku.* . . . . who is registered as Voter at serial No. . . . . of Voters' list of Gram Panchayat . . . .

Place . . . .

Date . . . .

. . . .

Signature of Companion

(Name . . . .)

Countersigned

Presiding Officer . . . .

Polling Station No. . . . .

* Strike off whichever is not applicable.

PANCHAYAT ELECTION

FORM-13B
[*See* rule 62 (2)]

LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS

*Election of Panch from Ward No. . . . . of Gram Panchayat . . . .

*Election of Sarpanch of Gram Panchayat . . . .

*Election of Member from Constituency No. of Janpad Panchayat . . . .

*Election of Member from Constituency No. of Zila Panchayat.

Polling Station No. . . . . Name of the Block . . . .

S. No.	Full name of voter along with Father's/ Husband's name	Serial No. of voter in the voters' list	Full name of companion along with Father's/ Husband's name	Address of Companion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date . . . . *Signature of Presiding Officer.*

(Name . . . .)

PANCHAYAT ELECTION

FORM-14
[*See* rule 64 (2)]

LIST OF TENDERED VOTES

Election to—

Panch of Gram Panchayat . . . . Ward No. . . . . *

Sarpanch, Gram Panchayat . . . . *

Member of Janpad Panchayat from Constituency No. . . . . of Janpad Panchayat* . . . .

Member of Zila Panchayat . . . . from Constituency No. . . . .

Polling Station No. . . . . Name of the Block . . . .

S. No.	Name of the Voter	Name of G. P. to which Voters' list pertains	S. No. of Voter	Address of the voters	S. No. of Tendered ballot paper	S. No. of the ballot paper issued to the person who has already voted	Signature or thumb impression of the voter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place . . . .
Date . . . .

. . . .
Signature of Presiding Officer
(Name . . . .)

* Strike out whichever is not applicable.

Note.—In the case of Panch, the particular of tendered votes in respect of all the wards be recorded in the same sheet. Ward No. may be mentioned in column No. 4 after the serial No. in voters' list.

Form – 14 A

[See rule 72 J(1)(a) of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995]

Voter Register
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No. (1)....... (2).......(3)........(4).........(5).........of the Village Panchayat...........................

Election of Sarpanch from the Gram Panchayat...............................

Election of Member from the Constituency No................. of the Janpad Panchayat...........................

Election of Member from the Constituency No................. of the Zila Panchayat...........................

Polling Station No..................... Name of the Block...............................

Sl. No.	Ward No. of the Voter	Serial Number of the voter in the Voter List	Detail of the document produced in proof of his identification by the voter	Signature/ thumb impression of the voter	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date................

Signature of the Presiding Officer

Name.................................

FORM-15

[*See* rule 67 (1)]

PART—I—BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to—

*Panch of Gram Panchayat ....Ward No. ....

*Sarpanch, Gram Panchayat ....

*Member of Janpad Panchayat from Constituency No. ....of Janpad Panchayat ....

*Member of Zila Panchayat .... from Constituency No. ....

Polling Station No. ....   Block ....

		Serial Nos. From	Serial Nos. To	Total No.
1.	Number of ballot paper received by the Presiding Officer.	....	....	....
2.	Number of unused ballot papers	....	....	....
3.	Number of ballot papers used at the Polling Station (1—2=3).			....
4.	Number of ballot papers used at the Polling Station but not inserted in the ballot box.			
	(a) Number of ballot papers cancelled due to error in printing or writing.			....
	(b) Number of ballot papers used as tendered ballot papers.			....
	(c) Number of ballot papers cancelled.			....
	Total (a+b+c)			....
5.	Number of ballot papers to be found in ballot box/boxes (3-4=5)			....

Place ....

Date ....

....

Signature of the Presiding Officer

(Name .... *)*

* Strike out whichever is not applicable.

PART—II—RESULT OF INITIAL COUNTING

1. Total number of ballot papers found in the ballot box/boxes used at polling station. . . . .
2. Difference if any, between the total number of ballot papers at item 1 of this part and the total number of ballot paper mentioned against item 5 of Part I . . . .

Date . . . .

Signature of Counting Supervisor

(Name . . . .)

Signature of Returning Officer (Panchayat)

(Name . . . .)

Form – 15 A

Panchayat Election

(See rule 72 P of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)
Part – 1 Writing of recorded votes
(Where election shall be carreied out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No. .... of the Gram Panchayat......................... *

Election of Sarpanch from Gram Panchayat.......................... *

Election of Member from Constituency No. ....of Janpad Panchayat........................

Election of Member from Constituency No. ....of Zila Panchayat.......................

Polling Station No. and Name..................................Controll Unit No. ....

Number of the Voting Machine used at Polling Station

No.	Sarpanch	Janpad Panchayat Member	Zila Panchayat Member
No.1			
No.2			

Identification No. of the machine......................   Printer No. (if used)...........

D.M.M. No. ....

1. Total number of voters set at a polling station	Signature of the polling agent
2. Total number of voters registered in the voter register	1
3. Number of voters recorded as per the voting machine	2
4. Number of voters no allowed to vote under rule 72 k	3
5. Number of voters decided not to vote (2-3-4=5)	4
6. Total number of tendered votes-	5
(a) Serial Number	From ....to................
(b) Issued to the voters	
(c) Unused	
7. Account of the seal of green paper –	
1. Paper seals supplied for use	Total Number............... From...........to....................
2. Used paper seals	Total Number.................... From...........to....................
3. Unused paper seals returned to the returning officer	Total Number............ From...........to................
4. Damaged paper seals (if any)	Total Number.................... From...........to....................

Date...................

Place..................

Signature of the Presiding Officer
Polling Station No. ....

Note.— (1) Please strike out which is not applicable.

(2) Separate account of the recorded votes is to be prepared for each post.

Part – 2 Result of the Preliminary Counting

1. Total number of votes found in E.V.M. used in the Polling Station............................

2. In this part specifing the difference in the total numbers of votes as mentioned in item No. 1 and the total number of votes found in E.V.M. as mentioned in item No. 3 of Part -1, if any.

Date................
Place.............

....
Signature of the Counting Supervisor
Name.............................
....
Signature of the Returning Officer
Name...............................

PANCHAYAT ELECTION

FORM-16
[*See* rule 77 (2)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF PANCH OF GRAM PANCHAYAT . . . . FROM WARD No. . . . .

Polling Station No. . . . . .Block . . . .

S. No.	Name of candidate	No. of Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)

(a) Total No. of valid votes . . . .

(b) Total No. of rejected votes . . . .

(c) Total No. of votes polled . . . .

Place of counting . . . .
Date. . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 16 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of Counting of Panch
(Where election shall be carreied out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No.................. of the Village Panchayat.......................

Polling Station No........................ Block..

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/no votes.........................

(b) Number of unfinished votes......................

Signature of the Counting Supervisor

Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent

Full Signature................................

Place of counting.................................

Date...............

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name..

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

Place of counting.................................
Date................

.. . .
Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat).

Name..

Officer authorised by the Returning Officer (Panchayat).

PART ONE

FORM-17
[*See* rule 77 (2)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT ....

Polling Station Number.................. Number of wards included ....

S. No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candidate (3)

No. of valid votes ....

No. of rejected votes ....

No. of Votes polled ....

Place of counting ....

Date.........................

....
Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

PANCHAYAT ELECTION

PART TWO
BLOCK LEVEL

FORM 17
[*See* rule 77 (2) and 80 (8)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT . . .

Block. . . . . Total No. of Polling Stations included . . . .

S. No.	Name of candidate	Number of valid votes cast in favour of the candidate					
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

A. Total No. of valid votes in Gram Panchayat . . . .

B. Total No. of rejected votes in Gram Panchayat . . . .

C. Total No. of votes polled in Gram Panchayat . . . .

Place of counting . . . .
Date. . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 17A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)
Result of Counting Of Sarpanch

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Block......................of the Gram Panchayat...........................

Polling Station No........................... Number of Wards included.......................................

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/ votes.........................
(b) Number of unfinished voters.....................

Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent
Full Signature...............................

Signature of the Counting Supervisor

....

Place of counting................................

Date...............

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat).

Name.......................................

Officer authorised by the Returning Officer (Panchayat).

Please use the back part also in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

Place of counting.................................

Date................

. . . .

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat).

Name..

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat).

Panchayat Election
Part - II Block Level

Form – 17A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of Counting
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Block......................of the Gram Panchayat...........................
Total number of Polling Stations included.......................................

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(a) Number of under/ votes.........................

(b) Number of unfinished voters.....................

Place of counting.................................
Date.................

....
Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name...

Authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place of counting.................................
Date.................

....
Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name..

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

PANCHAYAT ELECTION

PART ONE

FORM 18

[*See* rule 77 (2)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT

.... CONSTITUENCY No ....

Polling Station Number ....

Numbers of wards included in Polling Station ....

S. No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candidate (3)

A. Total No. of valid votes ....

B. Total No. of rejected votes ....

C. Total No. of votes polled ....

Place of counting ....

Date. ....

....

Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

PANCHAYAT ELECTION

PART TWO
BLOCK LEVEL

FORM 18
[*See* rule 77 (2) and 80 (8)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT..... .... CONSTITUENCY No. ....

No. of Polling Stations included in the constituency.....................

S. No.	Name of the candidate	No. of valid votes cast in favour of the candidate Polling Stationwise					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

A. Total No. of valid votes ....

B. Total No. of rejected votes ....

C. Total No. of votes polled ....

Place ....
Date.....................

....
Returning Officer (Panchayat) /Officer authorised by the Returning Officer/(Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

Panchayat Election
Part – I

Form – 18-A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting
(Where election shall be carreied out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No....................of the Janpad Panchayat........................

Polling Station No...................................... Number of Wards included..

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/no votes..........................
(b) Number of unfinished votes.......................

Signature of the Counting Supervisor

Name of the Candidate/Election
Agent/Counting Agent
Full Signature.............................

Place of counting..........
Date.................

Signature of the Returning Officer/
Asst Returning Officer (Panchayat)

Name..

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

Place of counting.................................

Date................

....

Signature of the Returning Officer/
Asst Returning Officer (Panchayat)

Name...

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Panchayat Election
Part - II Block Level

Form – 18 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Member from Constituency No. . . . . . of the Janpad Panchayat . . . .

Total number of polling stations included...

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit following stationwise					Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(a) Number of under/ votes..........................
(b) Number of unfinished voters.....................

Place of counting..................................

Date.................

....

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)
Name..

Officer authorised by the Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit following stationwise					Total
(1)	(2)	Polling Station No. (3)	Polling Station No. (4)	Polling Station No. (5)	Polling Station No. (6)	Polling Station No. (7)	(8)

Place of counting...

Date.................

....

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name.......................................

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

PANCHAYAT ELECTION

PART ONE

FORM 19
[*See* rule 77 (2)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT ....

CONSTITUENCY NUMBER ....

Polling Station Number. . . . . Number of wards included . . . .

S. No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes in favour of the candidate (3)

A. No. of valid votes . . . .

B. No. of rejected votes . . . .

C. No. of votes polled . . . .

Place of counting . . . .

Date. . . . .

. . . .
Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

PART TWO
BLOCK LEVERL

FORM—19
[*See* rule 77 (2) and 80 (8)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT....................... CONSTITUENCY No..........................

No. of Polling Stations of the Block included in the Constituency ....

S. No.	Name of the candidate	No. of valid votes cast in favour of the candidate Polling Stationwise									Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

A. Total No. of valid votes ....
B. Total No. of rejected votes ....
C. Total No. of votes polled ....

Counting ....
....

....
Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

Panchayat Election

PART THREE
DISTRICT LEVEL

FORM 19

[*See* rule 77 (2) and 80 (8)]

RESULT OF COUNTING OF VOTES FOR ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT..... .... CONSTITUENCY NUMBER ....

S. No.	Name of candidate	No. of votes secured by candidate in Polling stations situated in various Blocks			Total
		Block	Block	Block	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*					

A. Total No. of valid votes ....

B. Total No. of rejected votes ....

C. Total No. of votes polled ....

Place of Counting ....

Date............................

....

Returning Officer (Panchayat)/Officer authorised by Returning Officer (Panchayat).

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 19 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting

(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No........of the Zila Panchayat......................

Polling Station No......................Number of Wards included... ....

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

(a) Number of under/ votes..........................

(b) Number of unfinished voters......................

Signature of the Counting Supervisor

Name of the Candidate/Election Agent/Counting Agent

Full Signature..................................

Place of counting.. . . . .

Date..................

....
Signature of the Returning Officer/
Asst Returning Officer (Panchayat)

Name...
Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Please use the back part also in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

Place of counting..................................

Date.................................

. . . .

Signature of the Returning Officer/
Asst. Returning Officer (Panchayat)

Name..

Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Panchayat Election
Part - II Block Level

Form – 19 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No........................of the Zila Panchayat......................

Total Number of Polling Stations in Constituency No..........of the Zila Panchayat under the Block..........................

Sl. No.	Name of the candidate	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit									Total
		Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	Polling Station No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(a) Number of under votes . . . .
(b) Number of unfinished votes . . . .

Place of counting................................

Date.................

....

Signature of the Returning Officer/
Asstt. Returning Officer (Panchayat)
Name.......................................
Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the candidate (2)	Number of votes obtained according to the Election Controll Unit Polling Station No. (3)	Polling Station No. (4)	Polling Station No. (5)	Polling Station No. (6)	Polling Station No. (7)	Polling Station No. (8)	Polling Station No. (9)	Polling Station No. (10)	Polling Station No. (11)	Total (12)

Place of counting.......... ....
Date.................

....
Signature of the Returning Officer/
Asstt. Returning Officer (Panchayat)

Name..
Officer authorised by the Returning Officer
(Panchayat)

Panchayat Election
Part - III Zila Level

FORM – 19 A
(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Member from Constituency No...... of Zila Panchayat..............

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained by the Candidate according to Election Control Unit in the Polling Stations of various Blocks			Total
		Block.........	Block..........	Block.........	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(a) Number of under/no votes.........

(b) Number of unfinished votes.......

Place of counting..................................

Date..................

Name.......................................

....

Signature of the Returning Officer/Asstt. Returning Officer (Panchayat)

Officer authorised by the Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained by the Candidate according to Election Control Unit in the Polling Stations of various Blocks.			Total
		Block.........	Block..........	Block.........	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place of counting.................................

Date.................

....

Signature of the Returning Officer/Asstt. Returning Officer (Panchayat)

Name...

Officer authorised by the Returning Officer (Panchayat)

FORM 20
[*See* rule 81 (1)]

FORM OF RETURN OF ELECTION OF PANCH

ELECTION OF PANCH FORM WARD NO. . . . . OF GRAM PANCHAYAT . . . .

S. No.	Name of candidate	No. of Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)
*		

Total No. of valid votes . . . .

Total No. of invalid votes . . . .

Total No. of polled votes . . . .

I declare that—

(Name) . . . .

Address . . . .

. . . .

has been duly elected as Panch

. . . .
Signature of Returning Officer (Panchayat)

Dated the . . . . day of . . . . .200 .

* In case of dearth of space, back page may be used.

FORM – 20 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of counting
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Panch from Ward No...............Gram Panchayat................ Block........................

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

I, declare that,—

Name....................................

Address.................................

is duly elected as Panch.

Place..............

Date................

....

Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

Date………………..

………………….

Returning Officer (Panchayat)

FORM 21
[*See* rule 81 (1)]

FORM OF RETURN OF ELECTION OF SARPANCH

ELECTION OF SARPANCH FROM GRAM PANCHAYAT ....

S. No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candidate (3)

Total No. of valid votes ....

Total No. of invalid votes ....

Total No. of polled votes ....

I declare that—

(Name) ....

Address ....

....

has been duly elected as Sarpanch

....
Signature of Returning Officer (Panchayat)

Dated the .... day of ....20 .

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 21 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)
Return of the Election of Sarpanch
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of Sarpanch from Ward No........Gram Panchayat................ (Block.........................)

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

I, declare that,—

Name....................................

Address.................................

is duly elected as Sarpanch.

Place..............

Date................

....

Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

Date………………..

………………….

Returning Officer (Panchayat)

FORM 22
[*See* rule 81 (1)]

FORM OF RETURN OF ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT

ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT ....

FROM CONSTITUENCY NUMBER ....

S. No.	Name of candidate	No. of Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)

Total No. of valid votes ....

Total No. of invalid votes ....

Total No. of polled votes ....

I declare that—

(Name) ....

Address ....

....

has been duly elected

....
Returning Officer (Panchayat)

Dated the .... day of ....20 .

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 22 A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of the Election of Member of Janpad Panchayat
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No........ of Janpad Panchayat................

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

I, declare that,-

Name....................................

Address.................................

is duly elected as Member.

Place..............

Date................

....

Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No.	Name of the Candidate	Number of votes obtained according to Election Control Unit
(1)	(2)	(3)

Date................

....

Returning Officer (Panchayat)

FORM 23
[*See* rule 81 (1)]

FORM OF RETURN OF ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT

ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT ....

FROM CONSTITUENCY NUMBER ....

S. No.	Name of Candidate	No. of Valid Votes cast in favour of the C b]-nnandidate
(1)	(2)	(3)
*		

Total No. of valid votes ....

Total No. of invalid votes ....

Total No. of polled votes ....

I declare that—

(Name) ....

Address ....

....

has been duly elected

....
Returning Officer (Panchayat)

Dated the .... day of ....20 .

* In case of dearth of space, back page may be used.

Form – 23A

(See rule 77B of The Madhya Pradesh Election Rules, 1995)

Result of the Election of Member of Zila Panchayat
(Where election shall be carried out through E.V.M.)

Election of the Member from Constituency No........ of Zila Panchayat................

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

I, declare that,-

Name....................................

Address................................

is duly elected as Member.

Place..............

Date................

....
Returning Officer (Panchayat)

Please use the back part in case of insufficient space.

Sl. No. (1)	Name of the Candidate (2)	Number of votes obtained according to Election Control Unit (3)

Date..................

....

Returning Officer (Panchayat)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

FORM 24
(*See* rule 47)

DECLARATION-CUM-RETURN OF UNCONTESTED ELECTION

Election to—

Panch of Gram Panchayat . . . . from Ward No. . . . .*

Sarpanch of Gram Panchayat . . . .*

Member of Janpad Panchayat from Constituency No. . . . .*

of Janapad Panchayat . . . .

Member of Zila Panchayat from Constituency No. . . . .*

of Zila Panchayat . . . .*

In pursuance of rule 47 of the Panchayat Nirvachan Niyam 1995, I declare that—

Shri/Ku./Shrimati . . . .

Father's/Husband's name . . . .

Address . . . .

Who was a candidate at the above mentioned election, has been duly elected and this certificate of election is hereby granted in token thereof.

Place . . . .

Date . . . .

. . . .

Signature of Returning Officer
(Panchayat)

(Name . . . .)

(Seal)

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 25
(*See* rule 83)

CERTIFICATE OF ELECTION

Election to—

Panch of Gram Panchayat . . . . .Ward No. . . . .*

Sarpanch of Gram Panchayat . . . .*

Member of Janpad Panchayat from Constituency No. . . . .*

of Janapad Panchayat . . . .

Member of Zila Panchayat from Constituency No. . . . .*

of Zila Panchayat . . . .

I, Returning Officer (Panchayat) hereby certify that I have under rule 81 of M. P. Panchayat Nirvachan Niyam 1995, declared that—

Shri/Ku./Shrimati . . . .

Father's/Husband's name . . . .

Who was a candidate at the above mentioned election, has been duly elected and this certificate of election is hereby granted in token thereof.

Place . . . .

Date . . . .

. . . .

Signature of Returning Officer
(Panchayat)

(Name . . . .)

(Seal)

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 26-A

(*See* Rule 90)

As per the provision of Rule 90 of Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, it is hereby notified that the following persons have been elected for the offices of Sarpanch and Panch of Gram Panchayat . . . . . of Block . . . . District . . . . :—

S. No.	Name along with Father's/ Husband's name	Address	Ward number (only for Punch)	Name of the office *i.e.* Sarpanch or Panch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place . . . .

Date . . . .

Signature . . . .

(Name) . . . .

Authorised Officer

(Seal)

FORM 26-B

(*See* Rule 90)

As per the provision of Rule 90 of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, it is hereby notified that the following persons have been elected for the office of Member of Janapad Panchayat . . . . of District . . . . :—

S. No. (1)	Name, along with Father's/ Husband's name (2)	Address (3)	Constituency Number (4)

Place . . . .

Date . . . .

Signature . . . .

(Name) . . . .

Authorised Officer

(Seal)

FORM 26-C

(*See* Rule 90)

As per the provision of Rule 90 of Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, it is hereby notified that the following persons have been elected for the office of Member of Zila Panchayat of District ....:—

S. No. (1)	Name, along with Father's/ Husband's name (2)	Address (3)	Constituency Number (4)

Place ....

Date ....

Signature ....

(Name) ....

Authorised Officer

(Seal)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SATISH MISHRA, Dy. Secy.

भाग-दो

मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर(पंचायत) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी.

मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995

क्र. बी 1-44-95-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 17, 25 तथा 32 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात्:—

नियम

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 है।

(2) यह नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994),

(ख) ''**अध्यक्ष**'' (चेयर पर्सन) से अभिप्रेत है यथास्थिति जनपद या जिला पंचायत का अध्यक्ष,

(ग) ''**प्ररूप**'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप,

(ग-क) ''**सक्षम प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचन की शक्तियां प्रत्यायोजित करते हुए **सक्षम प्राधिकारी** के रूप में नियुक्त किया गया हो, अर्थात् :—

(एक) ग्राम पंचायत के उप सरपंच के लिए,—
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व,

(दो) जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए,—
कलेक्टर/अपर कलेक्टर; और

(तीन) जिला पंचायत के लिए—
कलेक्टर / अपर कलेक्टर''

(घ) ''**धारा**'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा.

अध्याय —दो

अध्यक्ष (चेयर पर्सन) के लिए स्थानों का आरक्षण

3. **पंचायत के अध्यक्ष (चेयर पर्सन) के आरक्षित स्थानों की अवधारणा.**—(1) ऐसी पंचायतें, जिनमें अध्यक्ष (चेयर पर्सन) का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेंगे, विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किये जायेंगे :

[परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्षों (चेयर पर्सन्स) के पद का आरक्षण धारा 129-ङ के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा,]

(2) **विहित प्राधिकारी**—(एक) जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित करने के प्रयोजन के लिये जिले के भीतर की समस्त पंचायतों के नामों की पर्चियां एक बर्तन में रखेगा

और उनमें से निम्नलिखित क्रम में, उस सीमा तक लाट निकालेगा जिस सीमा तक धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन आरक्षण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक है, अर्थात् :—

(क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित जनजातियों, (ग) अन्य पिछड़े वर्गों

(दो) जनपद पंचायत के अध्यक्षों (चेयर पर्सन) के पद को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आवंटित किए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसी पर्चियों को जिन पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित जनपद पंचायतों के नाम लिखे हों, भिन्न-भिन्न बर्तनों में रखेगा और उनमें से उस सीमा तक लाट निकालेगा जिस सीमा तक धारा 25 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षण की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

(3) जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयर पर्सन) के पद के आवंटन के प्रयोजन के लिये उप नियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी :

परन्तु उप नियम (2) तथा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् जनपद तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयर पर्सन) के प्रथम निर्वाचन के लिये अध्यक्षों (चेयर पर्सन्स) के स्थान ऐसी पंचायतों में जिसमें ऐसे प्रवर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत अवरोही क्रम में तत्स्थानी रूप से अधिक पाया जाये, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आवंटित किये जायेंगे।

[परन्तु यह और भी कि यथास्थिति, ऐसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत को, जहां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की महिलाओं के लिये स्थानों का आरक्षण नहीं है, यथास्थिति, ऐसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की महिलाओं के लिये अध्यक्ष (चेयर पर्सन) के पदों के आरक्षण के लिये लॉट निकालने से अपवर्जित कर दिया जाएगा।]

(4) लाट निकालने के प्रयोजन के लिये एक सूचना, जिसमें लाट निकालने के लिये स्थानों, तारीख और समय अन्तर्विष्ट होगा, लाट निकालने की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व निम्नानुसार प्रदर्शित की जायेगी :—

(एक) जनपद पंचायत के संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा —

(क) कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर
(ख) जिले के भीतर की समस्त जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर

(दो) जिला पंचायत के संबंध में संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा,

(क) संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा के कार्यालय के सूचना पटल पर।
(ख) समस्त कलेक्टर कार्यालयों के सूचना पटल पर।
(ग) समस्त जिला पंचायत के कार्यालयों के सूचना पटलों पर।

(5) लाट निकालने संबंधी कार्यवाहियां अभिलिखित की जायेंगी तथा यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी। लाट निकालने के समय उपस्थित कम से कम दो अशासकीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किये जायेंगे तथा ऐसी कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखे जायेंगे।

(6) पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में पूर्व में आरक्षित पंचायतें उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लॉट निकालने से तब तक छोड़ दी जाएंगी जब तक कि ऐसी पंचायतों का उपयोग न कर लिया जाए :

परन्तु नया गठित ''जिला'' या नया गठित ''खण्ड'' उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लॉट निकालने से अपवर्जन के लिए, यथास्थिति उसके मूल ''जिला'' या ''खण्ड'' का भाग तब तक माना जाएगा, जब तक एक पूर्ण चक्र पूरा नहीं हो जाता।)

4. **उप सरपंच और जनपद तथा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के आरक्षित स्थानों का अवधारण**—धारा 17 की उपधारा (6), धारा 25 की उपधारा (4) तथा धारा 32 की उपधारा (4) के अनुसरण में, यदि ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत या जिला

पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है, तो ग्राम पंचायत का उप सरपंच या जनपद या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष यथास्थिति, ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।

5. **आरक्षण के मामले में सहायता**--राज्य सरकार, संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, कलेक्टर तथा विहित प्राधिकारी स्थानों के आरक्षण तथा आवंटन के मामले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से आवश्यक सहायता ले सकेंगे।

अध्याय—तीन

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक तन्त्र

6. **निर्वाचन कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति—सक्षम प्राधिकारी** इन नियमों के अधीन निर्वाचन के प्रयोजन के लिये, प्रत्येक निर्वाचन में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा वह निर्वाचन कार्य में सहायता के लिये एक या एक से अधिक सहायक पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा ऐसे अधिकारी या तो नाम से या पदेन नियुक्त किये जा सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी निर्वाचन कार्य को सुकर बनाने के लिये यथा आवश्यक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवक या नगरपालिका विधि के अधीन किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम का सेवक नहीं है, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

7. **नियंत्रण**—पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और अन्य समस्त ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों से संबंधित किसी मामले के लिये नियुक्त किये गये हों, **सक्षम प्राधिकारी** के मार्गदर्शन, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

8. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी **राज्य निर्वाचन आयोग** ऐसे विशेष या सामान्य आदेश या निर्देश जारी कर सकेगी जो निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव कराने के लिए अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।

9. **पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्तव्य**--पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचन के लिए बुलाये गये सम्मिलन में व्यवस्था बनाये रखे और देखे कि निर्वाचन उचित रूप से हो रहा है।

अध्याय—चार

उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

10. **चुनाव के लिये सम्मिलन**—(1) धारा 17, 25 और 32 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पंच, सरपंच, सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर यथास्थिति इन नियमों में (अधिकथित रीति में उपसरपंच), अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(2) (**कलेक्टर/अपर कलेक्टर,** जनपद पंचायत और जिला पंचायत के उपसरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) के निर्वाचन के लिये तारीख विहित समय के भीतर नियत करेगा तथा संबंधित **सक्षम प्राधिकारी** को सूचित करेगा।

11. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्मिलन का बुलाया जाना—सक्षम अधिकारी** समस्त पंचों का जिनमें इस प्रयोजन के लिये यथास्थिति सरपंच या जनपद/ जिला पंचायत के सदस्य भी सम्मिलित हैं, एक सम्मिलन बुलायेगा।

12. **सम्मिलन की सूचना**—(1) **सक्षम प्राधिकारी** निर्वाचन कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये हकदार समस्त पंच, जिनमें ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त सदस्य सम्मिलित हैं को प्ररूप एक में सूचना जारी करेगा।

(2) ऐसी सूचना की एक प्रति पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी।

(3) सूचना सम्मिलन की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व उनके स्थाई पतों पर प्रेषित की जायेगी तथा उसमें सम्मिलन बुलाये जाने की तारीख, समय, स्थान तथा प्रयोजन अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) ''यदि पंचों या सदस्यों को व्यक्तिश: सूचना परिदत्त की गई है या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई है तो उसे सूचना देना समझा जाएगा;

13. **सम्मिलन का स्थान तथा पीठासीन अधिकारी**--(1) उप सरपंच या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये निर्वाचन के लिये सम्मिलन पंचायत कार्यालय या पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी ऐसे स्थान पर होगी जैसी कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) सम्मिलन की अध्यक्षता **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहा जायेगा द्वारा की जायेगी।

''परन्तु जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जो क्रमश: अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या उप जिलाध्यक्ष या तहसीलदार तथा तृतीय श्रेणी संवर्ग अधिकारियों की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का अधिकारी न हो;

(3) पीठासीन अधिकारी उप सरपंच या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम तैयार करेगा और सम्मिलन में इसकी घोषणा करेगा।

(4) जहां अध्यक्ष का स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित नहीं है, अध्यक्ष का निर्वाचन पहले कराया जायेगा इसके पश्चात् उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा।

14. **नाम निर्देशन**--(1) कोई (नाम निर्देश) तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि अभ्यर्थी जिसका नाम प्रस्तावित तथा समर्थित किया गया है, ने पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में, यह अभिव्यक्त न कर दिया हो कि वह ग्राम या जनपद या जिला पंचायत के, यथास्थिति, उप सरपंच या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने का इच्छुक है।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी लिखित रूप में नाम निर्देशित किया जायेगा और नामांकन पत्र प्ररूप-दो में दो पंचों या सदस्यों द्वारा प्रस्तावक तथा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायेगा। कोई भी पंच या सदस्य एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। नामनिर्देशित पत्र पीठासीन अधिकारी को विहित समय-सीमा के भीतर परिदत्त किया जायेगा। कोई भी नाम निर्देशन पत्र जो इन नियमों के उल्लंघन में हस्ताक्षरित और परिदत्त किये जायेंगे वे अवैध होंगे तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किये जायेंगे।

(3) नाम निर्देशन पत्रों के परिदान के लिये आवंटित समय के अवसान के पश्चात् पीठासीन अधिकारी उसे परिदत्त किये गये नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करेगा और उपस्थित पंचों तथा सदस्यों को समस्त नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करने के लिये युक्तियुक्त सुविधाएं देगा और किसी नामनिर्देशन पत्र के संबंध में शंका समाधान करेगा और शंका उपयुक्त पाये जाने या स्वत: नामांकन पत्र को निरस्त करेगा यदि ऐसा नामांकन पत्र अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान के अनुसार न हो।

(4) सम्मिलन का पीठासीन अधिकारी--

(क) ऐसे प्रत्याशियों के नाम जिनके नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य घोषित किये गये हैं तथा उसके कारण; और

(ख) उन अभ्यर्थियों के नाम जो सम्यक् रूप से नाम निर्देशित हो;

सम्मिलन में पढ़ेगा.

(5) (एक) यदि निर्वाचन हेतु केवल एक ही अभ्यर्थी हो तो वह सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोषित किया जायेगा।

(दो) यदि किसी स्थान के लिये कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया हो या किसी स्थान के लिये कोई सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नहीं हुआ हो या सभी अभ्यर्थियों ने अपना नामनिर्देशन वापस ले लिया हो तो ऐसे तथ्य का प्रतिवेदन **सक्षम प्राधिकारी** को भेजा जायेगा जो अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्थान को भरने के लिये आगे की कार्यवाही करेगा।

15. **निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा**--(1) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा।

(2) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी में वर्णक्रमानुसार लिखे उनके नामों के संदर्भ से अनुक्रमांक देगा और तब यथास्थिति पंचों या सदस्यों को, प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अनुक्रमांक की घोषणा करेगा।

16. **मतों की अभिलिखित करने की रीति, मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा** —(1) पीठासीन अधिकारी इन स्थानों के निर्वाचन हेतु मतपेटी उपलब्ध करायेगा। मतपेटी इस प्रकार बनी होगी कि इसमें मतपत्र डाला तो जा सके किन्तु ताला खोले तथा सील तोड़े बिना मतपत्र इसमें से निकाला नहीं जा सके।

(2) पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने से तत्काल पहले सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों को खाली मतपेटी दिखाएगा ताकि उनका समाधान हो जाए कि मतपेटी खाली है और तब पीठासीन अधिकारी मतपेटी को सुरक्षित कर उस पर इस रीति से सील लगाएगा ताकि उसमें मतपत्र डालने का छिद्र खुला रहे और यदि अभ्यर्थी चाहें तो मतपेटी पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर उन्हें अपनी सील लगाने देगा।

(3) पीठासीन अधिकारी प्ररूप-तीन में मतपत्र तैयार करवायेगा।

(4) यथास्थिति, प्रत्येक पंच या सदस्य को, जो मतदान करना चाहें, को एक मतपत्र दिया जायेगा। उसकी प्रमाणिकता प्रदर्शित करने के लिये पीठासीन अधिकारी मतपत्र जारी करने से पहले उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद मतदाता मतदान के लिये तय स्थान पर जायेगा तथा मतपत्रों पर ऐसे प्रत्याशी के नाम के आगे जिन्हें वह मत देने के इच्छुक हो, **और पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई गोल तीर वाली सील द्वारा चिन्ह लगायेगा,** वह मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसकी गोपनीयता बनी रहे तथा पीठासीन अधिकारी की नजरों के समक्ष रखी मतपेटी में मतपत्र डालेगा।

(5) (एक) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि निरक्षरता अन्धेपन या अन्य शारीरिक शिथिलता के कारण कोई मतदाता अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को **''साथी, जो मतदाता का निकटतम पारिवारिक सदस्य हो, लाने की अनुज्ञा देगा** जो अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं होगा तथा मतदाता की ओर से तथा उसकी इच्छा के अनुसार मत देगा।

''परन्तु यह और कि मतदाता को निरक्षरता का लाभ नहीं मिलेगा यदि उसके पास साक्षर होने का प्रमाण-पत्र है तथा शारीरिक निःशक्तता ऐसी होनी चाहिए कि वह मतदान न कर सके, यदि मतदाता विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.''

(दो) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप चार-ख में रखेगा।

(6) (एक) मतदान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्, पीठासीन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, उसमें से मतपत्र निकालेगा, उनकी गणना करेगा तथा उनकी संख्या एक विवरण में अभिलिखित करेगा।

(दो) कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा—

(क) यदि इस पर सदस्य के हस्ताक्षर हों और कोई शब्द या पहचान बताने वाला कोई चिन्ह हो जिससे उसे जाना जा सके; या

(ख) यदि उस पर एक से अधिक प्रत्याशियों के सामने चिन्हित किया गया हो; या

(ग) यदि चिन्ह ऐसे स्थान पर लगाया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हो कि किस प्रत्याशी को मत दिया जाना आशयित है; या

(घ) यदि उस पर कोई चिन्ह न हो; या

(ङ) यदि उस पद पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हों।

(7) (एक) पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रत्याशी को जिसे सर्वाधिक मत मिले हों प्ररूप पांच में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(दो) समानता की दशा में पीठासीन अधिकारी द्वारा लाट डालकर निर्वाचन विनिश्चय किया जायेगा तथा जिस प्रत्याशी के पक्ष में लाट निकले उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोषित किया जायेगा।

17. **निर्वाचित प्रत्याशी के पक्ष में चयन संबंधी प्रमाण-पत्र**—नियम 16 के अधीन किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप छ: में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा तथा इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति में उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करेगा।

18. **कार्यवाही का अभिलेख**—सम्मिलन के तत्काल पश्चात् पीठासीन अधिकारी —

(क) सम्मिलन की कार्यवाही विवरण का अभिलेख तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करेगा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार पर हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित करेगा और साथ ही सम्मिलन में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसे अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अनुज्ञा देगा यदि वह ऐसा करने का इच्छुक हो; तथा

(ख) पंचायत के सूचना पटल पर प्ररूप सात में अपने हस्ताक्षर से निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की सूचना प्रकाशित करेगा तथा इस सूचना की एक प्रति ''**जिला कलेक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी**'' को भेजेगा।

19. **निर्वाचन से संबंधित पत्रों की अभिरक्षा**—(1) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के गणना किये गये तथा प्रतिवेदित मतपत्रों के पृथक्-पृथक् पैकेट तैयार करेगा प्रत्येक पैकेट को सील करेगा तथा उस पर निर्वाचन तथा उसकी तारीख से संबंधित विवरण उस पर लिखेगा।

(2) उप नियम (1) एक के अधीन तैयार किये गये तथा सील पैकेट खोले नहीं जायेंगे तथा उनकी अन्तर्वस्तुओं को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के बिना न तो निरीक्षण किया जाएगा न ही प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) पैकेट्स कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में एक वर्ष के लिए रहेंगे तथा उसके बाद जब तक कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी या लंबित न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा अन्यथा निदेशन हो तो इन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

20. **आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना**—यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपसरपंच के पद में, कि कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी हो तो जिला कलेक्टर जितनी जल्दी हो सके, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और इन नियमों में अधिकाधिक प्रक्रिया के अनुसार रिक्ति को भरे जाने हेतु कदम उठायेंगे।

21. **आपात परिस्थितियों में निर्वाचन का स्थगन**—(1) यदि किसी बैठक में दंगों या खुली हिंसा या पर्याप्त कारण से चुनाव की प्रक्रिया में व्यवधान आता है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचन को बाद में तय की जाने वाली तारीख तक स्थगित कर देगा तथा जहां इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन रोका गया है वहां वह तत्काल इसकी सूचना ''**जिला कलेक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी**'' को देगा।

(2) जहां भी उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन स्थगित किया जाता है तो जिला कलेक्टर ऐसी स्थिति की सूचना तत्काल **संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग** को देगा।

(3) उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक मामले में **सक्षम प्राधिकारी** नये निर्वाचन की तारीख नियत करेगा तथा अध्याय-चार के उपबन्ध इस नियम के अधीन ऐसे निर्वाचन को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

22. **निर्वाचन को अधिसूचित करने की रीति—सक्षम प्राधिकारी**

(क) ग्राम पंचायत के उप सरपंच के प्रत्येक निर्वाचन की, प्ररूप आठ क में संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय के तथा उस जनपद पंचायत, जिसके कि भीतर ऐसी ग्राम पंचायत स्थित हो, के कार्यालय के सूचना पटल पर सूचना चस्पा कर;

(ख) जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रत्येक निर्वाचन की, प्ररूप आठ ख में संबंधित जनपद पंचायत और जिला कलेक्टर के कार्यालय के सूचना पटल पर सूचना चस्पा कर;

(ग) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रत्येक निर्वाचन का प्ररूप आठ ग में जिला पंचायत के कार्यालय और जिला कलेक्टर के कार्यालय के सूचना पटल पर सूचना चस्पा कर अधिसूचित करेगा या करवायेगा।

23. **निरसन** —इन नियमों के तत्स्थानी प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में अंतिम प्रकाशन पर, निरसित हो जायेंगे।

प्ररूप—एक

[नियम 12 का उप नियम (1) देखिये]

(*) ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन

(*) जनपद पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(*) जिला पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन

प्रति,

(*) सरपंच और पंच, ग्राम पंचायत ....

(*) सदस्य, जनपद / जिला पंचायत ....

मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 12 के उप नियम (1) के अनुसरण में मैं .... **(सक्षम प्राधिकारी)** एतद्द्वारा, यह सूचना देता हूं कि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 17/ धारा 25/ धारा 32 के अधीन उप सरपंच/ अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिये ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ जिला पंचायत का सम्मिलन तारीख . . . . को समय . . . . बजे . . . . स्थान .... पर किया जायेगा।

स्थान : ....

तारीख : . . . .

. . . .

सक्षम प्राधिकारी

(*) जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप—दो

[नियम 14 का उप नियम (2) देखिये]
.... ग्राम पंचायत के उप सरपंच
.... जिला पंचायत/ जनपद पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन के लिए
नाम निर्देशन पत्र का प्ररूप

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम	....
2.	पिता/पति का नाम	....
3.	आयु	....
4.	पूरा पता	....
5.	अभ्यर्थी की जाति	....
6.	प्रस्तावक का पूरा नाम	....
7.	प्रस्तावक के हस्ताक्षर	....
8.	समर्थक का पूरा नाम	....
9.	समर्थक के हस्ताक्षर	....

अभ्यर्थी की घोषणा

1. मैं, एतद्‌द्वारा *नाम-निर्देशन से रजामंदी संज्ञापित करता हूं और यदि निर्वाचित होता हूं तो सेवा करने के लिये तैयार हूं।

2. मैं, एतद्‌द्वारा यह भी घोषणा करता हूं कि मैं .... अ. जा. / अ.ज.जा. / अ. पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूं जो कि राज्य के .... जिले के लिए .... अ. जा. / अ.ज.जा. / अ. पिछड़ा वर्ग के लिये अधिसूचित घोषित हैं.

दिनांक . . . .

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम ....)

(पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

यह नाम-निर्देशन पत्र मुझे .... (दिनांक) . . . . को . . . .(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

दिनांक . . . .

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम ....

मैंने इस *नाम-निर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूं :—

....
....
....
....

दिनांक . . . .

....
पीठासीन अधिकारी

* जो लागू न हो उसे काट दें।
* प्रतिक्षेपण की स्थिति में कारण दर्शाये जायें।

प्ररूप—तीन

[नियम 16 का उपनियम (3) देखिये]

उपसरपंच/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतपत्र

.... ग्राम / जनपद / जिला पंचायत

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	चिन्ह लगाने हेतु (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

....

पीठासीन अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर

प्ररूप—चार-क

नियम 16 का उप नियम (5) का खण्ड[1] [(एक)] देखिये

निरक्षर, अन्धे या अशक्त सदस्य के साथी का घोषणा-पत्र

ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन ....

जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन ....

मैं .... पुत्र /पुत्री/ पत्नी .... उम्र . . . . वर्ष . . . . . .
पता .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि —

(क) मैंने आज किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मेरे द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .... की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखूंगा।

स्थान : ....

दिनांक : . . . .

. . . .

साथी का हस्ताक्षर

नाम ....

प्ररूप—चार-ख

[नियम 16 का उप नियम (5) का खण्ड (दो) देखिये]

निरक्षर, अन्धे या अशक्त सदस्यों की सूची

.... ग्राम पंचायत के उप सरपंच / जनपद / जिला पंचायत के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन ....

अनुक्रमांक (1)	पंच/सरपंच/सदस्य एवं पिता/पति का पूरा नाम (2)	पता (3)

दिनांक . . . .

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ....

प्ररूप—पांच

[नियम 16 का उप नियम[1] (7) का खण्ड (एक) देखिये]

(ग्राम / जनपद / जिला पंचायत के उप सरपंच, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष) के निर्वाचन की विवरणी का प्रारूप ....

(ग्राम / जनपद / जिला पंचायत के उप सरपंच, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष) के निर्वाचन की विवरणी का प्रारूप ....

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

विधिमान्य मतों की कुल संख्या
अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
डाले गए मतों की कुल संख्या

मैं घोषित करता हूं कि —

नाम .... पता ग्राम / जनपद / जिला पंचायत के लिए उप सरपंच, अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए.

दिनांक . . . .

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा नाम ....

प्ररूप—छह

(नियम 17 देखिये)

ग्राम पंचायत के उप सरपंच ························

जिला / जनपद पंचायत के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन ························

मैं, पीठासीन अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित कर घोषित करता हूं कि मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचन) नियम, 1995 के नियम 17 के अनुसरण में :—

श्री/कु./श्रीमती ······························ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ································· जो उक्त दर्शित स्थान के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी थे, विधिपूर्वक निर्वाचित घोषित किए गए और इसके उपलक्ष्य में यह प्रमाण-पत्र परिदत्त किया जाता है.

स्थान : ······················

तारीख : . . . .

. . . .
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम ························

प्ररूप—सात

[नियम 18 का खण्ड (ख) देखिये]

मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 के खण्ड (ख) : के अनुसरण में, मैं, एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं कि नीचे अनुसूची के कालम (1) में व्यक्ति, कालम (2) में वर्णित कार्यालय के लिए उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित पंचायत के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हैं :—

अनुसूची

व्यक्ति का नाम (1)	कार्यालय जिसके लिए निर्वाचित (2)	पंचायत, जिससे संबंधित कार्यालय है (3)

स्थान ....

दिनांक . . . .

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम ....

प्ररूप—आठ-क

[नियम 22 का खण्ड (क) देखिये]

मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 22 के खण्ड (क) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 19 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, ... **सक्षम प्राधिकारी** .... जिला .... एतद्द्वारा ग्राम पंचायत .... के उप सरपंच, विकासखण्ड .... जिला .... का निर्वाचन प्रकाशित करता हूं :—

अनुक्रमांक (1)	नाम एवं पिता / पति का नाम और पता (2)

स्थान ....

दिनांक . . . .

....

सक्षम प्राधिकारी

जिला ....

प्ररूप—आठ-ख

[नियम 22 का खण्ड (क) देखिये]

मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 22 के खण्ड (ख) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 26 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं .... **सक्षम प्राधिकारी** .... जिला .... एतद्द्वारा जनपद पंचायत .... जिला .... के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूं :—

अनुक्रमांक (1)	नाम एवं पिता / पति का नाम और पता (2)	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)

स्थान ....

दिनांक . . . .

....

सक्षम प्राधिकारी

जिला ....

प्ररूप—आठ-ग

[नियम 22 का खण्ड (ग) देखिये]

मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 22 के खण्ड (क) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 33 द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं .... **सक्षम प्राधिकारी** .... जिला .... एतद्द्वारा जिला पंचायत .... के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूं :—

अनुक्रमांक (1)	नाम एवं पिता / पति का नाम और पता (2)	अध्यक्ष / उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)

स्थान ....

दिनांक . . . .

....

सक्षम प्राधिकारी

जिला ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश मिश्र, उपसचिव.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 413, दिनांक 30 अगस्त 2005 में प्रकाशित]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्र. 5328-286-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 25 अगस्त 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००५.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ६ का संशोधन.
३. धारा ७-ख का संशोधन.
४. धारा ७-छ का स्थापन.
५. धारा ७-ञ का संशोधन.
६. धारा १७ का संशोधन.
७. धारा २५ का संशोधन.
८. धारा ३२ का संशोधन.
९. धारा ४० का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००५.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५.

[दिनांक 25 अगस्त, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक 30 अगस्त, 2005 को प्रथमबार प्रकाशित की गई] .

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ६ का संशोधन.**

"(२) ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश से अन्यून सदस्यों या ग्राम सभा के कम से कम पांच सौ सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगी.".

३. मूल अधिनियम की धारा ७-ख में,— **धारा ७-ख का संशोधन.**

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का पदेन अध्यक्ष होगा.".

(दो) उपधारा (३) का लोप किया जाए.

४. मूल अधिनियम की धारा ७-छ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ७-छ का स्थापन.**

"धारा ७-छ. ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति, का भी पदेन सचिव होगा.". **स्थायी समिति का सचिव.**

५. मूल अधिनियम की धारा ७-ञ की उपधारा (४) में, शब्द "निर्माण" के स्थान पर, शब्द "विकास" स्थापित किया जाए. **धारा ७-ञ का संशोधन.**

६. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा १७ का संशोधन.**

"(५) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्, ग्राम पंचायतों के उपसरपंच का निर्वाचन तुरंत ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा.".

७. मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा २५ का संशोधन.**

"(१) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरंत ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा.".

८. मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ३२ का संशोधन.**

"(१) राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात् जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तुरंत ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा.".

९. मूल अधिनियम की धारा ४० की उपधारा (१) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:— **धारा ४० का संशोधन.**

"परन्तु यह और कि जांच में अन्तिम आदेश सम्बंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से ९० दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहां लम्बित प्रकरण ९० दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहां विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों से सूचित करेगा और जांच के निपटारे के लिये समय में वृद्धि करने का अनुरोध करेगा किन्तु समय में ऐसी वृद्धि ३० दिन से अधिक नहीं होगी.".

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2005

क्र. 5329-286-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 of 2005.

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 6.
3. Amendment of Section 7-B.
4. Substitution of Section 7-G.
5. Amendment of Section 7-J.
6. Amendment of Section 17.
7. Amendment of Section 25.
8. Amendment of Section 32.
9. Amendment of Section 40.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 of 2005.

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005.

[Received the assent of the Governor on the 25th August, 2005; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 30th August, 2005].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the official Gazette, appoint.

2. For sub-section (2) of section 6 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act), the following sub-section shall be substituted, nammely :— **Amendment of Section 6.**

"(2) The quorum of every meeting of Gram Sabha shall not be less than one-tenth of the total number of members of the Gram Sabha or five hundred members of the Gram Sabha, whichever is less.".

3. In section 7-B of the principal Act,— **Amendment of Section 7-B.**

(i) for sub-section (2), the following sub-secion shall be substituted, namely:—

"(2) Sarpanch of Gram Panchayat shall be the ex-officio President of the Gram Nirman Samiti and Gram Vikas Samiti.";

(ii) sub-section (3) shall be omitted.

4. For Section 7-G of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:— **Substitution of Section 7-G.**

"7-G. The Secretary of Gram Panchayat shall also be the ex-officio Secretary of the Gram Nirman Samiti and Gram Vikas Samiti.". **Secretary of standing Committees.**

5. In sub-section (4) of Section 7-J of the principal Act, for the word "Nirman" the word "Vikas" shall be substituted. **Amendment of Section 7-J.**

6. For sub-section (5) of Section 17 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 17.**

"(5) After every election of Panchayats the State Election Commission shall immediately hold the elections of Up-sarpanch of Gram Panchayats, in such manner as may be prescribed.".

7. For sub-section (1) of Section 25 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 25.**

"(1) After every election of Panchayats the State Election Commission shall immediately hold the elections of President and Vice President of Janpad Panchayats, in such manner as may be prescribed.".

8. For sub-section (1) of Section 32 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 32.**

"(1) After every Election of Panchayats the State Election Commission shall immediately hold the Elections of President and Vice President of Zila Panchayats, in such manner as may be prescribed.".

9. For the Second proviso to sub-section (1) of Section 40 of the principal Act, the following proviso shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 40.**

"Provided further that the final order in the inquiry shall be passed within 90 days from the date of issue of show cause notice to the concerned office bearer and where the pending case is not decided within 90 days, the prescribed authority shall inform all facts to his next senior officer in writing and request extension of time for disposal of the inquiry but such extension of time shall not be more than 30 days.".

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 443, दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2007

क्र. एफ. 1-2-बाईस-पं-2-2007.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 25 तथा 32 के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

इन नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग-क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचन की शक्तियां प्रत्यायोजित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ग्राम पंचायत के उप सरपंच के लिए,—
उप-खण्ड अधिकारी, राजस्व,

(दो) जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए—
कलक्टर/अपर कलक्टर; और

(तीन) जिला पंचायत के लिए—
कलक्टर/अपर कलक्टर.".

2. नियम 6 में, शब्द "कलेक्टर" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

3. नियम 7 में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

4. नियम 8 में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" स्थापित किए जाएं.

5. नियम 10 के उप-नियम (2) में,—

(क) शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "कलक्टर/अपर कलक्टर"; और
(ख) शब्द "विहित प्राधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

6. नियम 11 में, शब्द "विहित प्राधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

7. नियम 12 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "विहित प्राधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) यदि पंचों या सदस्यों को व्यक्तिश: सूचना परिदत्त की गई है या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई है तो इसे सूचना देना समझा जाएगा.".

8. नियम 13 के उप-नियम (2) में,—

(एक) शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

(दो) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के निर्वाचन के लिये पीठासीन अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जो क्रमश: अपर कलक्टर या संयुक्त कलक्टर, उप-खण्ड अधिकारी या उप-जिलाध्यक्ष या तहसीलदार तथा तृतीय श्रेणी संवर्ग अधिकारियों की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का अधिकारी न हो.".

9. नियम 14 के उपनियम (5) के खण्ड (दो) में, शब्द "जिला कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

10. नियम 16 में,—

(एक) उपनियम (4) में, शब्द "(x) चिन्ह लगाएगा" के स्थान पर, शब्द "और पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई गोल तीर वाली सील द्वारा चिन्ह लगाएगा" स्थापित किए जाएं.

(दो) उप-नियम (5) के खण्ड (एक) में, शब्द "साथी" के स्थान पर, शब्द "साथी, जो मतदाता का निकटतम पारिवारिक सदस्य हो," स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपनियम (5) के खण्ड (एक) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि मतदाता को निरक्षरता का लाभ नहीं मिलेगा यदि उसके पास साक्षर होने का प्रमाण-पत्र है तथा शारीरिक नि:शक्तता ऐसी होनी चाहिए कि वह मतदान न कर सके, यदि मतदाता विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.".

11. नियम 18 के खण्ड (ख) में, शब्द "जिला कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "जिला कलक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

12. नियम 21 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "जिला कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "जिला कलक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (2) में, शब्द "संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा" के स्थान पर, शब्द "संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग" स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपनियम (3) में, शब्द "जिला कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

13. नियम 22 में, शब्द "विहित प्राधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

14. प्ररूप एक में, शब्द "विहित प्राधिकारी", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

15. प्ररूप आठ-क में, शब्द "विहित प्राधिकारी", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

16. प्ररूप आठ-ख में, शब्द "विहित प्राधिकारी", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

17. प्ररूप आठ-ग में, शब्द "विहित प्राधिकारी", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

No. F-1-2-XXII-P-2-2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 read with Section 25 and 32 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat (Up Sarpanch, President and Vice-President) Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In these rules,—

1. In rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(C-A) 'Competent Authority' means such officer who has been appointed as a Competent Authority by the State Election Commission by delegating powers of election for the purpose of conducting of election, namely:—

(i) for the Up-Sarpanch of Gram Panchayat-Sub-Divisional Officer, Revenue.

(ii) for the President or Vice-President of Janpad Panchayat—Collector/Additional Collector, and

(iii) for Zila-Panchayat—Collector/Additional Collector.".

2. In rule 6, for the words "Collector", wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

3. In rule 7, for the words "Collector", the words "Competent Authority" shall be substituted.

4. In rule 8, for the words "State Government", the words "State Election Commission" shall be substituted.

5. In sub-rule (2) of rule 10,—

(a) for the words "Collector", the words "Collector/Additional Collector"; and

(b) for the words "Prescribed Authority", the words "Competent Authority" shall be substituted.

6. In rule 11, for the words "Prescribed Authority" wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

7. In rule 12,—

(i) in sub-rule (1), for the words "Prescribed Authority" the words "Competent Authority" shall be substituted.

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The notice shall be deemed to be given if it delivered to the Panchas or member in person or sent to any moajor member of the family by registered post to his address.".

8. In sub-rule (2) of rule 13,—

(i) for the words "Collector" the words "Competent Authority" shall be substituted.

(ii) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted namely:—

"Provided that the presiding officer for election of Zila Panchyat, Janpad Panchayat and Up-Sarpanch of Gram Panchayat shall be an officer not below the rank of Additional Collector or Joint Collector, Sub-Divsional Officer or Deputy Collector or Tahesildar and Class-III cadre officers respectively.".

9. in clause (ii) of sub-rule (5) of rule 14, for the words "District Collector" the words "Competent Authority" shall be substituted.

10. in rule 16,—

(i) in sub-rule (4) for the words "and put a cross (X)" the words "and put the mark by a seal of rounded arrow given by the Presiding Officer" shall be substituted.

(ii) in clause (i) of sub-rule (5), for the words "Companion" the words "Companion who is the nearest family member of the Voter" shall be substituted.

(iii) in clause (i) of sub-rule (5), after the existing proviso the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that the voter shall not avail the advantage of illiteracy if he has the certificate of literacy and the body disability shall be such that he could not vote, if the voter is handicapped then it is necessary to produce the certificate of handicap.".

11. in clause (b) of rule 18, for the words "District Collector" the words "District Collector and Competent Authority" shall be substituted.

12. in rule 21,—

(i) in sub-rule (1), for the words "District Collector" the words "District Collector and Competent Authority" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), for the words "Director Panchayat and Social Welfare" the words "Director Panchayat and Social Justice and Madhya Pradesh State Election Commission" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (3), for the words "District Collector" the words "Competent Authority" shall be substituted.

13. in rule 22, for the words "Prescribed Authority" the words "Competent Authority" shall be substituted.

14. in Form I, for the words "Prescribed Authority" wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

15. in Form VIII-A, for the words "Prescribed Authority" wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

16. in Form VIII-B, for the words "Prescribed Authority" wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

17. in Form VIII-C, for the words "Prescribed Authority" wherever they occur, the words "Competent Authority" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. शर्मा, उपसचिव.

शाकेमुभो—232—उसरानिआभो—9-7-14—5,000.